

परिचायिका

2015-16

North West

North

North East

East

South West

South



राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् (समविश्वविद्यालयः)

NAAC द्वारा 'ए' श्रेण्यां प्रत्यायितम्

भारतसर्वकारस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनम्

नवदेहली

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

DEEMED UNIVERSITY

Accredited 'A' grade by NAAC

(Under The Auspices of Ministry of H.R.D, Govt. of India)

NEW DELHI

PARROTAS



RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

(Deemed University)

**Accredited with Grade 'A' by National Assessment
and Accreditation Council (NAAC)**

New Delhi

FOREWORD

Rashtriya Sanskrit Sansthan was Established by the Government of India in 1970 as per the recommendations of Sanskrit Commission 1956 for the promotion and propagation of Sanskrit. Since then, for the last 4 decades, performing a leading role in the field of Sanskrit Education, the Sansthan has been successfully climbing up on the ladder of progress. Today, the Sansthan is the world's largest and India's only Multi-Campus Sanskrit University. Apart from the Sansthan Headquarters at New Delhi, the eleven campuses of the Sansthan, spread across the length and breadth of India from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south, and from Maharashtra in the west to Tripura in the east, present a wonderful example of integration of the new approaches, new peaks and latest techniques of the modern education with the traditional Indian System of *Gurukulas*. In the last few years, the Sansthan has expanded its activities in the north-eastern states of India. The Ekalavya Campus of the Sansthan has started functioning in Agartala, Tripura with effect from the academic session 2013-14. Thus, the present times are times of immense and unprecedented possibilities for Sanskrit learning which exemplified in the ever-expanding activities of the Sansthan.

I believe the present Edition of the Prospectus (2015-16) shall successfully highlight the activities of the Sansthan in the field of Sanskrit.

I also take this opportunity to greet the Principals, Teachers, Officers and Students of the Sansthan on the auspicious beginning of the New Academic Session.

May we together, eat together, and do great deeds together

Let us be magnificent, let there be no ill-will among us.

Om Tatsat Om

Prof. P.N. Shastry

Vice Chancellor

INDEX

Subject	Page No.
Prayer for Peace	3
Kulageetam	4
The Logo	6
Vision and Mission	8
Foreword	89
RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN	95-102
1. Introduction	95
2. Objectives	95
3. Governance	96
4. Main Functions	96
5. Main Activities and Schemes	97
GENERAL RULES CONCERNING ADMISSION & COURSES OF STUDIES	103-138
1. Admission Rules and Courses of Studies	105
2. Cancellation of Admission and Admission of Waitlisted Candidates	118
3. Caution Money	119
4. Attendance & Leave Rules	119
5. Fees	120
6. Student Welfare Council	123
7. Discipline	123
8. Anti-ragging Act	124
9. Scholarship	127
10. Minimum Pass Percentage	130
11. Arrangement of writer for the blind / Students Permanently Disabled / Hand-fractured	131
12. Facilities for the students	131
13. Hostel	134
14. Campus Committees	136
15. Academic Calendar (Session 2015-16)	137



Subject	Page No.
CAMPUSES OF THE SANSTHAN	139-162
1. Ganga Nath Jha Campus, Allahabad (Uttar Pradesh)	141
2. Shri Ranbir Campus, Jammu (Jammu and Kashmir)	143
3. Shri Sadashiv Campus, Puri (Odisha)	145
4. Guruvayur Campus, Trisshur (Kerala)	147
5. Jaipur Campus, Jaipur (Rajasthan)	149
6. Lucknow Campus, Lucknow (Uttar Pradesh)	151
7. Rajeev Gandhi Campus, Shringeri (Karnataka)	153
8. Ved Vyas Campus, Balahar, Kangra (Himachal Pradesh)	155
9. Bhopal Campus, Bhopal (Madhya Pradesh)	157
10. K.J. Somaiyya Sanskrit Vidyapeetha, Mumbai (Maharashtra)	159
11. Ekalavya Campus, Agartala (Tripura)	161
Annexures	
1. Subjects approved (Modern & Traditional) in All the campuses.	i
2. Anti-ragging Affidavit	ii
3. Medical Certificate	iii

IMPORTANT NOTICE

- The Vice Chancellor, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, reserves the right to amend/expand or cancel any of the rules mentioned in this book.
- In case of any uncertainty, the decision of the Rashtriya Sanskrit Sansthan (Headquarter) shall be final.
- All legal disputes shall be subject to the jurisdiction of the courts at New Delhi.

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

(Deemed University)

1. INTRODUCTION

Rashtriya Sanskrit Sansthan was established in October, 1970, as an autonomous body under the Societies Registration Act 1860 (Act XXI of 1860) for the promotion and propagation of Sanskrit in the whole of the country. Since its inception, it has been wholly funded by the Government of India. It has been working as the leading organization engaged in promotion, propagation and development of Sanskrit and helps the Ministry of Human Resource Development in preparation and implementation of various schemes and programmes for development of Sanskrit learning. It has been functioning as a central nodal agency for the effective implementation of the various recommendation made by the Sanskrit Commission which was established in 1956 by the Department of Education, Government of India, for preservation, promotion and development of Sanskrit.

Recognizing its contribution in the field of promotion and propagation of traditional Sanskrit learning and teaching, its excellent publications, and its effective efforts in preservation and management of more than 50,000 rare Sanskrit manuscripts, Government of India bestowed the status of Deemed University on Rashtriya Sanskrit Sansthan on May 7, 2002 under Notification Number F.9-28/2000 U 3 and followed by the UGC Notification Number F-6-31/2001 (CPP-1) dated 13 June, 2002.

2. OBJECTIVES

Objectives of Rashtriya Sanskrit Sansthan, as laid down in its Memorandum of Association, are as under:-

The primary objective of Rashtriya Sanskrit Sansthan is promotion, development and encouragement of traditional Sanskrit learning, in pursuance of which it shall:-

- i) Encourage and coordinate, research in and provide funding to all the genres of the Sanskrit learning, protection to teacher training and manuscriptology etc., so that relation between textually relevant topics and conclusions of modern research may be highlighted and published.
- ii) Establish, undertake and operate / administer campuses in the various parts of country and affiliate with itself the organizations which have same



objectives as the Sansthan.

- iii) Manage all the Campuses established or taken over by it as a central administrative department and effectively contribute in their educational activities so that there is a smooth, manageable and logical interchange and transfer of staff, students, research, division of work on national level.
- iv) Function as the nodal agency of Government of India for implementation of government policies and schemes for promotion of Sanskrit.
- v) Arrange for instruction and training in the academic fields which fulfill the fixed criteria and which are regarded as proper by the Sansthan.
- vi) Proper guidance and arrangement for propagation and development of research and knowledge.
- vii) Take responsibility for extra-mural studies, expansion programmes and distance activities which help in development of society.
- viii) Execute all those activities and responsibilities which are important and desirable for furthering the aims and objectives of the Sansthan.
- ix) Preservation and promotion of Pali and Prakrit languages.

3. GOVERNANCE

The Governance of the Sansthan is as per provisions contained in its memorandum of Association & Rules & Regulations.

4. MAIN FUNCTIONS

To achieve its objectives, the Sansthan performs the following functions and activities:-

- Establishing campus in the various states of India.
- Traditional Sanskrit teaching at Secondary, undergraduate, graduate and post-graduate levels and conducting and coordinating research work in various field of Sanskrit learning for award of Ph.D. degrees.
- Teacher training at Shikshashastri(B.Ed.) and Shikshacharya(M.Ed.) levels.
- Cooperation with other organizations in sponsoring joint projects of inter-



disciplinary nature.

- Establishing Sanskrit libraries and manuscript museums and editing and publication of rare manuscripts.
- To award degrees, diplomas and certificates to those who pass the various examinations after satisfactory completion of prescribed courses & research work.
- To establish and award visitorships, fellowships, scholarships, prizes and medals.
- To conduct distance learning programmes through *Muktaswadhyapeetham*.
- To implement schemes of Ministry of Human Resource Development for promotion of Sanskrit, Pali and Prakrit.

5. MAIN ACTIVITIES AND SCHEMES

The Rashtriya Sanskrit Sansthan seeks to achieve its objectives through the following activities :-

5.1 TEACHING

Teaching classes are conducted at all the constituent campuses of the Sansthan to teach the syllabi prepared by the Sansthan from *Prakshastri* to *Acharya* levels. Other Sanskrit institutions affiliated with or run by the Sansthan also conduct teaching work as per the above-mentioned syllabi.

5.2 TRAINING

One-year teacher-training programmes leading to award of *Shikshashastri* (equivalent to B.Ed.) and *Shiksha Acharya* (equivalent to M.Ed) degrees are conducted in the campuses.

5.3 RESEARCH

- i) In all the campuses of the Sansthan, students are registered as research scholars on the basis of success in the All India Entrance Test conducted by the Sansthan or NET, and on the successful completion of the research work



they are awarded *Vidyavaridhi* degree which is equivalent to Ph.D.

- ii) The Sansthan conducts research programmes in various branches of Sanskrit literature.
- iii) The Sansthan is promoting research on ancient manuscripts.

5.4 PUBLICATION

5.4.1 The Sansthan publishes the research theses and rare Sanskrit manuscripts edited by the constituent campuses.

5.4.2 *Sanskrit Vimarsha* a Half-yearly Research Journal is being published by the Sansthan Headquarter. In addition, various Journals and magazines are being published by its constituent Campuses too.

5.4.3 80% financial aid to learned scholars and organizations for publication of their original work.

5.4.4 Financial aid for publication of rare Sanskrit books through publishers.

5.4.5 The Sansthan has been publishing book series from time to time.

5.4.6 The Sansthan has been publishing *Sanskrit Varta*, a Quarterly Newsletter.

5.5 COLLECTION AND PRESERVATION OF SANSKRIT MANUSCRIPTS

The Sansthan collects and preserves Sanskrit manuscripts and makes the copies of the same available to other organizations after charging certain fees. The manuscript museum of Shri Ganganath Jha Campus, Allahabad houses more than fifty thousand manuscripts.

5.6 MUKTASWADHYAYAPEETHAM

For conducting different courses under the Directorate of Distance Education, *Muktaswadhyayapeetham* and *Swadhyaya Kendra* has been established at the Sansthan Headquarters. Similarly, *Muktaswadhyaya Kendras* have also been established in the various campuses of the Sansthan.



5.7 NON-FORMAL SANSKRIT TEACHING

The Sansthan also conducts non-formal Sanskrit teaching courses through non-formal Sanskrit teaching centre and self-study material (*Diksha* course) for Sanskrit and non-sanskrit students of various social status and age groups. A two year Sanskrit Teaching course is also conducted through correspondence.

5.8 SANSKRIT LANGUAGE TEACHER TRAINING

The Sansthan organizes teacher training programme for Sanskrit language teaching. For this, the Sansthan holds an all-India entrance test. The successful candidates are given intensive 20-day training and after successful completion of the training programme are deputed as teachers for three-months in various Non-formal Sanskrit teaching centres.

5.9 ADVANCED TEACHING OF SANSKRIT CLASSICS

The Sansthan organizes specialized teaching programmes in which Sanskrit classics are taught.

5.10 PREPARATION OF SANSKRIT SELF-STUDY MATERIAL

The Sansthan is also engaged in preparing Sanskrit teaching material in print and electronic formats. Under this activity, five *Diksha* courses have been prepared.

5.11 BROADCAST/TELECAST OF SANSKRIT PROGRAMMES THROUGH ELECTRONIC MEDIA

The Sansthan telecasts daily Sanskrit programmes on Bhasha-Mandakini Channel of IGNOU'S Gyan Darshan and Sanskrit language teaching programmes thrice a week on DD India and DD Bharati.

5.12 CONDUCT OF EXAMINATIONS

The Sansthan conducts examinations for all the classes which are taught in its various campuses. Those securing first position in the class as well as in the shastra concerned, are awarded 'Gold Medal'.

5.13 SCHOLARSHIPS

The Sansthan awards scholarships to meritorious students studying in the various campuses of the Sansthan and other educational institutions.



5.14 CENTRAL GOVERNMENT SCHEMES

The Sansthan implements various central Government schemes for the enrichment and dissemination of Sanskrit language and literature as under:-

5.14.1 *Shastra Chudamani* Scheme

5.14.2 Book Purchase Scheme

5.14.3 Sanskrit Dictionary Project

5.14.4 Professional Training Scheme

5.14.5 Financial Aid to Recognised Adarsh Sanskrit Mahavidyalayas / Research Institutes

5.14.6 Honorarium to the Sanskrit Scholars felicitated by the President of India

5.14.7 All India Shastriya Competition

5.14.8 Financial Aid to Voluntary Sanskrit Organizations

5.15 INTERNATIONAL COLLABORATIONS

- a) Organizing International Sanskrit Conferences in collaboration with International Association of Sanskrit Studies (IASS), Paris.
- b) Conversion of the text typed under e-text project into TEI & XML by SARIT (Search and Retrieval of Indic Texts) of Chicago University.
- c) Memorandum of Understanding (MOU) with European Consortium for Asian Field Study (ECAAF), Paris, for jointly holding Programmes relating to Sanskrit.

5.16 ENCYCLOPAEDIA OF SANSKRIT AND INDIAN LANGUAGES/DIALECTS SCHEME

The Sansthan has started a scheme for preparation of Encyclopaedia of Sanskrit and Indian Languages and Dialects under which work has already started at Kolkata with regard to Sanskrit, Bangla and Odia, and at Bhopal with regard to Sanskrit, Bundelkhandi dialects.

5.17 INNOVATIVE PROGRAMMES

The innovative programmes undertaken by the Sansthan include:-

5.17.1 E-Text



5.17.2 Digital Books

5.17.3 Digitization

5.17.4 On-line Library

5.18 INTER-CAMPUS YOUTH FESTIVAL

Inter-campus Youth Festivals are organized regularly at various campuses on rotational basis in which students from all the campuses compete with each other in various academic, sports and cultural events.

5.19 INTER-CAMPUS SANSKRIT DRAMA COMPETITION "KAUMUDI MAHOTSAVA"

The Sansthan has been organizing Inter-campus Sanskrit Drama Competition "Kaumudi Mahotsava" (earlier known as "Vasantotsava") since 2004.

5.20 ALL INDIA NATIONAL SANSKRIT DRAMA FESTIVAL

National Sanskrit Drama Festival is being organized by the Sansthan at various locations and campuses, in which Sanskrit institutions from all over India take part.

5.21 SANSKRIT WEEK CELEBRATIONS

Sanskrit Week Celebrations are held in the Sansthan and its constituent campuses which culminate on the auspicious occasion of *Shravan Poornima*. In these celebrations, lectures are delivered by Sanskrit scholars of repute and students participate in various Sanskrit related competitions.

5.22 PALI & PRAKRIT PROJECTS

Under the Pali and Prakrit Projects, the Sansthan has been organizing National Conferences, workshops and publishing Book Series every year. Work on Sanskrit *Chhaya* of original Prakrit works, on-line Prakrit Sanskrit-*Chhaya*-Hindi Dictionary is going on at Jaipur Campus, Lucknow Campus and Sansthan Headquarter. Jaipur Campus is running a Prakrit Language Study Centre. Work on Sanskrit *Chhaya* of Pali Tripitaka and research work is going on at Lucknow Campus and Sansthan Headquarter. Lucknow Campus is running a Pali Language Study Centre.


5.23 HINDI PAKHAWADA CELEBRATIONS

The Sansthan and its campuses celebrate Hindi Pakhwada every year from 14th September to 30th September.

**5.24 SPECIAL STUDY/RESEARCH CENTRE IN THE CAMPUSES**

Following centres have been established in the various constituent Campuses of the Sansthan for conducting special research activities and extra-curricular activities which are of special use for students:-

1. Women Study Centre, Ved Vyas Campus, Garli, Himachal Pradesh.
2. Vocational Training Centre, Somaiya Campus, Mumbai.
3. Dramatics Study Centre, Bhopal Campus, Bhopal
4. Museum based on Scientific Traditions in Sanskrit, Somaiya Campus, Mumbai
5. Pali Study Centre, Lucknow Campus, Lucknow.
6. Prakrit Study Centre, Jaipur Campus, Jaipur.
7. Shastra Study Centre, Shringeri Campus



**RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN
GENERAL RULES CONCERNING
ADMISSION AND COURSES
OF STUDIES**



1. ADMISSION RULES & COURSES OF STUDIES

Teaching activity in the Sansthan

The Sansthan conducts free classes and holds examinations, and awards degrees and certificates for the following courses offered by it:-

	Course	Age	Equivalency
	Academic Courses		
1.	PRAK SHASTRI (2-year course)	15 Years	Higher Secondary/ Intermediate
2.	SHASTRI (3-year / 6-semester course)	17 Years	B.A.
3.	ACHARYA (2-year / 4-semester course)	20 Years	M.A.
	Training Courses		
4.	SHIKSHA SHASTRI (1-year course)	Minimum 20 yrs. (on 01.10.2015)	B.Ed.
5.	SHIKSHA ACHARYA (1-year course)	Minimum 23 yrs. (on 01.10.2015)	M.Ed.
	Research Course		
6.	VIDYAVARIDHI (Research)	----	Ph.D.

* All these courses are recognized by State and Central governments.

ACADEMIC COURSES

PRAK SHASTRI

Eligibility

1. Admission to the course in a campus is through a merit list prepared on the basis of an admission test conducted by the Head quarter / respective campuses.
2. Duration of the course is 2 years. There are 6 papers each year and one additional compulsory paper of Computer Education.



The applicant should have passed *Poorva Madhyama*, or Matriculation Examination (also called 10th class, or Secondary Class Examination) or equivalent examination from any State Board of School Education, or University with Sanskrit as one of the subjects.

Course Details

There are six papers each in both of the years of this two-year course. There is also one separate paper in Computer Education.

S.No.	Paper	Subject
1.	I*	Vyakarana (Sanskrit Grammar)
2.	II*	Sahitya(Sanskrit Literature)
3.	III*	English
4.	IV**	Hindi/Hindi (optional) / Bangla / Odia / Nepalese / Dogri / Malayalam /Kannada / Gujarati / Marathi / Manipuri.
5.	V**	Political Science / Economics / History / Sociology / Mathematics / Geography.
6.	VI**	Veda / Vyakarana / Sahitya / Jyotisha / Darshan.
7.	VII***	Computer Education.

(*Compulsory **Optional *** Compulsory but marks not to be included in the total.)

SHASTRI (B.A.)

Eligibility

Admission to the course in a campus is through a merit list prepared on the basis of an admission test conducted by the headquarter / respective campuses.

The applicant should have passed any one of the following:-

1. *Uttar Madhyama*
2. *Prak Shastri*
3. Intermediate Examination from any Sanskrit University or Sanskrit Council, through traditional system.
4. Higher Secondary Examination/Intermediate or equivalent examination from any State Board of School Education, or University with Sanskrit as one of the subjects.
5. Vedavibhushan Examination conducted by Maharishi Sandipani Vedavidya Pratishtanam.



(Note: The applicant should have passed the language subjects / modern subjects in the qualifying examination, which he is opting for as Optional Subjects at the Shastri level.)

Course Details

There are six semesters of this three-year course and six papers each in every semester/year. There is also one separate paper in Computer Education.

S.No.	Paper	Subject
1.	I*	Vyakarana
2.	II*	English
3.	III**	Hindi / Bangla / Odia / Nepalese / Dogri / Malayalam / Kannada / Manipuri
4.	IV**	Political Science / History / Economics / Sociology / Hindi Literature / English Literature
5.	V & VI **	Navya Vyakarana / Pracheen Vyakarana / Sahitya/ Sarvadarshan / Siddhanta Jyotisha / Phalit Jyotisha / Navya Nyaya / Nyaya Vaisheshika / Mimansa / Advaita Vedanta / Dharmashastra / Vishishtaadvaitavedanta / Sankhyayoga / Paurohitya / Shuklayajurveda / Kashmirshaivadarshan / Ramanandavedanta / Jaina Darshana / Puraneitihis / Bauddhadarshana
6.	VII***	Computer Education.
7.	VIII****	Environment Science

(*Compulsory **Optional *** Compulsory **** only in 5th and 6th semesters.)

ACHARYA (M.A.)

Acharya is a two-year / four semester course equivalent to the Post Graduation (M. A.) class. There shall be five papers every year / semester. The first four papers would be specific to the Shashtra opted for; the fifth paper would be common to all the Acharya students. Duration of the examination shall be three hours. Maximum Marks per paper shall be 100.

Eligibility

The applicant must have passed any of the following examinations:-

1. Shastri from Rashtriya Sanskrit Sansthan, or any other Sanskrit University, or any recognized institution.



2. Shiromani from Madras University, Annamalai University, Shri Venkateshwar University, Tirupati.
3. Vidvadmadyama from Karnataka Government.
4. Shastrabhushan (Prelim.) from Kerala Government.
5. Vidyapraveena from Andhra University, Waltaire
6. BA with Sanskrit as one of the subject from any recognized university.

Special Rules

1. The applicant should have studied the subject he is applying for, till Shastri.
2. The applicants who have obtained B.A. (Skt.) or Vedalankar / Vidyalankar degree may be allowed to opt for Sahitya / Dharmashastra / Sankhyayoga / Phalit Jyotish/ Karmakanda at Acharya level. The applicants who have obtained B.A. Sanskrit with Darshan may be allowed to opt for Advaitavedanta also.
3. The applicants who have passed B.A. (Hons.) may be allowed to opt for Veda/ Vyakarana / Sahitya/ Dharmashastra / Sankhyayoga / Phalit Jyotish / Karmakanda.
4. The applicants who have obtained Acharya in one subject / MA Sanskrit degree, may seek admission to any other subject, except Siddhant Jyotisha, Veda, Navya Nyaya, Navya Vyakarana, Mimansa. But, the applicants who have obtained Acharya degree in Phalit Jyotisha, Navya Nyaya, Navya Vyakarana may seek admission to Acharya in Siddhanta Jyotisha, Pracheen Nyaya, Vyakarana.
5. The applicants with Nakshatra Vigyana as a subject in Sanskrit may opt for Siddhanta Jyotisha.

(Note: The applicant should mention his choice of subjects in order of priority.)

6. In Acharya course, there shall be five papers every year. Every year/semester, four papers shall be on the chosen subject, but the fifth paper shall be common for students of all the subjects. Maximum Marks shall be 100 and time allotted shall be 3 hours.

Available Subjects

The applicants for Acharya may opt for any one of the following subjects:-

Navya Vyakarana / Pracheena Vyakarana / Sahitya / Siddhantajyotisha / Phalitajyotisha / Sarvadarshana / Dharmashastra / Jainadarshana / Bauddhadarshana / Sankhyayoga / Navyanyaya / Nyayavaisheshika / Mimansa / Advaitavedanta / Puranaitihasa / Veda / Paurohitya.



TRAINING COURSES

SHIKSHA-SHASTRI (B.Ed.)

This two year course, leading to award of *Shiksha-shastri* (B.Ed.) is conducted by the Sansthan for regular training.

Admission Process

The eligible candidates have to take a common entrance test, called **Combined-Shiksha-Shastri Test**, conducted in May every year on all India basis. The candidates in the merit list are called for counseling and allotment of the campus. The application form for the test is available from February onwards. The guidelines are issued by the Sansthan along with application form separately

80% seats are reserved for the candidates who have obtained *Shastri/Acharya* degree studying under the traditional system. 20% seats shall be available for the candidates who have obtained B.A. (Sanskrit)/ M.A.(Sanskrit) under the modern system. There is also reservation in campus such as 20% for campus students and 30% for the students of catchment area.

Eligibility

1. *Shastri/B.A.(Sanskrit), Acharya/M.A.(Sanskrit)* or equivalent from any recognized University with a minimum of 50 per cent marks (45 per cent for ST/SC / Differently-Abled candidates).
2. The candidate should have completed 15 years of education under 10+2+3 system.
3. The age of the candidate should not be less than 20 years on 01.10.2015.

Course

A) THEORY = 1200 Marks

There are 7 theory papers in 1st year and 5 papers in 2nd year. Each paper carry 100 Marks.

B) PRACTICALS = 800 Marks

For 1st year practical work 300 marks and 500 marks for 2nd year practical work.

Total Marks for 2 year Course = Theory 1200 + Practical 800 = 2000 Marks

**SHIKSHA-ACHARYA (M.Ed.)**

This two year (4 Semesters) course, leading to award of *Shiksha-Acharya* (M.Ed.) is conducted by the Sansthan for regular training.

Admission Process

The eligible candidates have to take a common entrance test, called **Combined-Shiksha Acharya Test**, conducted by the Sansthan in May every year on all India basis. The candidates in the merit list are called for counseling and allotment of the campus. The application form for the test, along with list of rules, is available for sale at the Sansthan Headquarter and campuses from February onwards.

80 % seats are reserved for the candidates who have obtained *Acharya* degree studying under the traditional system. 20 % seats shall be available for the candidates who have obtained M.A. in Sanskrit under the modern system.

Eligibility

1. *Acharya* / M.A. or equivalent with a minimum of 50% marks, and *Shiksha Shastri*/ B.Ed.(with Sanskrit as a subject of teaching) with a minimum of 55 percent marks (50% for ST/SC / Differently Abled candidates) from any recognized University.
2. The candidate should have completed 17 years of education under 10+2+3+2 system.
3. The age of the candidate should be 23 years on 01.10.2015.

Course of Study**C) THEORY - 1600 Marks**

There are 3 theory papers and 2 optional papers in 1st and 2nd semester in 3rd and 4th semester 2 theory papers and 1 optional paper each. In total there are 16 theory paper. Each paper carry 100 Marks.

D) PRACTICALS - 400 Marks

1. Dissertation & Viva-voce 100 Marks (75+25)
2. Internship 100 Marks (50+50)
3. Practical Work 200 Marks (75+75+25+25)

Total Marks of the Course Theory 1600 + Practical 400 = 2000 Marks



RESEARCH COURSE

VIDYAVARIDHI (Ph.D.)

Title of the Research Degree

The research degree awarded by the Sansthan to the scholars registered at its Head Quarter, or at the Campuses run by it, or at the institutions affiliated to it, is called *Vidyavaridhi* (Ph.D.). The degree is recognized as equivalent to Ph.D. by the Government of India UGC.

Eligibility for Registration as a Research Scholar

The candidates who have passed

1. *Acharya* / M.A. in Sanskrit or equivalent, with 55 per cent (50 per cent for ST/ SC/ Differently Abled candidates) or more from the Campuses of Rashtriya Sanskrit Sansthan / Universities or Deemed Universities recognized by the UGC; and,
2. have been declared successful in the merit list of Combined-Research Test, are eligible to apply for registration as research scholars at the Sansthan.
 - I. The aspiring research scholars who are employed as teachers at the various campuses of the Sansthan, or at its affiliated colleges/schools, who have obtained *Acharya* or M.A. in Sanskrit with 55 per cent marks, may apply for registration as '*Adhyapak Shodharthi* (teacher researcher). Their registration will be done as per U.G.C. norms.
 - II. All those aspiring research scholars from abroad who have obtained their post-graduate degree, securing 55 per cent marks or more from any of the Indian Universities recognized by the UGC, may also apply for registration as research scholars through Ministries of Foreign Affairs, and Human Resource Development, Government of India.

COMBINED VIDYAVARIDHI ENTRANCE TEST

- a) The Combined Vidyavaridhi Entrance Test by Rashtriya Sanskrit Sansthan is conducted in May/June for registration to research course.
- b) Information about test / registration etc. may be seen in the guidelines for combined Vidyavaridhi Entrance Test.

PROCESS OF REGISTRATION

The candidate declared eligible in the merit list shall submit his application, duly forwarded by the guide, along with synopsis of the thesis. After that, the local research



committee shall review the research candidates, and their topics and synopses. The applications found in order shall be sent by the Principal concerned to the Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, by a certain date, for consideration and approval by the Central Research Board . After the approval of the application in the session of the Central Research Board called by the

Research Department of the Rashtriya Sanskrit Sansthan and the receipt thereof at the concerned Campus, the candidate shall deposit his admission fees, thereby completing his/her registration process. Candidates can pursue their research at the Sanskrit Headquarter too. In addition, guidelines for Combined Vidyavaridhi Entrance Test - 2014 may be seen.

VIDYAVARIDHI SEMESTER COURSE WORK

As per UGC Regulations 2009, it is essential to complete research methodology semester course work based on Research Methodolgy successfully. Thus, after having been admitted, each Vidyavaridhi student shall be required to undertake course work for a minimum period of one semester during the tenure of his/her registration. The course work shall be treated as pre Vidyavaridhi preparation and must include quantitative methods and Computer Applications. It may also involve reviewing of published research in the relevant field. After undertaking this course work, the research scholar shall have to pass Vidyavaridhi semester course work examination conducted by Rashtriya Sanskrit Sansthan. The Sansthan shall decide the minimum qualifying requirement.

- Upon satisfactory completion of course work and research methodology, the scholar will be issued Completion Certificate for allowing a student to proceed further with the writing of the dissertation.
- Prior to submission of the thesis, the student shall make a pre-Vidyavaridhi presentation that may be open to all faculty members and research students, for getting feedback and comments, which may be suitably incorporated into the draft thesis under the advice of the supervisor.
- Vidyavaridhi candidates shall publish one research paper in a referred Journal before the submission of the thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of acceptance letter or the reprint.

SEMESTER COURSE WORK SYLLABUS TOTAL MARKS - 200

First Paper - 100 Marks

(Part- A) - 50 Marks

Research Methodology for Shastras (For Shastra students)

Research Methodology/Educational Research (For Education students)

**(Part- B)- 50 Marks**

Manuscriptology (Common for All students)

Second Paper – 100 Marks**(Part- A) - 50 Marks**

Textual Criticism (For Shastra students)

Methods of Teaching Shastras (For Education students)

(Part- B) - 50 Marks

1. Survey and Review of Published Research/Literature in Relevant field of Research - **30 Marks**
(To be assessed only by Guide on the basis of Library work, 2 Assignments and 2 Projects)
2. Computer Applications for Sanskrit Literature (Common for All students) - **20 Marks**
(To be assessed only on Internal Assessment/Lab. work basis)

CRITERIA FOR THE GUIDE

The teachers of the Sansthan and of the reputed educational institution affiliated to the Sansthan, who have been authorized by the Vice Chancellor can act guide research as per the criteria set by the UGC.

For guiding inter-disciplinary research in such topics as relating to Modern Psychology, Ayurveda etc. there may arise a need to appoint a co-guide. On the recommendations of the local Research Committee, the Central Research Board may also appoint some leading authority on the subject as research guide from outside the Sansthan.

SELECTION OF THE TOPIC AND IMPORTANT POINTS REGARDING PREPARATION OF SYNOPSIS

The synopsis of the proposed research should include the following points:-

- a) Determining the topic of the research
- b) Justification of the selection of the topic
 - a. Relevance of the research topic
 - b. Mention of the research already done on the topic
- c) Dimensions of the research
- d) Structure of the research thesis



The possible chapters of the thesis should also be mentioned in the research thesis. A permission for any change in the chapters may be given at the time of the completion of the research. Generally, the synopsis should be prepared on the basis of the significance, relevance, dimensions and the possible conclusion as mentioned above. Logical sequence should be kept in mind while attempting chapterization. The logical sequence may be based on the sequence of the presentation of ideas also. The possible points of every chapter should be mentioned so that there is clarity in the synopsis. Similarly, the possible conclusions too should be presented point-wise, so that the synopsis does not read like a summary of the research. Bibliography should be appended in the end.

PROCESS OF CHANGING GUIDE AND SUBJECT

The research scholar may submit, within a period of six months from the date of registration, an application along with recommendation of the Principal of the concerned Campus, for change, addition or reduction in the topic and / or the synopsis, to the Central Research Board for consideration. Similarly, the candidate may request for a change of guide, if required. After a recommendation of the Vice Chancellor, the research guide may be changed.

PERIOD OF RESEARCH AND RE-REGISTRATION

After the expiry of a minimum period of twenty-four months from the date of the registration, the candidate may submit his research thesis for evaluation. The maximum period shall be 5 years from the date of the depositing of fees. If the research work remains incomplete even after the expiry of the maximum period of 5 years due to some valid reason, the applicant may apply for re-registration for a period of 2 more years along with a prescribe fee of Rs. 1000.00. The application must carry recommendations by the Research Guide and the Principal of the concerned Campus, mentioning the reason for the delay in completion of the research.

In case the research remains incomplete even after the lapse of the 7-year period, and the candidate applies for another extension, the Central Research Board may consider the same and take appropriate decision.

ATTENDANCE AND PROGRESS REPORT

- The research guides must submit, on a prescribed format, the six-monthly progress reports of all the research scholars under them to the office of the Principal concerned, a copy of which should be sent to the Headquarter with comments of the research guides and the Principal concerned.
- All the regular research scholars must work as per the directions of the research guide, recording 75% attendance. The attendance shall not be compulsory for the



teaching or serving research scholars.

- During the period of the research, the research scholars may go to the other library or university under recommendation of the research guide and permission from the Principal concerned. The period of their sojourn, they would be considered as present.
- If so directed, it shall be compulsory for every registered research scholar to attend the training workshops on Research Methodology and Manuscriptology organized by the Research Department of the Rashtriya Sanskrit Sansthan during the period of his / her research.
- It shall be compulsory for the research scholar to attend the various conferences, seminars, lecture series etc. organized by the Campus.
- Every year during the period of their research, the research scholar must present at least two research papers relating to his topic of research, in the research seminars organized by the Campus. Such research seminars shall be organized by the Campus Principal as per his convenience, on the recommendations of the concerned Head of the Department and the Research Guide.
- The research scholars registered with the Rashtriya Sanskrit Sansthan must submit their Migration Certificates at the time of their registration or within six months thereof. The research scholars who fail to do so, shall be issued a notice asking them to deposit their Migration Certificates. If the research scholars do not deposit their Migration Certificates at the Research and Publication Department of the Sansthan within two months of the date of the issue of the notice, their registration shall be cancelled.

SUBMISSION OF THE RESEARCH THESIS

24 months after the registration, the research scholar may submit to the concerned principal, an application, duly forwarded by the research guide, for presentation of summary of the thesis. Thereupon the principal shall organize a seminar in which the research scholar shall make a presentation of the summary of his research work, after a review of which, the principal shall grant the research scholar the permission to submit his research thesis. **It shall be obligatory to submit the research thesis within three months of the presentation.** Three typed copies of the summary shall have to be submitted to the principal and the research guide three months before the submission of the research thesis. These copies shall be sent by the Principal to the Examination Section or Research and Publication department at the Sansthan Headquarter for advance information and necessary action.

(Note: Under special circumstances, at the recommendation of the Vice Chancellor, the research thesis may be submitted even after 18 months of registration.)



- The research thesis shall be in Sanskrit in Devanagari script.
- The research scholar shall present six typed/printed, legible copies of the thesis to the Research Guide, who shall certify them, get them forwarded by the Principal, and submit to the campus office. Of these six copies, three copies shall be sent to the Examination Section or the Research and Publication Department of the Sansthan. The remaining three copies shall be handed over to the campus library, the Research Guide and the research scholar.
- The research thesis should be prepared in accordance with the principles indicated by the rules regarding the preparation of synopsis. The research thesis should be prepared in the light of the synopsis submitted and accepted. Any deviation from the synopsis should be mentioned alongwith reasons thereof.
- The research guide should certify that the research thesis is the original work of the research scholar and the same has been done under his guidance.
- Certificate from Pre-Doctoral Committee has to be submitted.
- The research scholar shall deposit the requisite fees at the campus and shall obtain No Objection Certificates from the concerned departments of the campus, such as, library, museum, sports department, hostel, etc. and deposit them with the campus office.

TO BE SENT ALONG WITH THE RESEARCH THESIS

- Three copies of the research thesis.
- A demand draft for Rs. 1000.00 favouring the Vice Chancellor, Rashtriya Sanskrit Sansthan at New delhi.
- Complete details of the research scholar, as per the form.
- The verifying and forwarding letter from the Principal.

APPOINTMENT OF THE EXAMINERS

- After submission of the research thesis by the research scholar, the research guide shall submit, through the Principal, names of nine subject experts with full details to the Examination section or the Research and Publication Department for appointment of examiners. The Principal and the Head of the Department shall also submit names of six subject experts in the prescribed format with complete



addresses to the Sansthan. The Vice Chancellor may select any two of the names submitted as examiners for evaluation of the thesis. The Vice Chancellor may appoint some other subject experts also, if he so chooses.

- The Examination section shall send the copies of the thesis to examiners appointed by the Vice Chancellor with request that their report on the thesis should reach the Sansthan Headquarter within three months.

VIVA VOCE

The viva voce of the research scholar shall be organized by the Examination section at the Sansthan Headquarter or the concerned campus, within six months after receiving the recommendations from the examiners. The viva voce may be held at some other place also with the consent of the Vice Chancellor. Academic officers also may participate in the viva voce. If, for some reasons, the examiner is not satisfied with the viva voce, he may direct for another viva voce within six months. The decision of the Chief Examiner shall be final. If the examiner is not satisfied with the answers of the research scholar, the scholar shall be deemed unfit for the award of the *Vidyavaridhi* (Ph.D.) degree and his research thesis shall be rejected/cancelled.

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR ADMISSION TO VARIOUS COURSES

The applicant seeking admission to the various course offered by the Rashtriya Sanskrit Sansthan should submit the attested following documents along with the duly filled in application form:-

1. Attested photocopies of all the examinations passed previously.
2. Attested photocopies of Subject-wise marks list of all the examinations passed previously.
3. Attested photocopy of Date of Birth Certificate (Matriculation or equivalent mentioning the date of birth of the candidate).
4. Original Character Certificate from the Head of the Institution previously attended. (In case the certificate from the Head of the Institution is older than six months, a fresh character certificate from the Gazetted Officer should also be attached).
5. Original Transfer Certificate (TC).



6. Migration Certificate for students from Institutions other than the Sansthan. *(Note: Under special circumstances, the Principal may allow admission without Transfer Certificate and Migration Certificate, but the student shall have to submit the same within reasonable time-limit, failing which his admission is liable to be cancelled.)*
7. Attested photocopies of sports certificates or extra-curricular activity certificates, if any.

The student has to present his/her original documents at the time of admission. Unclear and unattested copies shall not be admissible.

DRESS CODE FOR STUDENTS

Shikshashastri and Shikshacharya students have to wear special teaching practice uniform, as decided by the Head of the Department of Education of the concerned campus. All other students should wear a simple dress when they come to attend the campus.

2. CANCELLATION OF ADMISSTION AND ADMISSION OF WAIT-LISTED CANDIDATES

Admission of the candidates who do not complete all the admission-related formalities in time would be cancelled and in their place the wait-listed candidates would be admitted in order of merit, provided they also complete their admission-related formalities within stipulated time.

Note:-

- A) *In case, a candidate manages to get admission on the basis of information which is later found to be false, his admission would be cancelled without assigning any reason, and the Sansthan would not be held accountable for the same.*
- B) *In case, there is discrepancy between the rules mentioned in this prospectus, and the rules which the Sansthan may have published or indicated in the past from time to time through its notifications, the latter (i.e. the rules published by the Sansthan) would be applicable, getting preference over the former.*



3. CAUTION MONEY

- A) In case, a candidate leaves the Sansthan in the middle of the course, without completing it, none of the fees deposited by him, except the Security Amount, shall be returnable to him.
- B) The Caution money would be returned in cash only, and not by cheque or demand draft.
- C) Caution money will be paid back after the declaration of result or at the session-end. However, if a student takes back the said money during the session, the admission of the student will stand cancelled and he/she will not be re-admitted in any case.

4. ATTENDANCE & LEAVE RULES

Regular attendance of all the classes is compulsory for the students. The name of the student is liable to be struck off in case he absents himself from the classes continuously for ten days or more without applying, in writing, for leave of absence. The Principal may order readmission of such student, provided, he is satisfied with the student's explanation of reasons for the unauthorized absence. In such case, the student shall have to deposit his admission charges afresh.

A student must have 75% attendance in order to be able to sit in the examination of Prak Shastri, Shastri & Acharya, i.e; a student will be allowed leave only for a maximum of 25 per cent of total lecture days in one academic session (in case of annual system) or one academic semester (in case of semester system). This leave will be admissible with prior permission of the principal on following grounds –

- a) 10-days leave without medical certificate, on the recommendation of the Head of the Department.
- b) 20-days medical leave for which a medical certificate of sickness and fitness has been obtained from a registered medical practitioner.

Note: Above-mentioned benefit of both types shall be admissible for whole session and not for one semester. If a student avails the full benefit of said leaves in first semester of the session he/she will not be able to avail any benefit in next semester.



- c) To sit in examination of Shiksha Shastri and Shiksha Acharya, a student must have 80% attendance in theory papers and 90% attendance in practical activities, i.e. a student will be allowed leave only for a maximum of 20% in theory papers and 10% in practical activities by the Principal on the recommendation of Head of department. No other leave will be admissible to these students.

Relaxation in Compulsory Attendance with reference to Examination

- a) The Vice-Chancellor may grant relaxation upto 5% out of the total attendance required. The Principals of concerned campuses/colleges/Adarsh Vidyapeethas will forward such cases to the Vice-Chancellor giving valid reasons for grant of relaxation.
- b) In transfer cases, the student shall get the benefit of attendance at the previous campus or institution, but the students studying in preliminary course through correspondence mode shall be governed by the rules notified for them by the Sansthan from time to time.
- c) In spite of meeting the above criteria, the student who has been rusticated or found ineligible to take examination for certain period from the Sansthan, shall not be allowed to sit in any examination of the Sansthan.
- d) The student, who has 75% or more attendance, is unable to sit in the examination due to ill-health and produces a medical certificate regarding his sickness and medical certificate certifying his fitness from a registered medical practitioner, shall be allowed to sit in the next examination as a former student. He may attend classes but shall not be entitled to scholarship.

Note: Appearing in two examinations at the same time, whether conducted by the Sansthan or any other educational institution, is not permitted. Every student shall have to obtain his degree in five attempts within five years of his first admission.

5. FEES

After the approval for admission, each student will deposit following fee (In Rupees) along with caution money-



**Prospectus Fee = Rs. 50/-
(Common for All Applicants)**

Fees for Academic Courses

S.No.	Item	Prak-shastri	Shastri	Acharya	Vidyavaridhi
1.	Admission Fee	25	25	25	25
2.	Library Caution Money	150	150	150	150
3.	Enrolment Fee	30	30	30	30
4.	Identity Card	50	50	50	50
5.	Magazine Fee	75	75	75	75
6.	Sports Fee	100	100	100	100
7.	Student Fund Fee	400	400	400	400
8.	Various Activities Fee	20	20	20	20
9.	Art/Craft Fee	50	50	50	50
	Total Fee	Rs. 900	Rs. 900	Rs. 900	Rs. 900

Fees for Professional Courses

For Shikshashastri & Shikshacharya courses, there would be a common fee along with separate special student funds for both the Courses.

Common Fee

S.No.	Item	Fee
1.	Admission Fee	100
2.	Library Caution Money	500
3.	Enrolment Fee	50
4.	Identity Card	50
5.	Magazine Fee	100
6.	Sports Fee	100
7.	Student Fund Fee	400
8.	Various Activities Fee	50
9.	Art/Craft Fee	50
	Total	Rs. 1400

**Shiksha-Shastri Special Student Fund**

S.No.	Item	1st Year Fee Rs.	2nd Year Fee Rs.
1.	Admission Fee	1400	900
2.	Departmental Magazine	400	400
3.	Teaching Kit	500	500
4.	Other Activities Fees	1500	1500
5.	Computer Work	100	100
6.	Seminar	100	100
7.	Group Photo	-	200
8.	Extension Lecture	-	300
	Total	Rs. 4000	Rs. 4000

Shiksha-Shastri Grand Total - Rs. 4000 + Rs. 4000 = Rs. 8000/-

Shiksha-Acharya Special Student Fund

S.No.	Item	1st Year (2 Semester) Fee Rs.	2nd Year (2 Semester) Fee Rs.
1.	Admission Fee	1400	900
2.	Departmental Magazine	450	450
3.	Teaching Kit	500	500
4.	Other Activities Fees	1500	1500
5.	Internship	500	500
6.	Seminar	400	500
7.	Computer Work	100	200
8.	Group Photo	-	200
9.	Extension Lecture	150	250
	Total	Rs. 5000	Rs. 5000

Shiksha-Acharya Grand Total - Rs. 5000 + Rs. 5000 = Rs. 10000/-



Hostel Fee

S.No.	Item	Fee
1.	Admission Fee	100
2.	Hostel Caution Money	1000
3.	Electricity Fee	200
4.	Maintenance Fee (Non-refundable)	1000
	Total	Rs. 2300

STUDENT FUND

The student fund is managed by a committee headed by the Principal. A faculty member shall be in the committee as the Student Welfare Officer. The students at the top of the merit lists of classes shall be the members of the committee. The amount collected under the head of Student Fund shall be deposited in a special bank account opened specially for the purpose. The account shall be jointly operated by the Principal and the Section Officer. Like other heads of the finance, the Student Fund shall also be audited.

6. STUDENT WELFARE COUNCIL

There shall be Student Welfare Councils in all the campus of the Sansthan. These councils will comprise of the students getting highest marks in their qualifying examination in the campus.

7. DISCIPLINE

The conduct of the students should be top-class so that they add to the reputation of the Sansthan. They should not smoke, drink or use other forms of tobacco, or intoxicating drugs. They are expected to take part in the various academic activities being conducted in the campus. In case, any student damages any property of the campus, he may lose his admission and the amount of damage shall be recovered from him.

CODE OF CONDUCT

The students of the Campus shall strictly follow, in totality the code of conduct given below.



1. All the students shall practice self-discipline and attend the classes regularly.
2. Those who violate the discipline shall be duly punished as per rules. Those held guilty of serious violations may be punished with rustication, if recommended by the Discipline Committee of the Campus.
3. Any one damaging campus property shall invite disciplinary action against himself/herself, and shall be held liable to compensate the campus for the losses caused.
4. It is expected of the campus students that they shall maintain the dignity of the campus. With this in mind, they are exhorted to stay away from any such undesirable activities which may go against the dignity of the campus.
5. The students of the campus should not take part in politics.
6. The discipline committee of the campus may punish the student who spreads, or causes to spread violence, disturbs peace, or tries to force his/her own ideas upon others.
7. The decision of the Principal, upon the recommendations of the Discipline Committee, shall be final.
8. Use of mobile phones during the classes is banned.

8. ANTI-RAGGING REGULATIONS

Anti-ragging Committees shall be constituted in all the campus in pursuance of U.G.C. Anti-ragging Regulation – 2009, Rule 6-3 (A) dated 17 June, 2009.

As per the Section 7 of the U.G.C. Anti-ragging Regulation – 2009, ragging includes the following acts as acts of crime and would invite punishment under rules:-

1. To incite someone for ragging.
2. To engage in criminal conspiracy for ragging.
3. To assemble and cause disturbance to peace for ragging.
4. To obstruct public movement for ragging.
5. To violate morality and dignity for ragging.
6. To cause physical injury.
7. To cause undue obstruction.
8. To resort to criminal use of force.
9. To cause physical, sexual or unnatural offence.
10. To forcibly grab somebody or something.



11. To trespass with criminal intent.
12. To indulge in property related offences.
13. To criminally intimidate someone.
14. To indulge in any of the above-mentioned offences against people in difficult situation.
15. To threaten victims of one or many of the offences mentioned above.
16. To insult someone physically or mentally.
17. All the offences defined as ragging.

What constitutes ragging –

Any one or more than one of the following acts would constitute ragging –

- a) Verbal, written, or physical torture or misbehavior with new student/s by senior student/s.
- b) Creation of an atmosphere of indiscipline and terror by the student/s which may cause hardship, agitation, difficulty, or physical or mental anguish to new student/s.
- c) To ask the student to do any act which he normally does not do and which may create a feeling of shame, anguish or fear.
- d) Any act by senior student/s which obstructs an ongoing academic activity being carried on by any other or new student.
- e) To exploit any or new student/s by forcing him/her to do the academic work given to some other student/s.
- f) To subject any student to economic exploitation in any manner.
- g) Any activity involving physical exploitation/ any kind of sexual exploitation / same sex assault / removal of clothes or dress to expose body / to force into obscene, or sexual activity / expression of indecent through physical gestures / any kind of physical torture which may harm someone's body or health.
- h) To abuse someone verbally, e-mail, mail / to insult publically / or torture / to create sensations which may create a fear psychosis among student/s / new student/s
- i) Any act which may adversely affect the mind or confidence of any new student.
- j) To encourage a student on evil path or to try to dominate him/her.

Actions to be initiated on receipt of information regarding ragging incident

Upon receiving the information, from the Anti-ragging Committee or any other



source, of any ragging incident having taken place, the head of the institution should, first of all, confirm the veracity of the information. If the information is found to be true, he should get an FIR registered within 24 hrs of receiving the information, or proceed according to the local law against ragging.

Administrative action on ragging incidents

As per the Anti-ragging Act-2009 rule 9.1(B), there is a provision of following punishments for the students found to be indulging in ragging:-

9.1 The institute must act against the student/s found to be guilty of ragging, as per the following procedure.

- a) The Anti-ragging Committee of the Campus shall take appropriate decision in the matter, or going by the seriousness of the ragging incident, shall recommend to the Principal, an appropriate punishment for the guilty.
- b) The Anti-ragging Committee shall take into consideration the nature and seriousness of the ragging offense and recommend any of the following punishments:-
 - I. Suspension from class attendance and other academic rights.
 - II. Suspension of scholarship and other benefits.
 - III. Stopping from appearing in any test, examination or other evaluation process.
 - IV. Stopping of the declaration of result.
 - V. Stopping from representing the institution in any regional, national or international meet, sport, youth festival etc.
 - VI. Expulsion from hostel.
 - VII. Cancellation of admission.
 - VIII. Rustication from the institution for four years.
 - IX. Expulsion from the campus for a certain period of time.

In case, the culprits are not identified, the campus may resort to collective punishment.

- c) **The appeal against the punishment awarded by the Anti-ragging Committee may be made before the following authorities:-**
 - I. The Vice Chancellor, if the institute is affiliated to the University.
 - II. The Chancellor, if the punishment has been awarded by the University.
 - III. The Chairman or the Chancellor, if the institute awarding the punishment is an institution of national importance created by an act of the Parliament.



9. SCHOLARSHIP

Objective-

The main purpose of granting scholarship to the students of the Sansthan is to encourage the students to receive Sanskrit education.

Eligibility for Scholarship

1. The regular students of the Sansthan, who have scored 40% or more marks in the last qualifying examination (50% or more marks if the student is admitted to *Shiksha Shastri & Shikshacharya*) may be considered for award of scholarship.
2. The scholarship shall be awarded on merit basis. The students, in whose favour the scholarship has been sanctioned in the first year of the course, shall continue to receive the same till the duration of the course, if they are declared pass every year and continue to be eligible for scholarship. But, if they are declared promoted in any subject or paper, or are held up for Compartment, they shall not be considered for grant of scholarship for the rest of the years of the course.
3. Eligible students from IInd or IIIrd year may also be considered for grant of scholarship, if some scholarships are available.

No. of scholarships

Subject to budgetary provisions and continuation of courses, the availability of scholarships in the various courses every year shall be as under:-

a)	PRAK-SHASTRI	25	every year
b)	SHASTRI	60	every year
c)	ACHARYA	15	every year, every subject
d)	SHIKSHA SHASTRI	50%	of the students every year
e)	SHIKSHACHARYA	50%	of the students every year
f)	VIDYAVARIDHI	15	every year

Rules for grant of scholarship

1. The grant of scholarship shall depend upon educational progress, good conduct and regular attendance.
2. The scholarship shall be granted for 10 months in a year.
3. Every year, or upon passing an examination, a fresh selection of students for the



grant of scholarship shall be made. The students who have completed their syllabus, or have passed a part of the exam, shall be awarded scholarship in the new year or course on the basis of merit.

4. A student getting scholarship on the basis of above rules shall not receive any scholarship, salary, fees etc. from any other source. If he/she is receiving such income, he/she shall have to leave that employment and return the money received. In case, he/she unexpectedly receives some prize, in cash or any other mode, equivalent to or less than the amount of his/her scholarship, he /she shall not be deemed unfit for receiving the scholarship. Similarly, he /she shall be allowed to avail of free education provided by the university, hostel facilities for self-study, books and travel facilities.

Amount of scholarship

The Monthly amount of scholarship for each programme is as under:-

1.	PRAK SHASTRI	Rs. 600
2.	SHASTRI	Rs. 800
3.	SHIKSHA SHASTRI	Rs. 800
4.	ACHARYA	Rs. 1000
5.	SHIKSHA ACHARYA	Rs. 1000
6.	VIDYA VARIDHI	Rs. 5000 (+Rs. 3000 Contingency Grant)

Note- The Contingency Grant will be paid to the research scholar upon the details of expenses submitted by the research scholar.

The Contingency Grant may be used for meeting the expenses incurred by the research scholar on purchase of books, travel in connection with research, writing and typing.

The amount of scholarships may be increased or decreased by the Sansthan any time.

The scholarships shall be disbursed only upon receipt of financial approval and the amount approved from the Sansthan. For receipt of the scholarship, 75% attendance and maintenance of discipline are a must. The scholarship may be suspended or cancelled, in case some teacher or employee of the Sansthan complains of indiscipline by the student.

The selection process for scholarship

The student must apply for scholarship on a prescribed form. After a scrutiny of the applications, the Principal shall grant approval for award of scholarship, under rules, on the basis of the merit.

**Duration of scholarship**

- a) The duration of the scholarship shall be 10 months in a session.
- b) The research scholarships shall be 2 years (24 months).
- c) Depending upon the eligibility criteria, the scholarship shall be from the first or second year to the last year of the course.
- d) The scholarship, once cancelled, shall not be resumed without the prior permission of the Sansthan.
- e) Satisfactory conduct and regular attendance are the basic conditions of the scholarship. If the attendance of a student falls below 75% in any month, in any subject, he shall not be given scholarship till the time he does not complete the mandatory 75% attendance. In case, a student remains continuously absent for 30 days, he shall be given scholarship only after deducting the amount due during the period of absence, even if the overall percentage of his attendance is above 75%.

Disbursement

Normally, the principal shall order the disbursement of scholarship amount in the first week of every month, on the recommendation of the Scholarship Committee which the committee shall make after taking into consideration the percentage of attendance by the student. The scholarship shall begin from the date the student actually starts attending the classes.

SCHOLARSHIP FOR THE RESEARCH SCHOLARS

Every year, a total of 15 of the research scholars registered at each of the various campuses are selected by the Sansthan for award of scholarships. However, the Vice Chancellor, in exercise of his special powers, may change the number of scholarships as per the special circumstances prevailing in a campus.

RESEARCH SCHOLARSHIP RULES

The research scholars who have secured 60% marks or more in their *Acharya / M.A.* (Sanskrit) examination shall, be considered for award of research scholarship as per the merit list prepared by the Sansthan. One scholarship per department in all the campuses of the Sansthan shall, initially, be available for award. The Vice Chancellor's decision in this regard shall be final.

DURATION OF THE RESEARCH SCHOLARSHIP

The duration of the research scholarship shall be for a period of 24 months, extendable by another 12 months at the recommendation of the Guide and the local Research Committee.



DISBURSEMENT OF THE RESEARCH SCHOLARSHIP

At the recommendation of the Sansthan, the disbursement of the research scholarship shall commence within three months of the registration of the research scholar through the Campuses of the Sansthan. During the period of the scholarship, the students shall not accept salary or another scholarship from any other institution or organization. In case, the research scholar is found to be in receipt of any such scholarship from any other source, it shall constitute an act of indiscipline and shall lead to cancellation of his registration. The research scholar shall also have to return the total amount of scholarship received by him till date.

The research scholar is expected to maintain the dignity of the Sansthan Campus. The discipline committee of the campus may take disciplinary action, which may include cancellation of his scholarship, against any such research scholar who is found to be guilty of improper behaviour. Repetition of the offence may lead to cancellation of registration upon the recommendation of the Local Research Committee.

10. MINIMUM PASS PERCENTAGE

The minimum pass percentage in various classes is as under:-

1. Uttarmadhyama / Prakshastri	33% per paper
2. Shastri	36% per paper
3. Acharya	36% per paper
4. Shikshashastri	50% Aggregate
5. Shikshacharya	50% Aggregate

Special rules for promotion to the next class

1. The student must pass a minimum of 50% of the papers in Shastri First and Second year and Acharya First year.
2. The student may appear again in the failed subjects, in the second year or final year.
3. From Prathama to Prakshastri, a student, who fails in two papers in the last year, may appear twice in the Anupurak Parisksha. He/she shall not get the certificate if he does not pass even after appearing in the Anupurak Pariksha twice.
4. The student, who fails in a subject in the final year of Acharya, may appear twice in the failed subject. But he / she shall get his certificate only if he /she passes the examination within five years.

Note : Guidelines regarding examination may be seen separately.



11. ARRANGEMENT OF WRITER FOR THE BLIND/STUDENTS PERMANENTLY DISABLED / HAND-FRACTURED

1. Arrangements of writer for writing exams may be made for such students who are unable to write their exams because of:-
 - a) permanent disability due to handicap;
 - b) permanent visual impairment;
 - c) fracture in the right hand, provided the medical report regarding the same from the Chief Medical Officer of a Government Hospital reaches the Controller of Examinations a day before the commencement of the examination.
2. The educational qualification of the writer should be less than the examination concerned. For example, a writer for Shastri examination should not have more than Prak Shastri or equivalent as his qualification. Similarly, a writer for Acharya examination should not have more than Shastri or equivalent as his qualification.
3. The Sansthan shall bear the expenses for providing writer to a visually impaired candidate, but all other candidates using writer services shall bear all such expenses.

12. FACILITIES TO THE STUDENTS

RAILWAY CONCESSION

There is a provision for railway fare concession to all the students registered with the Sansthan, who are travelling from the campus to home town and back. Those appearing in the final class shall be given fare concession up to home town only, and not back. The requisite forms are provided by the office upon application. The duly filled-in forms must be deposited in the office one week before the commencement of the journey. It should be noted that this concession is available only for the students who are below the age of 25 years. However, this condition and the conditions relating to holidays and hometown do not apply to research scholars who can travel as many times as needed and to any part of the country on concessional fare on the recommendations of the Head of the Department.



LIBRARY FACILITIES

There are vast and well-stocked libraries in all the campuses of the Sansthan, housing rare and ancient Sanskrit books, in addition books on modern subjects. These libraries also subscribe to book number of books and journals.

Library Rules

1. The students admitted to the Sansthan may become members of the library after depositing library caution money.
2. The books are issued for a period of 15 days after which per day fine would be applicable.
3. Rare, expensive and reference books shall not be issued.
4. In case of loss of or damage to the borrowed book, the student shall have to replace the book with another copy of the book, or pay the cost of the book under rules. The borrower must check the book he is borrowing, and report earlier damage, if any, to the issuing authority, before borrowing it.
5. The books should not be defaced or marked with pens etc.
6. The borrowed books must be returned to the library before the commencement of the exams otherwise the Examination Hall Entrance Tickets shall not be issued to the defaulting student.
7. Every member student shall be given three non-transferrable reader cards.
8. Silence must be maintained in the library.
9. The library magazines must be returned to their respective places after reading; taking them outside the library is strictly prohibited.
10. The Principal has the right to cancel the membership of any member-student, if he is found guilty of violating any rules and regulations relating to the library.
11. If required, a member student may be asked to return the borrowed books even before the expiry of the 15-day borrowing period.

LABORATORY FACILITIES

All the campuses of the Sansthan are equipped with laboratories, which include computer laboratory, psychology laboratory, educational technology laboratory and language teaching laboratory.

Laboratory rules

1. The laboratory facilities are available to all the regular students of the Sansthan.
2. Expensive equipments from the laboratory shall not be issued.



3. In case some issued equipment gets damaged or is lost, the borrower shall have to replace the same with a new one of the same type, or shall have to pay the cost of the equipment.
4. All the borrowed equipment must be returned to the laboratory before the commencement of the examination otherwise the Examination Hall Entrance Ticket shall not be issued to the defaulting student.
5. All the regular students of the Sansthan shall be issued non-transferrable Laboratory Card.
6. Silence must be maintained in the laboratories.
7. All the equipments should be put back at their proper places after use. Taking the equipment out of the laboratory without prior permission is prohibited.
8. In case, the need arises, the student may be asked to return the borrowed equipment even before the expiry of the issue period.
9. The violation of the above rules may lead to cancellation of the laboratory membership of the violator.

GYMNASIUM FACILITIES

Gymnasium facilities are available at most of the campuses of the Sansthan. These gymnasiums are equipped with modern exercise machines and gadgets, such as, dumb bells, weightplates, etc.

Gymnasium Rules

1. Silence must be maintained at the gymnasium.
2. After use, the gym equipments should kept back at their proper place
3. There should be no indiscipline at the Gymnasium.
4. No equipment shall be taken out of the gymnasium.
5. No prohibited activity, such as, smoking etc. shall be indulged in the gymnasium.
6. A companion should be present with the inmate during weight training.
7. The inmate shall have to be careful while placing the weight plate or the dumb bell on the floor, so that there is no damage to the floor or the equipment.
8. Lights and fans in the gymnasium should be switched off after use.
9. Spitting at or defacement of the premises are strictly prohibited.
10. Outsiders without proper permission are not allowed into the gymnasium.



13. HOSTEL

Hostel facilities are available almost at all the campuses of the Sansthan.

Hostel Rules

1. Mere admission to the Sansthan as student, or the fact that the student had been living in the hostel as an inmate in the previous sessions, does not confer on the student the right to admission to the Sansthan hostel.
2. The re-admission of an ex-inmate to the hostel shall depend on his conduct, and dedication to studies and discipline. In such cases, the recommendation of hostel superintendant shall be must.
3. The process of re-admission of the ex-inmate shall be the same as is followed in the new admission cases.
4. The students shall be admitted to the hostel only when they deposit the prescribed entrance fee, hostel fee, mess fee and security fee. These fees shall be decided by the Principal of the concerned campus.
5. The hostel fees shall be deposited on annual basis.
6. The students hailing from far off places and exceptional educational achievements shall be given preference in hostel admission.
7. The fresh students shall be given preference over the old students in hostel admission.
8. The security amount deposited at the time of the admission shall be returned at the end of the academic session only when there has been no damage, breakage or loss to the hostel property.
9. The inmate shall have to live only in the room allotted to him by the hostel authorities.
10. Any change in the allotted room shall be possible only with the permission of the hostel authorities.
11. The hostel discipline must be strictly followed.
12. The hostel inmate must not indulge in any activity which may cause inconvenience to the other inmates of the hostel.
13. The hostel gates shall remain closed from 9:00 p.m. to 5:30 a.m. and during this period no person shall be allowed to enter or exit from campus without permission from the hostel warden.



14. The inmates shall have to keep the hostel premises and their rooms neat and clean.
15. Non-vegetarian food is prohibited in the hostel.
16. Smoking, drinking and use of narcotics and intoxicating drugs are strictly prohibited. Strict disciplinary action shall be taken against the violators.
17. Wastage of water and electricity is strictly prohibited. The inmates must turn off water taps and switch off electric switches after use.
18. Use of electric gadgets like electric iron, heater, heat convector, geyser, radio, sound system, television, VCR, VCD etc. is strictly prohibited and should not be kept in the hostel rooms.
19. The guests of the inmates shall not be allowed to stay in the hostel rooms. The guests can stay in the guest room of the hostel against a payment of Rs. 50/-, provided the guest room is available and a prior permission for the same has been obtained from the hostel warden. Stay in the guest room should not be considered as a matter of right. The guests shall not be allowed to stay in the guest room for more than three days in a month.
20. Arrival of the guest should be entered in the guest register at the gate.
21. It shall be compulsory for the hostel inmates to attend their classes, and the conference, seminars and other functions organized by the campus from time to time. Disciplinary action shall be taken against those who would be found in the hostel while the above-mentioned activities are going on in the campus.
22. The hostel inmates shall have to participate in the various social and cultural activities being organized at the campus/hostel.
23. Except the inmates, no other student shall be allowed to stay in the hostel at any time.
24. The hostel inmate must not keep expensive items, or cash in the hostel room.
25. The hostel inmate must not keep any banned or prohibited item, such as, weapons etc. in his room.
26. The inmates shall not damage any article of furniture provided by the Sansthan. He shall have to make pay for the damage caused, if any.
27. In case of any difficulty, problem or complaint, the inmate must contact the hostel warden and must never take the law in his own hand.
28. The warden/deputy warden may conduct an inspection of the hostel any time.



29. Undesirable behaviour and indiscipline may lead to cancellation of an inmate's hostel admission.
30. For the smooth conduct of hostel activities, the warden/deputy warden may depute any inmate as caretaker of newspaper, hostel television etc.
31. At the end of the academic session the inmate must vacate the room allotted to him/her and return the key of the room to the hostel warden.
32. The hostel inmate must produce receipts of the various fees paid by him, whenever he is asked to do the same.
33. The hostel inmates must never leave the hostel without written permission from the hostel warden/deputy warden. If an inmate remains absent from the hostel for more than 15 days, his allotment shall be cancelled.

14. CAMPUS COMMITTEES

For the smooth and well-organized conduct of annual activities in all the campuses of the Sansthan, the following committees should be constituted. However, some sub-committees may also be constituted, if required.

1. Admission Committee
2. Discipline Committee
3. Hostel Committee
4. Library Committee
5. Academic and Sports Competition Committee
6. Cultural, Shastriya and Arts Committee
7. Scholarship Committee
8. Examination Committee
9. Magazine Publication Committee
10. Anti-ragging Committee
11. Teacher-parent Advisory Committee
12. Planning, Project and Development Committee
13. Purchase and Sales, Auction, Printing and Photography Committee
14. Verification Committee (for books, store, furniture, fixtures, stationery etc.)
15. Committee for the Handicapped, minorities.



16. Human rights and Anti Sexual Harassment.
17. Personality Development, Employment and Placement Advisory Committee
18. RTI Cell
19. Local Research Committee
20. National Service Scheme Committee
21. Press, printing, advertisement, Information and Public Relations Committee
22. Transparency and Vigilance Committee
23. Student Welfare Fund Committee

15. ACADEMIC CALENDAR (2015-16)

May 2015

- Advertisement in the last week of May

June 2015

- Entrance Test for Park Shastri/Shastri 1st Year – 17th June, 2015
- Yoga Diwas – 21st June, 2015
- Result (Prak Shastri/Shastri 1st Year) – 25th June, 2015
- Classes for Newly Admitted old Students – 26th June, 2015

July 2015

- Date of Applications (Admission Forms) for all Regular Courses – 16th June, 2015 to 31st July, 2015
- Last Admission date without late fee – 14th July, 2015
- Last Admission date with late fee of Rs.100/- – 31st July, 2015

August 2015

- Sanskrit Saptah (Sanskrit Week) – 24th to 29th August, 2015

September 2015

- Hindi Pakhwada – 15th to 29th September, 2015

October 2015

- State level Shashtra Competitions for selections for All India Elocution Contest – 1st to 10th October, 2015
- Swacchata Diwas – 2nd October, 2015
- Durgapooja Holidays – 26th October, 2015
- Rashtriya Ekta Diwas (Sardar Patel Jayanti) – 31st October, 2015

**November 2015**

- Youth Festival – 30th Oct. to 2nd November, 2015
- Rashtriya Shiksha Diwas – 11 November, 2015
(Maulana Ajad Janam Diwas)

December 2015

- Semester Examinations (Semester I/III/V) – 8th to 24th December, 2015
- Good Governance Day – 25th December, 2015
- All India Elocution Contest – 28th to 31st December, 2015
- Winter Break (5 Days) – 28th Dec. to 1st January, 2016

January 2016

- All India Inter University Youth Festival – January, 2016
- Reopening after winter vacation – 4th January, 2016

February 2016

- Practical Examinations for Shiksha Shastri final Teaching – 2nd to 13th February, 2016
- Vasantotsav – 18th to 20th February, 2016
- Matri Bhasha Diwas – 21st February, 2016

March 2016

- Preparation for Examination

April 2016

Annual Examination (Annual Stream) – 16th to 30th April, 2016

(Purva Madhyam 1st/2nd/Prak Shastri 1st/2nd/Uttar Madhyama 1st/2nd/Shastri 1st/2nd/3rd/Acharya 1st/2nd/Shiksha Shastri and MSP All Classes)

- All School level classes – PM-I/II, UM-I/II – 16th to 23rd April, 2016
- College level – Shastri 1st/2nd/3rd, Acharya 1st/2nd, Shiksha Shastri


May 2016

- Semester Examinations (Semester (II/IV/VI) – 22nd April to 6th May, 2016
- Submission of Internal Assessment Marks – 25th April, 2016
(Annual and 2nd, 4th & 6th Semester)
- Last Date of Submission of M.Ed. Dissertations – 25th April, 2016
(no extension will be given)
- Last working day – 6th May, 2016
- Summer vacation for all Teaching Staff – 9th May to 16th June, 2016

June 2016

- Re-Opening after Summer Vacation – 16th June, 2016

(Note: Dates mentioned above are subject to change, in case of special circumstances.)



**CAMPUSES
OF
RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN**

**GANGANATH JHA CAMPUS, ALLAHABAD (U.P.)****INTRODUCTION**

Ganganath Jha Research Institute was established on the beautiful land of Prayag, Teerthas situated on the holy confluence of the three of the holiest of rivers of India, namely, the Ganga, the Yamuna and the Saraswati, on November 17, 1943, by such illustrious personalities as Mahamana Pt. Madan Mohan Malviya, Dr. Sir Tej Bahadur Sapru, Dr. Bhagwan Dass, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Justice Shri Kamalakant Verma, Dr. Gopinath Kaviraj, Dr. Amar Nath Jha, Dr. Ishwari Prasad, Dr. Babu Ram Saxena, Lt. Governor Aditya Nath and their followers, disciples and other family members on the second death anniversary of Dr. Ganga Nath Jha.

On April 1, 1971, this Institute was taken over by Rashtriya Sanskrit Sansthan as one of its constituent campuses, and as such, came to be called 'Ganganath Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha. After the Sansthan getting the status of a deemed university, this campus was renamed as Ganganath Jha Campus. **This campus is a dedicated to research work in all the different branches of Sanskrit learning.**

PRINCIPAL (I/c)**PROF. SHAIL KUMARI MISHRA**

09936517021

ACADEMIC DEPTMENTS**Department of Vyakaran****Head** Prof. Lalit Kumar Tripathi 09389428935**Department of Sahitya****Head** Prof. Shail Kumari Mishra 09936517021**Department of Dharmashastra****Head** Prof. Ram Krishna Pandey (PARAMHANS) 09415813075**Department of Mimansa****Head** Prof. Subraya V. Bhatt 09449160458**Department of Puranaitihasa****Head** Dr. Shailja Pandey 09451179728



PUBLICATIONS

USHATI – Annual House Magazine

JOURNAL OF GANGANATH JHA CAMPUS – Bi-annual research journal

SPECIAL FEATURES

1. **Acharya Mandan Mishra Memorial Lecture series**
2. **Museum of Manuscripts**
3. **Editing/translation/publication of rare Sanskrit *Matrikas*/books.**
4. **Special activities**
 - a) **Manuscript Collection**
 - b) **Preservation – listing**
 - c) **Scanning**

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

(Deemed University)

GANGANATH JHA CAMPUS

Chandra Shekhar Azad Park, Allahabad - 211001

Uttar Pradesh

Ph. No. 0532-2460957, Fax No.: 0532-2460956

E-mail: principal.ald@gmail.com, rksalld@gmail.com

**SHRI RANBIR CAMPUS, JAMMU (J&K)****INTRODUCTION**

On April 1, 1971, Rashtriya Sanskrit Sansthan took over Shri Raghunath Sanskrit Mahavidyalaya which was established by Maharaja Ranbir Singh, the then ruler of the state of Jammu and Kashmir, in the nineteenth century, about 135 years ago, for the promotion and propagation of traditional Sanskrit knowledge. On takeover, it was given a new name – Shri Ranbir Kendriya Sanskrit Vidyapeetha. On May 2, 2002, with the Rashtriya Sanskrit Sansthan getting the status of the largest multi-campus Sanskrit university, it came to be called Shri Ranbir Campus, Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University), Jammu. The Campus is stands on a plot of land measuring 84 kanals.

PRINCIPAL**PROF. RAMANUJA DEVANATHAN**

08769221221

ACADEMIC DEPARTMENTS**Department of Vyakarana**

Head Prof. Hari Narayan Tiwari 9596750440

Department of Sahitya

Head Dr. Satish Kumar Kapoor 9419117304

Department of Jyotish

Head Dr. P.K. Mahapatra 9425682271

Department of Education

Head Dr. Nagendra Nath Jha -----

Department of Veda

Head -----

Department of Darshan

Head Dr. (Mrs.) Sabitri Shatapathy 9419267982

Department of Modern Subjects

Head Sh. Sharat Chander Sharma 9419183108



STUDENTS AMENITIES AND SPECIAL FEATURES

- **Hostels**
 - Girls Hostel – 48 seats
 - Boys Hostel – 120 seats
 - Mess (In both hostels, separately)
- **Gymnasium**
- **SHRI VAISHNAVI** – Annual House Magazine
- **SHIKSHA AMRITAM** – Annual Magazine of Department of Education
- **Kashmir Shaiv Darshan Project**
- **Planetarium**

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

(Deemed University)

SHRI RANBIR CAMPUS

Kot Bhalwal, Jammu – 181122

Jammu and Kashmir

Ph. No. 0191-2623533, 2623090

E-mail: ranbirjmu@gmail.com

**SHRI SADASHIV CAMPUS, PURI (ODISHA)****INTRODUCTION**

On August 15, 1971, Rashtriya Sanskrit Sansthan took over Shri Sadashiv College, Puri, which was being run by the state government, and had been engaged in academic activities in traditional Sanskrit since the late nineteenth century. After the takeover, it was renamed as Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Puri. After getting the deemed university status, it is now known as Rashtriya Sanskrit Sansthan, Shri Sadashiv Campus, Puri. The academic activities of the campus are being conducted in a building complex, constructed on a piece of land measuring 4.78 acres.

PRINCIPAL**PROF. G. GANGANNA**

09437073758

ACADEMIC DEPARTMENTS**Department of Vyakarana**

Head Prof. Hare Krishna Mahapatra 8342042785

Department of Sahitya

Head Prof. Suryamani Rath 9439000066

Department of Sarvadarshan

Head Prof. Sukant Kumar Senapati 9937427094

Department of Advaitavedanta

Head Dr. C.H.N.V. Prasadarao 8895342862

Department of Sankhyayoga

Head Sh. Ashok Kumar Meena 9776302245

Department of Puranaitihasa

Head Prof. (Mrs.) Minati Rath 9861410149

Department of Education

Head Dr. Nirmala Panigrahi 9937370774

Department of Navya Nyaya

Head Dr. Mahesh Jha 9437180777

Department of Jyotish

Head Dr. V.K. Nirmal 9855035414



Department of Dharmashastra

Head Prof. Atul Kumar Nanda

9861189655

Department of Modern Subject

Head -----

STUDENTS AMENITIES AND SPECIAL FEATURES

- **Hostels**
 - Girls Hostel – 200 seats
 - Boys Hostel – 100 seats
 - Mess (In both hostels, separately)
- **PAURNAMASI – Annual House Magazine**
- **SADASHIVA SANDESH – Quarterly News Magazine**
- **Jagannatha Encyclopaedia Project**

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

(Deemed University)

SHRI SADASHIV CAMPUS

Puri – 752001 Odisha

Ph. No. 06752-223439

email : sadashivacampus@ortel.net

principalpuri2009@gmail.com

**GURUVAYUR CAMPUS, TRISSHUR (KERALA)****INTRODUCTION**

Sahityadeepika Sanskrit Vidyapeetha was taken over by Rashtriya Sanskrit Sansthan on July 16, 1979. After the conferment of the status of deemed university on the Rashtriya Sanskrit Sansthan on May 7, 2002, the campus was re-named as Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University), Guruvayur Campus. Its main premises is situated in Puranattukara region. It is built on an allotted plot of land measuring 14 acres. It is 11 kilometers from Trichur Railway Station on Guruvayur Temple road. 15 kilometers away, the campus also has another centre at 50 Cent Border land in Poverty, which is being used as Muktaswadhyapeetha, Non-formal Sanskrit Learning Centre, Correspondence Education for Sanskrit and Manuscript Collection Centre. This building has been named as "P.T. Kuriokos Memorial Building" in the memory of the founder of Guruvayur Sahityadeepika Sanskrit Vidyapeetha.

PRINCIPAL (I/C)**PROF. C. L. N. SHARMA**

09446937208

ACADEMIC DEPARTMENTS**Department of Vyakarana**

Head Prof. C. L. Cicily 09446761837

Department of Sahitya

Head Prof. P. C. Muralimadhavan 09446511808

Department of Advait-vedanta

Head Dr. R. Pratibha 04872309682

Department of Nyaya

Head Dr. Bala Murugan 08714496779

Department of Education

Head Dr. K. K. Shine 09605717592

Department of Modern Subjects

Head Dr. S.V. Ramanamurti 09895767633



STUDENTS AMENITIES AND SPECIAL FEATURES

- **Hostels**
 - Girls Hostel – 120 seats
 - Boys Hostel – 120 seats
 - Mess (In both hostels, separately)
- **Gymnasium** – in both Hostels
- **GURUDEEPIKA** – Annual House Magazine
- **NIBANDHAMALA** – Annual Research Journal
- Departmental Magazines of Departments of Vyakaran and Sahitya
- **Vakyaartha Parishad**
- **P. T. Koriokos Master International Lecture Series**
- **Sale Section** – courtesy, Parent-Teacher Council

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN
(Deemed University)
GURUVAYUR CAMPUS

P.O. Purnatukkara, Trissur – 680051, Kerala
Ph. No.: 0487-2307208 Telefax: 0487-2307608
email : rss.guruvayoor@gmail.com

**JAIPUR CAMPUS, JAIPUR (RAJASTHAN)****INTRODUCTION**

Jaipur has a long and ancient tradition of Sanskrit studies. The efforts made here in the field of Sanskrit learning have earned the city the honour of being hailed as the "Second Kashi".

The Government of India established Kendriya Sanskrit Vidyapeetha under Rashtriya Sanskrit Sansthan on 13 May, 1983. The Vidyapeetha came to be known as the Jaipur Campus of Rashtriya Sanskrit Sansthan when the latter was accorded the Deemed University status. As a happy result of expert conduct, excellent quality and efforts of the faculty, more than one thousand students are pursuing academic and research activities here. The campus had a made name for itself in academic, cultural and sports activities. In a self-constructed building on a 7.26 acre piece of land allotted by Jaipur Development Authority in Triveni Nagar, Jaipur Campus is engaged in carrying forward the tradition of academic excellence.

PRINCIPAL**DR. PRAKASH PANDEY**

0141-2761115

ACADEMIC DEPARTMENTS**Department of Vyakarana**

Head	Prof. Shiv Kant Jha	8952884643
------	---------------------	------------

Department of Sahitya

Head	Prof. Ram Kumar Sharma	9462864307
------	------------------------	------------

Department of Jyotish

Head	Prof. Vasudev Sharma	-----
------	----------------------	-------

Department of Dharmashastra

Head	Prof. Bhagwati Sudesh	941488976
------	-----------------------	-----------

Department of Education

Head	Prof. Sohan Lal Pandey	9414457029
------	------------------------	------------

Department of Sarvadarshan

Head	Prof. Vaidya Nath Jha	8955634298
------	-----------------------	------------

Department of Jain Darshan

Head	Prof. Shryansh Kumar Singhai	9509846622
------	------------------------------	------------

Department of Veda

Head	-----	-----
------	-------	-------

**Department of Modern Subjects**

Head Prof. Omprakash Badana -----

STUDENTS AMENITIES AND SPECIAL FEATURES

- **Hostels**
 - Girls Hostel – 60 seats
 - Boys Hostel – 60 seats
 - Mess (In both hostels, separately)
- **Gymnasium**
- **Jyotish lab**
- **JAYANTI – Annual House Magazine**
- **SHIKSHA SANDESH – Annual Magazine of Department of Education**
- **Prakrit Study and Research Centre**
- **National Service Scheme**
- **Seven-day Annual Yoga Camp**

ADDRESS AND PHONE NUMBERS**RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN**

(Deemed University)

JAIPUR CAMPUS

Triveni Nagar, Gopalpura Bypass

Jaipur – 302018, Rajasthan

Ph. No. 0141-2761115 (Off.)

0141-2761236 (Principal) 0141-2760686

email : principaljp.in@gmail.com

**LUCKNOW CAMPUS, LUCKNOW (U.P.)****INTRODUCTION**

Rashtriya Sanskrit Sansthan, under the auspices of Ministry of Human Resource Development, Government of India, established this campus in Lucknow, capital of Uttar Pradesh, on August 2, 1986, as Kendriya Sanskrit Vidyapeetha. After the Sansthan being declared to be a deemed university in May, 2002, this institution rededicated itself to its goals as Rashtriya Sanskrit Sansthan, Lucknow Campus, Lucknow. Today, Lucknow Campus is a centre of Oriental as well as other Shastriya studies. This campus holds a special place in this city of Avadh region, which is a region characterized by the development of Indian culture, national integration, and peaceful co-existence of religions. At present, situated in Vishal Khand of Gomati Nagar, on a plot of land measuring ten acres, equipped with academic and office blocks, three hostels, staff-quarters, theatre, and play ground, this campus is achieving new miles stones of progress.

PRINCIPAL (I/C)**PROF. SURENDRA PATHAK**

0522-2393748

ACADEMIC DEPARTMENTS**Department of Vyakarana**

Head Prof. Surendra Pathak 0945046620

Department of Sahitya

Head Dr. Ram Lakhan Pandey 09532100121

Department of Jyotish

Head Prof. Madan Mohan Pathak 09455437066

Department of Education

Head Prof. Lokmanya Mishra 09451170646

Department of Bauddhadarshan

Head Prof. Vijay Kumar Jain 09415789445

Department of Veda

Head -----

Department of Modern Subjects

Head Prof. Shishir Kumar Pandey 09415280494



STUDENTS AMENITIES AND SPECIAL FEATURES

- **Hostels**
 - Girls Hostel – 63 seats
 - Boys Hostel – 180 seats
 - Mess (In both hostels, separately)
- **Gymnasium**
- **Arrangement for teaching of Classical Music**
- **GOMATI – Annual House Magazine**
- **GYANAYANI – Quarterly Research Journal (from teachers)**
- **BHASKARODAYA – Annual Research Journal on Astrology**
- **SHRI JAGANNATHA PANCHANGAM**
- **Pali Study and Research Centre**

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN
(Deemed University)
LUCKNOW CAMPUS

Vishal Khand-4, Gomati Nagar, Lucknow- 226010
Uttar Pradesh

Ph. No. 0522-2393748, 0522-2304063

Fax No. 0522-2302993, 0522-2992668 (Principal's Residence)

email : rskslucknow@yahoo.com

**RAJEEV GANDHI CAMPUS, SRINGERI (KARNATAKA)****INTRODUCTION**

Rashtriya Sanskrit Sansthan, under the auspices of Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, established Shri Rajeev Gandhi Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, as one of its constituent units, in Shringeri, on January 13, 1992. When the Sansthan was accorded the Deemed University status, this Vidyapeetha came to be known as Rashtriya Sanskrit Sansthan, Shri Rajeev Gandhi Campus, Shringeri. A piece of land, measuring 10.2 acres, was allotted to the Campus in Menase, Shringeri in Chikmagalur District by the Government of Karnataka. The campus is 110 kms from Mangaluru, 370 kms. from Bangaluru, 90 kilometers from Uduppi, and 110 kilometers from Shimoga Junction. Shimoga junction is connected with the capital Bangaluru by rail. One can travel from all other places by road.

PRINCIPAL(I/C)**PROF. A. P. SACHIDANANDA**

08265251763

ACADEMIC DEPARTMENTS**Department of Vyakarana**

Head Prof. C.S.S.N. Murti 09448417282

Department of Sahitya

Head Dr. Raghavendra Bhat 09448971469

Department of Jyotish

Head Dr. Ishwar Bhat 09448344641

Department of Education

Head Prof. A.P. Sachidananda -----

Department of Mimansa

Head Dr. Surya Narayan Bhat 09449541822

Department of Vedant

Head Prof. Mahabaleshwar P. Bhat 09448688498

Department of Nyaya

Head Prof. K. E. Madhusudanan 09535538928

Department of Modern Subjects

Head -----



STUDENTS AMENITIES AND SPECIAL FEATURES

- **Hostels**
 - Sharada Girls Hostel – 80 seats
 - Rishyashringa Boys Hostel – 120 seats
 - Mess (In both hostels, separately)
- Arrangement for Sharada Prasad – with the grace of Mahaswami Shri Bharati Teertha ji, there is a daily arrangement for Sharada Prasad (free meals) for all the students of the campus.
- **Vajrini Gymnasium**
- **SHARADA** – Annual House Magazine
- **SHIKSHA AMRITAM** – Annual Magazine of Department of Education
- **Shri Rajeev Gandhi International Memorial Lecture series**
- **Shri Shri Bharati Teerth Mahaswami Shastrartha Sabha**
- **Vakyartha Council**
- **Shri Sharada Special Lecture Series**

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

(Deemed University)

SHRI RAJEEV GANDHI CAMPUS

Menase, Shringeri– 577139

Chikmanglur (Karnataka)

Ph. No. 08265-250258

Fax: 08265-251763

E-mail: principal_rgc@hotmail.com

**VEDAVYASA CAMPUS, BALAHAR (H.P.)****INTRODUCTION**

In the golden jubilee year of India's independence, one of the campuses of Rashtriya Sanskrit Sansthan, an autonomous institution under the auspices of Ministry of Human Resource Development, Government of India, was established in Garli Village of Kangra District on 16.09.1997. At present, this campus is known as Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University), Shri Vedavyasa Campus, which is now being run from its newly constructed premises at Balahar Village, on the bank of the river Vyas, in Tehsil Dehra.

It is worth mentioning that being situated in a rural area, this campus is in a better position to develop and contribute significantly in the promotion and propagation of Sanskrit language. This campus is endeavouring to connect the local populace with Sanskrit.

PRINCIPAL (I/C)**PROF. LAKSHMI NIWAS PANDEY**

09816400536

ACADEMIC DEPARTMENTS**Department of Vyakarana**

Head

Prof. K.V. Somaiyyajulu

9692046726

Department of Sahitya

Head

Department of Jyotish

Head

Dr. P.V. B. Subrahmanyam

9805034336

Department of Education

Head

Dr. Ganesh Shankar Vidyarthi

9805048310

Department of Modern Subjects

Head

Prof. Gajendra Prakash Sharma

STUDENTS AMENITIES AND AMENITIES**• Hostels**

- Girls Hostel – 48 seats



- Boys Hostel – 49 seats
- Mess (In both hostels, separately)

- **Campus Transport**
- **VED VIPASHA – Annual House Magazine**
- **VYAS VANI – Annual Magazine of Department of Education**
- **PRACHI PRAGYA – On-line Sanskrit Magazine (by teachers)**
- **Women Study Centre**
- **Jyotish Project**

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN
(Deemed University)
SHRI VED VYAS CAMPUS, GARLI
Balahar, Kangra - 177108
Himachal Pradesh
Telefax: 01970-245409
E-mail: principal.garli@gmail.com

**BHOPAL CAMPUS, BHOPAL (M.P.)****INTRODUCTION**

Rashtriya Sanskrit Sansthan, Bhopal Campus, is situated in Madhya Pradesh. There are many historical, cultural, educational, and tourism centres in the state. This campus was established in 2002 and was inaugurated by the then Governor of the state, Bhai Mahavir, on 16.09.2002. The campus has been running its academic activities from a building constructed on a plot of land allotted by the State Government. The hostels, however, are being run in rented buildings.

PRINCIPAL (I/C)**PROF. VIDYANAND JHA**

0755-2418043

ACADEMIC DEPARTMENTS**Department of Vyakaran**

Head	Dr. Subodh Sharma	094072718590
------	-------------------	--------------

Department of Sahitya

Head	Dr. Sanandan Tripathi	-----
------	-----------------------	-------

Department of Jyotish

Head	Prof. Bharat Bhushan Mishra	08085876897
------	-----------------------------	-------------

Department of Education

Head	Prof. Prabha Chaudhary	-----
------	------------------------	-------

Department of Modern Subjects

Head	-----	-----
------	-------	-------

STUDENTS AMENITIES AND SPECIAL FEATURES

- **Hostels**
 - Dakshi Girls Hostel – 108 seats
 - Kavibhaskar Boys Hostel – 331 seats
 - Mess (In both hostels, separately)
- **Auditorium** – Bhavabhuti Auditorium
- **Open Air Theatre** – Bharat Rang Mandap



- **Gymnasium**
- **RASHTRI – Annual House Magazine**
- **SHASTRA MIMANSA – Research Journal**
- **BHOJARAJA PANCHANGAM**
- **Natyashastra Kendra (Dramatics Centre)**
- **Sanskrit Teaching Research Survey Project**
- **Language / Dialect Dictionary from Bundeli to Sanskrit**

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

(Deemed University)

BHOPAL CAMPUS

Sanskrit Marg, Baghsewaniya, Bhopal - 462043

Madhya Pradesh

Ph. No. 0755-2418043

Fax: 0755-2418003

E-mail: rsks_bhopal@yahoo.com



K. J. SOMAIYYA SANSKRIT VIDYAPEETHA, MUMBAI (MAHARASHTRA)

INTRODUCTION

As a result of the pure resolution and good efforts of K. J. Somaiyya Trust, for the promotion and propagation of Arya traditions, combining new practices and new approaches with traditional knowledge, this vidyapeetha was established in Mumbai, the financial capital of India. Somaiyya Trust has made available a valuable piece of land, measuring one acre, for construction of Campus building in Somaiyya Vidyavihar. All the formalities relating to the construction of the building are complete.

At present, the administrative and library are operating from Polytechnic Block and academic, training, research activities are being conducting in Chanakya Building and Suruchi (Arts Building). Mumbai Campus has earned a good name for itself in the field of traditional and modern scholarship.

PRINCIPAL (I/c)

PROF. M. CHANDRA SHEKHAR

09769584349

ACADEMIC DEPARTMENTS

Department of Vyakaran

Head Prof. Prakash Chandra 9892171085

Department of Sahitya

Head Dr. Narayan E.R 9167081556

Department of Education

Head Prof. Madan Mohan Jha 9004904059

Department of Modern Subjects

Head -----

STUDENTS AMENITIES AND SPECIAL FEATURES

- **Hostels**
Separate hostels for Boys and Girls are available.
➤ Mess
- Gym and playground facilities are available at Somaiyya Vidyavihar for Vidyapeetha students.



- **VIDYARASHMIH** – Annual House Magazine
- **VIDYASHRIH** – Half-yearly Magazine
- **SHIKSHARASHMIH** – Annual Magazine of Department of education
- **Vocational Training Centre**
- **Museum of Scientific Traditions in Sanskrit**

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

(Deemed University)

K. J. Somaiyya Vidyapeetham

S.Y. M.S.R Bhawan, Vidyavihar,

Mumbai - 400077

(Maharashtra)

Ph. No.: 022- 21025452

Fax No.: 022 - 21025452

E-mail: rsksmumbai@yahoo.com

**EKALAVYA CAMPUS, AGARTALA (TRIPURA)****INTRODUCTION**

In order to revive, promote and propagate the ancient Indian culture and the great traditions of Sanskrit in this remote north-eastern region of India, Rashtriya Sanskrit Sansthan started this Campus in Swami Vivekanand Mahavidyalaya on June 4, 2013. At present, the Government of Tripura has made available the vacant Old I.A.S.E building in the centre of Agartala for running of Ekalavya Campus. The academic activities of the campus shall be conducted in this building in the session 2014-15.

PRINCIPAL (I/C)**PROF. K.B. SUBBARAYUDDU**

09485138286

ACADEMIC DEPARTMENTS**Department of Vyakaran**

Head -----

Department of Sahitya

Head Dr. Kripashankar Sharma

09402122128

Department of Jyotish

Head Dr. Arun Kumar

09485146234

Department of Education

Head Dr. Shri Govind Pandey

09485138657

Department of Dharmashastra

Head Prof. Lalit Sahu

08414922775

Department of Advait Vedant

Head Prof. K.V. Subbarayudu



Department of Modern Subjects

Head -----

AMENITIES FOR STUDENTS

• **Hostels**

- Hostels for Boys and Girls are available.

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

(Deemed University)

EKALAVYA CAMPUS

Old IASE Building, Near Buddha Temple,
Radhanagar Bus Stand

Agartala – 799006, Tripura

Ph. No. - 0381-2907855

Fax No. - 0381-2907859

E-mail: eklavayacampus.rsks@gmail.com

Website : www.eklavayacampusrsks.in

परिशिष्ट - (i)

परिसरों में स्वीकृत ऐच्छिक आधुनिक व शास्त्रीय विषयों का विवरण

क्र. सं.	परिसर	प्राक्-शास्त्री		शास्त्री		आचार्य
		आधुनिक विषय	शास्त्रीय विषय	आधुनिक विषय	शास्त्रीय विषय	
1.	जम्मू	डोगरी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास	व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, वेद	डोगरी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास	नव्यव्याकरण, साहित्य, सर्वदर्शन, वेद, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष	नव्यव्याकरण, साहित्य, सर्वदर्शन, वेद, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष
2.	पुरी	उड़िसा, इतिहास, हिन्दी	व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन	उड़िया, इतिहास, हिन्दी	नव्यव्याकरण, साहित्य, पुराणेतिहास, अद्वैत वेदान्त, सांख्ययोग, धर्मशास्त्र, नव्यन्याय सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष	नव्यव्याकरण, साहित्य, पुराणेतिहास, अद्वैत वेदान्त, सांख्य योग, धर्मशास्त्र, नव्यन्याय सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष
3.	त्रिचूर (केरल)	मलयालम, इतिहास	व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन	मलयालम, इतिहास	नव्यव्याकरण, साहित्य, अद्वैत वेदान्त मीमांसा, नव्यन्याय, फलितज्योतिष	नव्यव्याकरण, साहित्य, अद्वैत वेदान्त मीमांसा, नव्यन्याय, फलितज्योतिष
4.	जयपुर	राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र	व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, वेद	राजनीतिशास्त्र, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र	नव्यव्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, वेद, जैनदर्शन, सर्वदर्शन, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष	नव्यव्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, वेद, जैनदर्शन, सर्वदर्शन, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष
5.	लखनऊ	राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र	व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन	राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र	नव्यव्याकरण, साहित्य, बौद्धदर्शन, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष, वेद	नव्यव्याकरण, साहित्य, बौद्धदर्शन, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष, वेद
6.	शुंगेरी	कन्नड, इतिहास	व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन	राजनीतिशास्त्र, इतिहास	नव्यव्याकरण, साहित्य, अद्वैत वेदान्त, मीमांसा, नव्यन्याय, फलितज्योतिष	नव्यव्याकरण, साहित्य, अद्वैत वेदान्त, मीमांसा, नव्यन्याय, फलितज्योतिष
7.	वेदव्यास (हिमाचल प्रदेश)	इतिहास, अर्थशास्त्र	व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन	राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र	नव्यव्याकरण, साहित्य, अद्वैत वेदान्त, मीमांसा, फलितज्योतिष	नव्यव्याकरण, साहित्य, अद्वैत वेदान्त, मीमांसा, फलितज्योतिष

क्र. सं.	परिसर	प्राक्-शास्त्री		शास्त्री		आचार्य
		आधुनिक विषय	शास्त्रीय विषय	आधुनिक विषय	शास्त्रीय विषय	शास्त्रीय विषय
8.	भोपाल	राजनीतिशास्त्र, इतिहास	व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष	राजनीतिशास्त्र, इतिहास,	नव्यव्याकरण, साहित्य, जैनदर्शन, वेद, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष	नव्यव्याकरण, साहित्य, जैनदर्शन, वेद, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष
9.	मुम्बई	राजनीतिशास्त्र	व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष	राजनीतिशास्त्र	नव्यव्याकरण प्राचीन व्याकरण, साहित्य, फलितज्योतिष	नव्यव्याकरण प्राचीन व्याकरण, साहित्य, फलितज्योतिष
10.	अगरतला	बांग्ला, राजनीतिशास्त्र	व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन	बांग्ला, राजनीतिशास्त्र	नव्यव्याकरण, साहित्य, अद्वैत वेदान्त, मीमांसा, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष, बौद्धदर्शन, धर्मशास्त्र	नव्यव्याकरण, साहित्य, अद्वैत वेदान्त, मीमांसा, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष, बौद्धदर्शन, धर्मशास्त्र
11.	इलाहाबाद	इस परिसर में केवल अनुसंधान, पाण्डुलिपि संरक्षण एवं सम्पादन कार्य संचालित होता है।				

- शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम इलाहाबाद परिसर को छोड़कर शेष सभी परिसरों में संचालित होता है।
- शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम केवल जम्मू, जयपुर, भोपाल एवं पुरी परिसर में संचालित होता है।

ANNEXURE (i)

Subjects (Modern and Traditional) Approved in All the Campuses

S. No.	Campus	Prak-Shastri		Shastri		Acharya
		Modern Subjects	Traditional Subjects	Modern Subjects	Traditional Subjects	Traditional Subjects
1.	Jammu	Dogri, Political Science, History	Vyakaran, Sahitya Jyotish, Darshan, Veda	Dogri, Political Science, History	NavyaVyakaran, Sahitya, Sarvadarshan, Veda, Sidhanta Jyotish, Falit Jyotish	NavyaVyakaran, Sahitya, Sarvadarshan, Veda, Sidhanta Jyotish, Falit Jyotish
2.	Vedvyas (H.P.)	History, Economics	Vyakaran, Sahitya Jyotish, Darshan	History, Economics,	NavyaVyakaran, Sahitya, Falit Jyotish Adwait Vedant	NavyaVyakaran, Sahitya, Falit Jyotish, Adwait Vedant
3.	Lucknow	Political Science, Economics	Vyakaran, Sahitya Jyotish, Darshan	Political Science, Economics	NavyaVyakaran, Sahitya, Budhadarshan, Sidhanta Jyotish, Falit Jyotish, Veda	NavyaVyakaran, Sahitya, Budhadarshan, Veda, Sidhanta Jyotish, Falit Jyotish, Veda
4.	Bhopal	Political Science, History	Vyakaran, Sahitya Jyotish	Political Science, History,	NavyaVyakaran, Sahitya, Jaindarshan, Veda, Sidhanta Jyotish, Falit Jyotish	NavyaVyakaran, Sahitya, Jaindarshan, Veda, Sidhanta Jyotish, Falit Jyotish
5.	Jaipur	Political Science, Sociology	Vyakaran, Sahitya Jyotish, Darshan, Veda	Political Science, Hindi Literature, English Literature, Sociology	NavyaVyakaran, Sahitya, Sidhanta Jyotish, Falit Jyotish Veda, Jaindarshan, Sarvadarshan, Dharmashastra	NavyaVyakaran, Sahitya, Sarvadarshan, Veda, Sidhanta Jyotish, Falit Jyotish, Veda
6.	Mumbai	Political Science	Vyakaran, Sahitya Jyotish	Political Science	NavyaVyakaran, Pracheen Vyakaran, Sahitya, Falit Jyotish	NavyaVyakaran, Sahitya, Falit Jyotish
7.	Sadashiva, Puri	Odia, History, Hindi	Vyakaran, Sahitya Jyotish, Darshan	Odia, History, Hindi	NavyaVyakaran, Sahitya, Sidhanta Jyotish, Falit Jyotish, Puranetihas, Adwait Vedant, Shankhyayoga, Navya Nyaya	NavyaVyakaran, Sahitya, Sidhanta Jyotish, Falit Jyotish, Puranetihas, Adwait Vedant, Shankhyayoga, Dharmashastra, Navya Nyaya

S. No.	Campus	Prak-Shastri		Shastri		Acharya
		Modern Subjects	Traditional Subjects	Modern Subjects	Traditional Subjects	Traditional Subjects
8.	Sringeri	Kannad, History	Vyakaran, Sahitya Jyotish, Darshan	Kannad, History,	NavyaVyakaran, Sahitya, Falit Jyotish, Adwait Vedant, Mimansa, Navya Nyaya	NavyaVyakaran, Sahitya, Falit Jyotish, Adwait Vedant, Mimansa, Navya Nyaya
9.	Trissur	Malayalam, History	Vyakaran, Sahitya Jyotish, Darshan	Malayalam, History	NavyaVyakaran, Sahitya, Falit Jyotish Sarvadarshan, Adwait Vedant, Navya Nyaya	NavyaVyakaran, Sahitya, Falit Jyotish Sarvadarshan, Adwait Vedant, Navya Nyaya
10.	Agartala	Bangla Political Science	Vyakaran, Sahitya Jyotish, Darshan	Bangla, Political Science	NavyaVyakaran, Sahitya, Sidhanta Jyotish, Falit Jyotish, Adwait Vedant, Baudhadarshan, Dharmashastra	NavyaVyakaran, Sahitya, Sidhanta Jyotish, Falit Jyotish, Adwait Vedant, Baudhadarshan, Dharmashastra
11.	Allahabad	This campus is devoted in Research, Manuscript conservation and Publication work only.				

- Shiksha Shastri Course is conducted in all the campuses except Allahabad Campus.
- Shikshacharya Course is conducted in Jammu, Jaipur, Bhopal, Puri Campuses only.

परिशिष्ट - ii (a)
विद्यार्थी द्वारा स्वीकृति पत्र

- 1) मैं, श्री/श्रीमती का पुत्र/पुत्री को में प्रवेश प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रेगिंग संबंधित अधिनियम 2009 (आगे अधिनियम) की प्रति प्राप्त हुई और मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ी और विहित प्रावधानों को पूर्णतः समझा ।
- 2) विशेषतः मैं अधिनियम के उपवाक्य 3 से अवगत हूँ जिसमें रेगिंग क्या है, इसकी व्याख्या है।
- 3) विशेषतः मैं अधिनियम के उपवाक्य 7 एवं 9.1 में विहित कानूनी दंड और प्रशासकीय कार्यवाही के प्रावधान से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत रेगिंग या रेगिंग में सहयोग, सक्रिय या असक्रिय रूप में, या रेगिंग को प्रोत्साहित करने की साजिश के तहत मुझपर दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जा सकती है।
- 4) अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि
अ) मैं ऐसे किसी कार्य में सम्मिलित नहीं रहूँगा जिसे अधिनियम के उपवाक्य-3के तहत रेगिंग माना जाए।
ब) मैं जाने या अनजाने किसी ऐसे कार्य में हिस्सा नहीं लूँगा जिसकी संरचना कथित अधिनियम और उपवाक्य 3 के अनुसार रेगिंग में सहयोग देती हो।
- 5) मैं यह स्वीकार करता हूँ कि अगर मैं रेगिंग का दोषी पाया गया तो मैं अधिनियम के उपवाक्य 9.1 अनुसार दंड का भागीदार बनूँगा और इसके उपरान्त मेरे ऊपर अन्य आपराधिक कार्यवाही कानून के तहत भी की जा सकती हैं।
- 6) मैं यह घोषित करता हूँ कि रेगिंग या रेगिंग में सहयोग या बढ़ावा के संदर्भ में दोषी पाए जाने के कारण मैं किसी संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं किया गया हूँ और न ही निष्कासित किया गया हूँ और यह स्वीकार करता हूँ अगर यह स्वीकृति गलत पाई गई तो मैं इस बात से अवगत हूँ कि मेरा दाखिला रद्द किया जा सकता है।

तारीख

.....

हस्ताक्षर

नाम :

पता :

दूरध्वनी :

स्वीकृति

मैं स्वीकार करता हूँ कि इस घोषणा पत्र में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान अनुसार सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है और न ही गलत ढंग से व्यक्त किया गया है।

स्थान :

.....

हस्ताक्षर

तिथी :

घोषणा पत्र में सन्निहित जानकारी पढ़ने के उपरान्त मेरे समक्ष (तिथि) को शपथ ग्रहण किया गया एवं हस्ताक्षर किया गया।

शपथ कमिश्नर

परिशिष्ट - ii (b)

विद्यार्थी के पालक/अभिभावक द्वारा स्वीकृति पत्र

- १) मैं, श्री/श्रीमती जो कि का /
की पिता / माता / अभिभावक हूँ, जिसका प्रवेश क्रमांक है
..... में प्रवेश के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई
उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रेगिंग संबंधित अधिनियम २००९ (आगे अधिनियम) की प्रति प्राप्त हुई
और मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ी और विहित प्रावधानों को पूर्णतः समझा।
- २) विशेषतः मैं अधिनियम के उपवाक्य ३ से अवगत हूँ जिसमें रेगिंग क्या है, इसकी व्याख्या है।
- ३) विशेषतः मैं अधिनियम के उपवाक्य ७ एवं ९.१ में विहित कानूनी दंड और प्रशासकीय कार्यवाही
के प्रावधान से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत रेगिंग या रेगिंग में सहयोग, सक्रिय या असक्रिय रूप में,
या रेगिंग को प्रोत्साहित करने की साजिश के तहत मेरे पुत्र/पुत्री पर कार्यवाही की जा सकती है।
- ४) अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि
अ) मेरा पुत्र/पुत्री ऐसे किसी कार्य में सम्मिलित नहीं रहेगा/रहेगी जिसे अधिनियम के उपवाक्य ३
के तहत रेगिंग माना जाए।
ब) मेरा पुत्र/पुत्री जाने या अनजाने किसी ऐसे कार्य में हिस्सा नहीं लेगा/लेगी जिसकी संरचना
कथित अधिनियम और उपवाक्य ३ के अनुसार रेगिंग के अनुरूप हो या रेगिंग को बढ़ावा देती
हो या रेगिंग में सहयोग देती हो।
- ५) मैं यह स्वीकार करता हूँ कि अगर मेरा पुत्र/पुत्री रेगिंग का दोषी पया गया तो मेरा पुत्र/पुत्री अधि
नियम के उपवाक्य ९.१ तहत दंड का भागीदार बनेगा और इसके उपरांत उसपर अन्य आपराधिक
कार्यवाही कानून के तहत भी की जा सकती हैं।
- ६) मैं यह घोषित करता हूँ कि रेगिंग या रेगिंग में सहयोग या बढ़ावा के संदर्भ दोषी पए जाने के
कारण मेरा पुत्र/पुत्री किसी संस्था में प्रवेश से बर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्काषित
किया गया है और यह स्वीकार करता हूँ कि अगर यह स्वीकृती गलत पाई गई तो मैं इस बात से
अवगत हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री का दाखिला रद्द किया जा सकता है।

तारीख:

.....

हस्ताक्षर

नाम :

पता :

स्वीकृति

मैं स्वीकार करता हूँ कि इस घोषणा पत्र में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है और कुछ
भी छुपाया नहीं गया है और न ही गलत ढंग से व्यक्त किया गया है।

स्थान :

तिथी :

हस्ताक्षर

घोषणा पत्र में सन्निहित जानकारी पढ़ने के उपरान्त मेरे समक्ष
(तिथि) को शपथ ग्रहण किया गया एवं हस्ताक्षर किया गया।

.....

शपथ कमिश्नर

ANNEXURE ii (a)
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, (full name of student with admission/registration/enrolment number) S/o D/o Mr. / Mrs. /Ms. _____, having been admitted to (name of the institution), have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations. 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging. 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging. 4) I hereby solemnly aver and undertake that

- a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force. 6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent

Name:

VERIFICATION Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE ii (b)
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of _____, (full name of student with admission/registration/enrolment number), having been admitted to _____ (name of the institution), have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations. 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging. 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging. 4) I hereby solemnly aver and undertake that

- a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force. 6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent

Name:

Address:

Telephone/ Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein. Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE (iii)
CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS
(TO BE DEPOSITED AT THE TIME OF JOINING)

To be obtained only from Gazetted Government Medical officer/Medical Officer of a Government Undertaking. (Please note that in no other form this certificate will be accepted. Medical Certificates issued by private medical practitioners will not be accepted.)

Name:
(in Block Letters)

Father's Name:

Blood group/Anemic (Blood Count):

Height: Weight:

Chest:

Heart and Lungs :

Vision : L : R :

Colour Vision :

Hearing :

Hernia/Hydrocele/Piles :

Any other disease diagnosed in past:

Allergies, if any

List of prescribed medication, If any

1.

2.

3.

Any other Remarks :

I certify that I have carefully examined Mr./Ms. son/daughter of
Mr. who has signed in my presence. He/she has no mental
and physical disease and is FIT.

Signature of the candidate

Station :

Date :

Signature of the Medical Officer
with legible seal

परिचायिका
PROSPECTUS
2015-16

प्रधानसम्पादकः
प्रो. पी.एन्. शास्त्री
कुलपतिः

CHIEF EDITOR
PROF. P.N. SHASTRY
Vice-Chancellor



राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्
(समविश्वविद्यालयः)
नवदेहली

प्रकाशक
डा. बिनोद कुमार सिंह
कुलसचिव
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
सम विश्वविद्यालय
(मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन)
५६-५७, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी,
नई दिल्ली-११००५८

PUBLISHER
Dr. Binod Kumar Singh
REGISTRAR
RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN
DEEMED UNIVERSITY
(under the auspices of Ministry of Human Resource Development,
Government of India)
56-57, Institutional Area, Janakpuri,
NEW DELHI-110058

Website : www.sanskrit.nic.in
©Rasthriya Sanskrit Sansthan, New Delhi

Price: ₹ 50

Printers
Rakmo Press Pvt. Ltd.
C-59, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi-110020

शान्तिपाठः

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः।
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयङ्कुरु।
शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः॥

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥

ॐ सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

PRAYER FOR PEACE

Peace to the space, peace to the earth, peace to all medicinal plants.
Peace to the vegetation, peace to all gods of the world, peace to the
creator of the universe, Peace to everything,
may the same peace come to me as well.

May we be fearless of all that threatens us.
Bless all the people and all our cattle with Your beneficence.

May all be comfortable, may all be healthy,
May all see good things in life,
may nobody see misfortune in his life.

May we stay together, eat together,
do great deeds together.
May we be glorious,
may there be no dissensions amongst us.

May there be peace, and peace, and peace, to the whole universe.



कुलगीतम्

KULAGEETAM

हिमगिरिवदनं समुद्रचरणं
गङ्गागोदासुधारसम्।
विश्वविश्ववन्दितसद्विद्यं
राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्॥

With visage of icy mountains, and feet
of mighty oceans, Refreshed with Elixir
of the Ganges, and the Godawari, This
is the world venerated This is Rashtriya
Sanskrit Sansthanam.

योऽनूचानः स नो महानिति
शास्ति विमलमचलं भणितम्।
निखिलभारते व्याप्तपरिसरं
राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्॥

Teaching the world the pure wisdom
He is great who thinks great
Having campuses all over the world
This is Rashtriya Sanskrit Sansthanam.

सवेदवेदाङ्गं षड्दर्शन-
पुराणकाव्यैरलङ्कृतम्।
बौद्धजैनशैवागममहितं
राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्॥

Adorned with the knowledge of The
Vedas, six Darshanas, the Puranas, the
Literature Phiolosophies of the Jainas, the
Baudhas and the Shiavas This is
Rashtriya Sanskrit Sansthanam.

एकं सत्यमनन्तविग्रहं
समुपास्तेऽनिशमेकस्थम्।
जयति जयति सद्विद्यारत्नं
राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्॥

Exemplifying the Vaidic saying
Truth is one but has many faces
Hail! Hail! This gem of learning
This is Rashtriya Sanskrit Sansthanam.

समेधयति भारतीः समस्ताः
प्रणमति निखिलां वसुन्धराम्।
जयति सकलपुरुषार्थसाधकं
राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्॥

Teaching all Indians
Saluting the whole mother Earth
Bringing success to all human efforts
This is Rashtriya Sanskrit Sansthanam.

- आचार्यः रामकरणशर्मा



प्रतीक चिह्न



राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के प्रतीक चिह्न में चारों ओर से घिरे हुए लाल, सफेद और काले रंग के स्तम्भ ब्रह्माण्ड के आत्मत्व गुणों-सत्त्व, रजस्, और तमस् के प्रतीक हैं। इस तरह त्रिगुणात्मक प्रपञ्च में सत्त्व और रज गुणों से परिपूर्ण संस्थान पूर्वोक्त चारों स्तम्भों में अन्तर्वर्ती सफेद और रक्त स्तम्भ को सूचित करता है। वहीं ऊपरी भाग में "योऽनूचानः स नो महान्" यह ध्येयवाक्य वेदादिविद्याओं का प्रतीकभूत है। मण्डल के बायें भाग में त्रिगुण की व्यञ्जिका लाल, सफेद और काली रेखाएँ क्षुब्धतरंग की तरह ऊपर से नीचे की ओर क्रम से बढ़ रही हैं। ये ब्रह्म के संयोग से क्षुब्ध प्रकृति की विश्वाकार अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को प्रतिपादित करती है। इस अभिव्यक्ति में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, संस्कृत के प्रचार के द्वारा व्यापनशील हो, अपनी प्रभा सर्वत्र प्रकाशित करते हुए मूलकोष्ठ में विराज रहा है, यह प्रतिपादित होता है। मण्डल के दायें भाग में पुनः त्रिगुण और तीन वर्णों वाली रेखाएँ अधार्ध्व क्रम से अपने लक्ष्यभूत प्रज्ञान को ब्रह्म के प्रति जाने के इच्छुक संस्थान का लक्ष्य प्रतिपादित करती हैं। केन्द्र में सूर्याभिमुख पुष्प संस्थान के ऋतानुकूलस्वभावत्व (सत्य के अनुकूल स्वभाव के अनुरूप) को बताता है। पुष्पवृन्त में लगा पत्रयुगल अभ्युदय-निःश्रेयसरूप धर्म के तत्त्व को बताता है।

1. न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः
ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्॥

महाभारत-शल्यपर्व 50.40

(मानव की महत्ता न तो उम्र से, न बाल पकने से, न धन से और न तो बन्धुवर्ग से ज्ञात होती है, अपितु ऋषिपरम्परानुसार मानव-जाति में जो अध्ययनशील (वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञ) है, वह महान् है।)



THE LOGO



The Sansthan Logo comprises of a square, surrounded by three red, white and black pillars – symbolizing the three natures of the universe, namely, *satva*, *rajas* and *tamas*. Within the black square, the red and white squares indicate the pure and royal nature of the Sansthan. The motto on the top - '*yosnuchanah so no mahan*' – symbolizes all the branches of Vaidic learning. The wavy red, white and black lines, representing the three-fold nature, on the left hand side of the pattern, indicate agitated nature when it joins with the Brahman. This a representation of the sansthan actively engaged in the promotion and propagation of Sanskrit. The wavy red, white and black lines returning downwards on the right-hand side symbolize the desire of the seeker to return to the Brahma. The sun-facing flower at the centre indicates the truth-oriented nature of the Sansthan. The couple of leaves at the base of the flower implies the twin religious elements of upward progress and beneficence.

The motto is an excerpt from a sloka from the -shalyaparva of the Mahabharata:

Which means one is great, not because of one's age, or silvery locks, or vast riches or large number of influential contacts (relatives), but because of the knowledge one has received from the Rishis.



दृष्टि एवं ध्येय

दृष्टि

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत शिक्षा की गरिमा की संस्थापना के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में विकास।

ध्येय

संस्कृत विद्या की समग्र शाखाओं का सर्वाङ्गीण विकास तथा आधुनिक प्रणालियों के द्वारा संस्कृत संसाधनों की उपलब्धि।

संस्कृत, पालि तथा प्राकृत भाषाओं में इन भाषाओं के परस्पर सांस्कृतिक अन्तःसम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण व अनुसन्धान का व्यवस्थापन करते हुए भाषिक विविधता तथा सांस्कृतिक बहुलता का उन्नयन।

इन भाषाओं की ज्ञान प्रणालियों में दार्शनिक एवं वैज्ञानिक तत्त्वों का संरक्षण एवं समुन्नयन तथा इन ज्ञान प्रणालियों का सांस्कृतिक धरोहर के साथ सम्बन्ध तथा इन ज्ञान प्रणालियों का सांस्कृतिक धरोहर के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों के माध्यम से इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।



VISION

Development of Rashtriya Sanskrit Sansthan as a world-class university for establishment of the glory of Sanskrit learning in the global context.

MISSION

All round development of all the branches of Sanskrit learning and availability of Sanskrit resources through modern systems.

Upliftment of linguistic diversity and cultural plurality while arranging for teaching and research in Sanskrit, Pali and Prakrit in the context of their mutual cultural inter-relationship.

Preservation and upliftment of the philosophical and scientific elements in the knowledge systems of these languages and ensuring their availability through the equipments of information and communication technology while establishing the relationship of these knowledge systems with cultural legacy.

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
(सम विश्वविद्यालय)
नई दिल्ली

पुरोवाक्

भारत सरकार द्वारा संस्कृत आयोग 1956 की अनुशंसा के अनुरूप देश में संस्कृत शिक्षण के प्रोन्नयन के लिये राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान की स्थापना 1970 में की गई थी। विगत चार दशकों में संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करता हुआ यह संस्थान निरन्तर प्रगति के सोपानों पर आरोहण करता आया है। आज राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय है तथा देश का एकमात्र बहुपरिसरीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। दिल्ली में स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त कश्मीर से कन्याकुमारी तथा महाराष्ट्र से अगरतला तक स्थित संस्थान के ग्यारह परिसर संस्कृत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के नवाचारों, नवोन्मेषों तथा अभिनव प्रविधियों के समन्वय का विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। संस्थान ने विगत वर्षों में उत्तरपूर्व राज्यों में अपनी गतिविधियों का विशेष प्रसार किया है, तदनुसार त्रिपुरा राज्य में संस्थान का एकलव्य परिसर (अगरतला) विगत सत्र 2013-14 से आरम्भ किया जा चुका है। वर्तमान समय संस्कृत की अभूतपूर्व संभावनाओं का काल है, जिनकी चरितार्थता में यह संस्थान भी सक्रिय है।

मुझे आशा है कि इस सक्रियता का दिग्दर्शन सत्र 2015-16 के लिये प्रकाशित प्रस्तुत परिचायिका से हो सकेगा।

सत्रारम्भ पर मैं संस्थान के समस्त प्राचार्यों, प्राध्यापकों, अधिकारियों, छात्रों व कर्मचारियों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

ॐ सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥

ॐ तत्सत् ॐ

प्रो. पी.एन्. शास्त्री

कुलपति

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
शान्तिपाठ	3
कुलगीतम्	4
प्रतीक चिह्न	5
दृष्टि तथा ध्येय	7
पुरोवाक्	11
राष्ट्रीय-संस्कृत-संस्थान	17-23
1. परिचय	17
2. उद्देश्य	17
3. प्रशासन	18
4. प्रमुख कार्य	18
5. प्रमुख-गतिविधियाँ और योजनाएँ	19
राष्ट्रीय-संस्कृत-संस्थान - प्रवेशादि विषयक सामान्य नियम	25-62
1. प्रवेश के नियम व पाठ्यक्रम	27
2. प्रवेशनिरस्ति और प्रतीक्षकों का प्रवेश	40
3. सुरक्षित धनराशि	41
4. उपस्थिति व अवकाश नियम	41
5. शुल्क-विवरण	42
6. छात्रकल्याण परिषद्	45
7. अनुशासन	45
8. रैगिंग-निषेध-अधिनियम	46
9. छात्रवृत्ति	49
10. परीक्षा उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्रतिशत	53
11. नेत्रहीन/स्थाई रूप से विकलांग/आकस्मिक दुर्घटना के कारण हाथ में फ्रेक्चर होने वाले परीक्षार्थियों हेतु लेखक की व्यवस्था	53



विषय	पृष्ठ संख्या
12. छात्रों को प्रदेय सुविधाएँ	54
13. छात्रावास	57
14. परिसर की समितियाँ	59
15. शैक्षिक गतिविधि तिथिपत्र (सत्र 2015-16)	60
राष्ट्रीय-संस्कृत-संस्थान के विभिन्न परिसर	63-86
1. गङ्गानाथझापरिसरः, (उत्तरप्रदेशः)	65
2. श्रीरणवीरपरिसरः जम्मूः (जम्मू-कश्मीरम्)	67
3. श्रीसदाशिवपरिसरः, पुरी (उड़ीसा)	69
4. गुरुवायूरपरिसरः, त्रिशूरः (केरलम्)	71
5. जयपुरपरिसरः, जयपुरम् (राजस्थानम्)	73
6. लखनऊपरिसरः, लखनऊ (उत्तरप्रदेशः)	75
7. राजीवगान्धीपरिसरः, शृङ्गेरी (कर्णाटकम्)	77
8. वेदव्यासपरिसरः, बलाहारः (हिमाचलप्रदेशः)	79
9. भोपालपरिसरः, भोपालम् (मध्यप्रदेशः)	81
10. क.जे.सोमैयासंस्कृतविद्यापीठम्, मुम्बई, (महाराष्ट्रम्)	83
11. एकलव्यपरिसरः, अगरतला (त्रिपुरा)	85
परिशिष्ट	
1. सभी परिसरों में स्वीकृत आधुनिक व शास्त्रीय विषय	i
2. रैगिंग विरोधी शपथ पत्र	ii
3. चिकित्सा प्रमाण पत्र	iii

आवश्यक सूचना

- * इस पुस्तिका में वर्णित किसी भी नियम का संशोधन/परिवर्धन या निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कुलपति, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के अधीन होगा।
- * किसी भी अनिश्चय की स्थिति में संस्थान (मुख्यालय) का निर्णय अन्तिम होगा।
- * किसी न्यायिक विवाद की अवस्था में न्याय का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

(सम विश्वविद्यालय)

1. परिचय

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की संस्थापना अक्टूबर 1970 में, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम XXI) के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में पूरे देश में संस्कृत के समग्र विकास तथा प्रोन्नयन हेतु हुई। अपने निर्माण काल से ही यह भारत-सरकार द्वारा पूर्णरूपेण प्रदत्तनिधि है। यह संस्कृत के प्रचार-प्रसार तथा विकास हेतु शीर्ष निकाय के रूप में कार्यरत है तथा संस्कृत विद्या के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं तथा कार्यान्वयन में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की सहायता करता है। संस्कृत भाषा के संरक्षण, प्रसार तथा विकास और इसके सभी पक्षों की शिक्षा हेतु, 1956 में भारत, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा स्थापित 'संस्कृत आयोग' की विभिन्न संस्तुतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसने एक केन्द्रीय अभिकरण के रूप में भूमिका निभाई है।

संस्थान के पारम्परिक संस्कृत शिक्षण के संवर्धन और सम्प्रसारण के क्षेत्र में योगदान, इसके श्रेष्ठ प्रकाशनों और इसके द्वारा 50,000 से भी अधिक दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों के संरक्षण तथा प्रबन्धन को महत्त्व देते हुए, भारत सरकार ने इसे 7 मई, 2002 से मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है, जो अधिसूचना संख्या एफ. 9-28/2000 यू 3 के अन्तर्गत है तथा जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या एफ 6-31/2001 (सी.पी.पी.-1), दिनांक 13 जून 2002 से अनुगत किया गया है।

2. उद्देश्य

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 'संस्था के बहिर्नियम' में घोषित उद्देश्य इस प्रकार हैं -

संस्थान की स्थापना का उद्देश्य पारम्परिक संस्कृत विद्या का प्रचार, विकास व प्रोत्साहन है और उनका पालन करते हुए :

- i. संस्कृत विद्या की सभी विधाओं में अनुसन्धान, अनुदान, प्रोत्साहन तथा संयोजन करना है, साथ ही शिक्षक-प्रशिक्षण तथा पाण्डुलिपि विज्ञान आदि को भी संरक्षण देना, जिससे पाठमूलक प्रासंगिक विषयों में आधुनिक शोध के निष्कर्ष के साथ सम्बन्ध स्पष्ट किया जा सके तथा इनका प्रकाशन हो सके।
- ii. देश के विविध भागों में परिसरों की स्थापना, विद्यापीठों का अधिग्रहण तथा संचालन करना और समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाओं को संस्थान से सम्बद्ध करना।



iii. केन्द्रीय प्रशासनिक संकाय के रूप में इसके द्वारा स्थापित अथवा अधिगृहीत समस्त परिसरों का प्रबंधन तथा उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में अधिकाधिक प्रभावी सहयोग करना जिससे विशिष्ट क्षेत्रों में परिसरों के बीच कर्मचारियों, छात्रों व शोध और राष्ट्रिय कार्य-विभाजन के अन्तर्विनियम और स्थानान्तरण को सुसाध्य एवं तर्कसंगत बनाया जा सके।

iv. उन शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुदेशन एवं प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना जो निर्धारित मानदण्डों की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं और संस्थान जिन्हें उचित समझता हो।

v. शोध एवं ज्ञान के प्रसार एवं विकास के लिए समुचित मार्गदर्शन एवं व्यवस्था करना।

vi. प्रगति-वादी, आधुनिक, विस्तारित योजनाएँ एवं दूरस्थ क्रिया-कलापों को समाज के विकास में योगदान देते हैं। उनका उत्तरदायित्व लेना।

viii. इसके अतिरिक्त उन सभी उत्तरदायित्वों एवं कार्यों का निष्पादन करना जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक या वाञ्छित हों।

vii. संस्थान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में कार्यरत है:

3. प्रशासन
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का प्रशासन 'संस्था के बहिर्नियम' व अन्य नियमों में समाविष्ट प्रावधानों के अनुरूप संचालित होता है।

4. प्रमुख कार्य

संस्थान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में कार्यरत है:

- विभिन्न राज्यों में परिसरों की स्थापना।
- माध्यमिक, पूर्वस्नातक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर परम्परागत पद्धति से संस्कृत शिक्षण तथा संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि हेतु शोध-कार्य का संचालन व सम्बन्धन।
- शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) तथा शिक्षाकार्य (एम.एड.) स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन करना।



- उभयनिष्ठ अभिरुचि वाली संयुक्त परियोजनाओं के प्रायोजन में अन्य संगठनों से सहयोग।
- संस्कृत पुस्तकालयों, पाण्डुलिपि संग्रहालयों की स्थापना और दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन तथा प्रकाशन।
- स्वीकृत निर्धारित पाठ्यक्रम/शोध को संतोषजनक रूप से पूर्ण करके निर्धारित परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को उपाधियाँ और डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र प्रदान करना।
- विजिटरशिप, फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, पुरस्कार तथा पदकों का संस्थापन एवं उन्हें प्रदान करना।
- मुक्तस्वाध्यायपीठ के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा-कार्यक्रमों का संचालन।
- संस्कृत, पालि तथा प्राकृत के प्रोन्नयन हेतु मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की योजनाओं का कार्यान्वयन।

5. प्रमुख-गतिविधियाँ और योजनाएँ

संस्थान निम्नलिखित गतिविधियों के द्वारा अपने निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील है:-

5.1 शिक्षण

संस्थान के परिसरों में संस्थान द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम के आधार पर प्राक्शास्त्री से लेकर आचार्य स्तर तक का शिक्षण प्रदान किया जाता है। संस्थान द्वारा संचालित और संस्थान से सम्बद्ध संस्कृत संस्थाएँ भी उक्त पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापन-कार्य सम्पन्न करती हैं।

5.2 प्रशिक्षण

परिसरों में शिक्षण अभ्यास पर बल देते हुए शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है जिससे संस्कृत में बी.एड. के समकक्ष शिक्षा-शास्त्री तथा एम.एड. के समकक्ष शिक्षाचार्य की उपाधि प्रदान की जाती है।

5.3 शोध

सभी परिसरों में शोध व अनुसन्धान पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। जिसके सफल समापन पर उन्हें पी-एच. डी. के समकक्ष विद्यावारिधि की उपाधि प्रदान की जाती है।

5.4 प्रकाशन

5.4.1 संस्थान अपने अंगभूत परिसरों द्वारा सम्पादित शोध-ग्रन्थों और दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों का प्रकाशन करता है।



5.4.2 संस्थान मुख्यालय द्वारा 'संस्कृत-विमर्शः' नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न परिसरों से शोध पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं।

5.4.3 मौलिक संस्कृत ग्रन्थों के प्रकाशन हेतु विद्वानों एवं संस्थाओं को अधिकतम 80 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है।

5.4.4 प्रकाशकों के माध्यम से अप्राप्य तथा दुर्लभ संस्कृत ग्रन्थों के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता दी जाती है।

5.5.5 संस्थान समय-समय पर विभिन्न ग्रन्थमालाओं का प्रकाशन करता है।

5.4.6 त्रैमासिक संस्थान-समाचार पत्रिका 'संस्कृत वार्ता' का प्रकाशन किया जाता है।

5.5 संस्कृत पाण्डुलिपियों का संग्रहण एवं संरक्षण

संस्थान, संस्कृत पाण्डुलिपियों का संग्रहण तथा संरक्षण करता है। शुल्क के आधार पर संस्थाओं को पाण्डुलिपियों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराता है।

5.6 मुक्त-स्वाध्याय-पीठ

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम के संचालनार्थ संस्थान के मुख्यालय में मुक्तस्वाध्यायपीठ की स्थापना की गई है। साथ ही संस्थान के सभी परिसरों में स्वाध्यायकेन्द्र स्थापित किये गये हैं।

5.7 अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण

संस्थान के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रों के माध्यम से क्रमिक संस्कृत स्वाध्याय सामग्री ('दीक्षा' पाठ्यक्रम) का संचालन किया जाता है। इसके अन्तर्गत समाज के विभिन्न वर्गों तथा आयु के संस्कृत तथा संस्कृतेतर अध्येताओं जैसे शिक्षक, व्यापारी, गृहिणी, बालक, वृद्ध, डाक्टर, इंजीनियर इत्यादि नौकरी-पेशे के लोग सोत्साह लाभ ले रहे हैं।

5.8 संस्कृत भाषा शिक्षक प्रशिक्षण

संस्थान, अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रों में संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु अखिल भारत स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके लिए संस्थान प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। इस परीक्षा में समुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 21 दिन का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।



5.9 शास्त्रीय ग्रन्थों का उन्नत शिक्षण

संस्थान शास्त्रीय ग्रन्थों के विशिष्ट अध्ययन एवं शिक्षण हेतु विशिष्टाध्ययन कार्यक्रम का आयोजन करता है।

5.10 स्वाध्याय सामग्री का निर्माण

संस्थान संस्कृत भाषा शिक्षण की मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का निर्माण एवं उसका प्रचार-प्रसार भी करता है। इसके अन्तर्गत संस्कृत तथा संस्कृतेतर अध्येताओं की अध्ययन सुविधा की दृष्टि से पाँच दीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित किये गये हैं।

5.11 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संस्कृत कार्यक्रमों का प्रसारण

संस्थान इग्नू के ज्ञानदर्शन चैनल में भाषा-मन्दाकिनी के माध्यम से प्रतिदिन संस्कृत कार्यक्रम प्रसारित करता है। डी.डी. इंडिया तथा डी.डी. भारती पर संस्कृत भाषा शिक्षण के कार्यक्रम का प्रसारण भी सप्ताह में तीन बार संस्थान के द्वारा किया जाता है।

5.12 परीक्षा का आयोजन

संस्थान परिसरों द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। कक्षा में सर्वप्रथम एवं स्वशास्त्रों में सर्वप्रथम आने वाले छात्रों को 'स्वर्णपदक' दिया जाता है।

5.13 छात्रवृत्तियाँ

संस्थान देश भर में अपने परिसरों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत संस्कृत के सुयोग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है।

5.14 केन्द्र सरकार की योजनाएँ

संस्थान संस्कृत भाषा और साहित्य के संवर्धन तथा प्रचार हेतु मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित विविध योजनाओं का कार्यान्वयन करता है -

5.14.1 शास्त्र चूडामणि योजना

5.14.2 ग्रन्थ-क्रय योजना

5.14.3 संस्कृत शब्दकोष परियोजना

5.14.4 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

5.14.5 आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता



5.14.6 अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा

5.14.7 अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा

5.14.8 स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता

5.15 अन्तराष्ट्रीय सहयोग

संस्थान अन्तराष्ट्रीय समितियों (अन्तराष्ट्रीय संस्कृत अध्ययन समवाय) के सहयोग से अन्तराष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत सम्मेलनों का आयोजन करता है।

5.16 संस्कृत तथा भारतीय बोलियों/उप बोलियों के कोश की योजना

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल तथा कोलकाता में संस्कृत तथा भारतीय बोलियों/उपबोलियों के कोश की योजना का संचालन कर रहा है।

5.17 ई-टेक्स्ट, ई-पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम में नवाचार

5.17.1 ई-टेक्स्ट- संस्थान ने वेब में संस्कृत की दुर्लभ ग्रन्थों को उपलब्ध कराने का संकल्प किया है। अद्यावधि 109 पुस्तकें वेबसाइट पर अन्तर्विन्यस्त की जा चुकी हैं।

5.17.2 डिजिटल-ग्रन्थ गंगानाथ झा परिसर के ग्रन्थालय में इलाहाबाद तथा बैंगलूरु के सहयोग से दुर्लभ ग्रन्थों का डिजिटलईजेशन किया जा रहा है।

5.17.3 डिजिटलईजेशन पाण्डुलिपियों के डिजिटलईजेशन का कार्य इलाहाबाद परिसर में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन के सहयोग से चल रहा है।

5.17.4 आन-लाईन-ग्रन्थालय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के सभी परिसरों के ग्रन्थालयों की पुस्तकों का डाटाबेस संस्थापित किया गया है। पुस्तकालयों में प्राप्त होने वाली नूतन पुस्तकों की सूची भी निरन्तर प्रतिस्थापित की जा रही है। जिसे शीघ्र ही आन लाईन करने की व्यवस्था भी की जा रही है।

5.18 अन्तःपरिसरीय युवा महोत्सव

संस्थान प्रतिवर्ष 'अन्तः परिसरीय युवा महोत्सव' का आयोजन करता है, जिसमें खेलकूद, शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं।

5.19 संस्कृत-नाट्यमहोत्सव (अन्तःपरिसरीय संस्कृतनाट्यस्पर्धा)

संस्थान परिसरीय संस्कृत नाट्य स्पर्धा 'कौमुदीमहोत्सव' नाम से आयोजित कर रहा है।



5.20 अखिलभारतीय-नाट्यमहोत्सव

संस्थान प्रतिवर्ष अखिलभारतीय संस्कृत नाट्यमहोत्सव का आयोजन करता है, जिसमें देश की संस्कृत संस्थायें भाग लेती हैं।

5.21 संस्कृत सप्ताहोत्सव

संस्थान श्रावणी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संस्कृत दिवस तथा संस्कृत सप्ताहोत्सव का आयोजन करता है। इसमें विद्वत्सपर्या, कविसपर्या, शास्त्रचर्चा, विद्यालयीय विद्यार्थियों के लिये संस्कृत भाषण स्पर्धा, श्लोक स्पर्धा तथा निबन्ध स्पर्धा का आयोजन किया जाता है।

5.22 पालि व प्राकृत परियोजनायें

पालि व प्राकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत संगोष्ठियों, कार्यशालाओं व सम्मेलनों का आयोजन तथा ग्रन्थमाला का प्रकाशन किया जा रहा है। प्राकृत भाषा अध्ययन केन्द्र जयपुर में संचालित किया गया है और पालि अध्ययन केन्द्र लखनऊ परिसर में सक्रिय है।

5.23 हिन्दी पखवाड़ा उत्सव

संस्थान प्रतिवर्ष 14 सितम्बर से 30 सितम्बर तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित करता है। संस्थान मुख्यालय तथा उसके परिसरों में हिन्दी भाषा में कार्यालयीय कार्य को बढ़ावा देने हेतु कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता है।

5.24 परिसरों में स्थापित विशिष्ट अध्ययन केन्द्र

संस्थान के द्वारा अपने परिसरों में अध्ययन / अनुसन्धान की विशिष्ट गतिविधियों के संचालन तथा पाठ्यक्रमेतर छात्रोपयोगी कार्यक्रमों के प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित केन्द्र स्थापित किये गये हैं -

1. महिला अध्ययन केन्द्र, वेदव्यास परिसर
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, मुम्बई परिसर
3. नाट्यशास्त्र अध्ययन केन्द्र, भोपाल परिसर
4. संस्कृत में वैज्ञानिक परम्परा पर केन्द्रित संग्रहालय, मुम्बई परिसर
5. पालि अध्ययन केन्द्र, लखनऊ परिसर
6. प्राकृत अध्ययन केन्द्र, जयपुर परिसर
7. शास्त्रानुशीलन केन्द्र, शृंगेरी परिसर

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
प्रवेशादि विषयक सामान्य नियम



1. प्रवेश के नियम व पाठ्यक्रम

संस्थान में अध्यापन व्यवस्था -

संस्थान निम्नलिखित परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की निःशुल्क अध्यापन व्यवस्था करता है।

परीक्षा नाम	आयु	समकक्षता
शैक्षिक पाठ्यक्रम		
1. प्राक्शास्त्री (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	15 वर्ष	उच्चमाध्यमिक/ इण्टरमीडियट
2. शास्त्री (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम/ 6 सत्रार्द्ध)	17 वर्ष	बी.ए.
3. आचार्य (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम/ 4 सत्रार्द्ध)	20 वर्ष	एम.ए.
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम		
4. शिक्षाशास्त्री (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	न्यूनतम 20 वर्ष (1-10-2015 तक)	बी.एड्.
5. शिक्षाचार्य (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम/ 4 सत्रार्द्ध)	न्यूनतम 23 वर्ष (1-10-2015 तक)	एम.एड्.
शोध पाठ्यक्रम		
6. विद्यावारिधि		पी.एच.डी.

ये सभी पाठ्यक्रम राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

शैक्षिक पाठ्यक्रम

प्राक्शास्त्री

प्राक्शास्त्री में प्रवेशार्थ नियम -

1. प्राक्शास्त्री हेतु परिसर में प्रवेश के लिये मुख्यालय / संबद्ध परिसर द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें पूर्वमध्यमा परीक्षोत्तीर्ण छात्र अथवा विधिवत् स्थापित किसी बोर्ड से संस्कृत विषय लेकर सैकण्डरी या दशम कक्षा उत्तीर्ण छात्र प्राक्शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सम्मिलित हो सकते हैं।



2. यह पाठ्यक्रम दो वर्षों में सम्पन्न होता है, प्रत्येक वर्ष में 6-6 पत्र होते हैं तथा एक अनिवार्य अतिरिक्त पत्र संगणक शिक्षण का होता है।

प्राक्शास्त्री प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम

प्रथम पत्र - व्याकरण (अनिवार्य)

द्वितीय पत्र - साहित्य (अनिवार्य)

तृतीय पत्र - अंग्रेजी (अनिवार्य)

चतुर्थ पत्र -

हिन्दी

हिन्दी ऐच्छिक

बंगला

उडिया

नेपाली

डोगरी

मलयालम

कन्नड

गुजराती

मराठी

मणिपुरी

पंचम पत्र - ऐच्छिक

राजनीति शास्त्र

अर्थशास्त्र

इतिहास

समाजशास्त्र

गणित

भूगोल

षष्ठ पत्र - ऐच्छिक

वेद

व्याकरण

साहित्य

ज्यौतिष

दर्शन

सप्तम पत्र - कम्प्यूटर

शास्त्री (बी.ए.)

शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ नियम -

शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु परिसर में प्रवेश के लिये मुख्यालय/परिसर द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है -

1. उत्तर मध्यमा
2. प्राक्शास्त्री
3. अथवा मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत परिषद् से परम्परागत प्रणाली से उत्तीर्ण की गई इन्टरमीडिएट समकक्ष परीक्षा।
4. संस्कृत विषय सहित उच्च माध्यमिक/इन्टरमीडिएट परीक्षा।
5. महर्षि सान्दीपनि वेदविद्या प्रतिष्ठान की वेदविभूषण परीक्षा।
6. शास्त्री पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थ चुने गये भाषा/आधुनिकविषय, उत्तरमध्यमा/ (बारहवीं कक्षा संस्कृत विषय सहित) तक पढ़े हुए होने चाहिए।



शास्त्री का पाठ्यक्रम

शास्त्री परीक्षा त्रिवर्षीय वार्षिक / 6 सेमेस्टर में सम्पन्न होती है। सभी सत्रार्थ में 6-6 पत्र होते हैं।

प्रथम पत्र - व्याकरण (अनिवार्य)

द्वितीय पत्र - अंग्रेजी (अनिवार्य)

तृतीय पत्र (ऐच्छिक)

हिन्दी

बंगला

उड़िया

नेपाली

डोगरी

मलयालम

कन्नड़

मणिपुरी

चतुर्थ पत्र (ऐच्छिक)

राजनीतिशास्त्र

दर्शन

इतिहास

अर्थशास्त्र

समाजशास्त्र

हिन्दीसाहित्य

अंग्रेजी साहित्य

पञ्चम एवं षष्ठ पत्र (अधोलिखित में से कोई एक)

नव्यव्याकरण

प्राचीन-व्याकरण

साहित्य

सर्वदर्शन

सिद्धान्तज्यौतिष

फलितज्यौतिष

नव्यन्याय

न्याय वैशेषिक

मीमांसा

अद्वैतवेदान्त

धर्मशास्त्र

विशिष्टाद्वैतवेदान्त

सांख्ययोग

पौरहित्य

शुक्लयजुर्वेद

काश्मीरशैवदर्शन

रामानन्दवेदान्त

जैनदर्शन

पुराणेतिहास

बौद्धदर्शन

सप्तम पत्र - कम्प्यूटर

टिप्पणी - शास्त्री तृतीय वर्ष (पञ्चम व षष्ठ सत्रार्थ) में अष्टम पत्र पर्यावरण शिक्षा का होगा।

आचार्य (एम्.ए.)

आचार्य कक्षा में प्रवेश के लिए निम्नलिखित परीक्षायेँ मान्य हैं :-

शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) अथवा अन्य कोई संस्कृत विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था।

शिरोमणि मद्रास विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति।



विद्वद् मध्यमा कर्नाटक सरकार, बैंगलुरु
शास्त्रभूषण (प्रीलिमिनरी) केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम
विद्या प्रवीण आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर
बी.ए. संस्कृत विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से।

विशेष नियम -

1. आचार्य पाठ्यक्रम में विषय चयन से पूर्व उस विषय का शास्त्री तक अध्ययन अनिवार्य हैं।
2. जिन प्रत्याशियों ने बी.ए. (संस्कृत), अथवा वेदालंकार/विद्यालंकार की उपाधि प्राप्त कर ली है, वे आचार्य स्तर पर साहित्य/ धर्मशास्त्र /सांख्ययोग/फलितज्यौतिष/या कर्मकाण्ड विषय ले सकते हैं। बी.ए. (संस्कृत दर्शन सहित) उत्तीर्ण छात्र आचार्य स्तर पर अद्वैत वेदान्त भी ले सकते हैं।
3. संस्कृत में बी.ए. (आनर्स) उत्तीर्ण प्रत्याशी आचार्य स्तर पर वेद/व्याकरण/साहित्य/धर्मशास्त्र/सांख्ययोग/फलितज्यौतिष/कर्मकाण्ड विषय ले सकते हैं।
4. किसी एक विषय में आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण एम्.ए. (संस्कृत) प्रत्याशी, आचार्य स्तर पर, निम्नलिखित विषयों को छोड़कर कोई भी अन्य विषय ले सकते हैं। (वर्जित विषय) सिद्धान्त ज्यौतिष, वेद, नव्य न्याय, नव्य व्याकरण, मीमांसा। लेकिन नव्य न्याय/नव्य व्याकरण आदि विषयों में आचार्य प्रत्याशी सिद्धान्त ज्यौतिष, प्राचीन न्याय और व्याकरण आदि विषयों में आचार्य हेतु (तथा इसके विपरीत) प्रवेश ले सकते हैं।
5. संस्कृत में नक्षत्र विज्ञान एक विषय के रूप में पढ़े हुए प्रत्याशी आचार्य स्तर पर सिद्धान्त ज्यौतिष विषय ले सकते हैं।

टिप्पणी:- आचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्र अपने आवेदन पत्र में विषयों के चयन हेतु प्राथमिकता के क्रम से विषयों का उल्लेख करेंगे।

6. आचार्य पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष पांच प्रश्नपत्र होंगे। प्रतिवर्ष चार प्रश्नपत्र स्वीकृत शास्त्र पर आधारित होंगे तथा पंचम पत्र सभी शास्त्र के छात्रों के लिए सामान्य होगा। प्रति प्रश्नपत्र पूर्णांक 100 हैं। प्रतिप्रश्न पत्र का समय तीन घंटे होगा। परीक्षार्थी निम्नलिखित शास्त्रविषयों में से कोई एक शास्त्र अध्ययन के लिए चुन सकता है।

अनिवार्य विषय -

नव्यव्याकरण	प्राचीनव्याकरण	साहित्य	सिद्धान्तज्यौतिष	फलितज्यौतिष
सर्वदर्शन	धर्मशास्त्र	जैनदर्शन	बौद्धदर्शन	सांख्ययोग
नव्यन्याय	न्यायवैशेषिक	मीमांसा	अद्वैतवेदान्त	पुराणेतिहास
वेद	पौरौहित्य			



प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)

यह पाठ्यक्रम दो वर्ष के नियमित प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की शिक्षाशास्त्री उपाधि के लिए संचालित होता है।

प्रवेश के सामान्य नियम

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शास्त्री अथवा बी.ए. संस्कृत सहित, आचार्य/एम.ए. संस्कृत अथवा समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण छात्र प्रतिवर्ष मई में आयोजित होने वाली संयुक्त शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें उत्तीर्ण छात्रों को वरीयता क्रम से शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा का आवेदन पत्र फरवरी मास में उपलब्ध होता है। इसके लिए नियमावली आवेदन पत्र के साथ संस्थान द्वारा अलग से प्रसारित की गई है।
2. प्रवेशार्थी की आयु दिनांक 1.10.2015 तक 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
3. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत 15 वर्ष की शिक्षा का पूर्ण होना अनिवार्य है।
4. इस पाठ्यक्रम में परम्परागत पढ़े अर्थात् शास्त्री/आचार्य उत्तीर्ण छात्रों के लिए 80 प्रतिशत तथा आधुनिक धारा के अन्तर्गत बी.ए. (संस्कृत) सहित अथवा एम.ए. संस्कृत उत्तीर्ण छात्रों के लिए 20 प्रतिशत स्थान निर्धारित हैं। परिसरीय आरक्षण भी है यथा 20 प्रतिशत एग्रेसर छात्र एवं 30 प्रतिशत उस क्षेत्र के छात्रों के लिये।

पाठ्यक्रम

(क) सैद्धान्तिक

सैद्धान्तिक पत्रों के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में सात प्रश्न पत्र तथा द्वितीय वर्ष में पांच प्रश्न पत्र हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का है।

(ख) प्रायोगिक :- प्रायोगिक कार्य प्रथम वर्ष में 300 अंक एवं द्वितीय वर्ष में 500 अंक का होगा।

दो वर्षों के लिए अंकों का कुल योग - सैद्धान्तिक 1200+प्रायोगिक 800 = 2000

**शिक्षाचार्य (एम.एड)**

यह पाठ्यक्रम दो वर्ष (चार सत्रार्थ) के नियमित प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की शिक्षाचार्य उपाधि के लिए संचालित होता है।

प्रवेश के सामान्य नियम

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ आचार्य/एम. ए. संस्कृत अथवा समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण तथा शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) छात्र संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष मई में आयोजित होने वाली 'शिक्षा-आचार्य' प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें उत्तीर्ण छात्रों को वरीयता क्रम से शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा का आवेदन पत्र फरवरी मास में उपलब्ध होता है। इसके लिये नियमावली आवेदन पत्र के साथ संस्थान से अलग से प्रसारित की जाती है।
2. प्रवेशार्थी की दिनांक 1.10.2015 तक आयु 23 वर्ष होनी चाहिये।
3. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 10+2+3+2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत 17 वर्ष की शिक्षा का पूर्ण होना अनिवार्य है।
4. इस पाठ्यक्रम में परम्परागत पढ़े अर्थात् आचार्य उत्तीर्ण छात्रों के लिए 80 प्रतिशत तथा आधुनिक धारा के अन्तर्गत एम.ए. संस्कृत उत्तीर्ण छात्रों के लिए 20 प्रतिशत स्थान निर्धारित हैं।

पाठ्यक्रम**(क) सैद्धान्तिक**

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय सत्रार्थ, प्रत्येक में तीन सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र एवं दो ऐच्छिक प्रश्न पत्र तथा तृतीय एवं चतुर्थ सत्रार्थ, प्रत्येक में दो सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र एवं एक ऐच्छिक पत्र निर्धारित हैं। इस तरह 16 सैद्धान्तिक पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र 100 अंक का है।

(ख) प्रायोगिक

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| (क) लघुशोधनिबन्ध एवं मौखिक परीक्षा | 100 (75+25) |
| (ख) क्षेत्रानुभव | 100 (50+50) |
| (ग) प्रायोगिक कार्य | 200 (75+75+25+25) |
| कुल योग सैद्धान्तिक | 1600+प्रायोगिक 400 = 2000 |



अनुसंधान पाठ्यक्रम

विद्यावारिधि (पीएच्.डी.)

राष्ट्रीय-संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) स्वयं अथवा अपने अन्तर्गत सभी परिसरों अथवा सम्बद्धताप्राप्त संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली शोधोपाधि को विद्यावारिधि (पीएच्.डी.) के नामसे अभिहित करता है।

पञ्जीकरण की अर्हता

1. वे सभी विद्यार्थी, जो संस्कृत के किसी भी विषय में आचार्य/एम.ए. (संस्कृत), तत्समकक्ष उपाधि, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) के परिसरों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हों तथा संयुक्त प्राक् शोध-परीक्षा में अर्हता क्रम में उत्तीर्ण हों, पञ्जीकरण के लिए आवेदन पत्र हेतु अर्ह होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्यथा अक्षम अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत विषय सम्बद्ध आचार्य परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
2. संस्थान के परिसरों/सम्बद्ध महाविद्यालयों/विद्यालयों के अध्यापक अनुसन्धाता जिन्होंने आचार्य अथवा एम.ए. संस्कृत परीक्षा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है 'अध्यापक-शोधार्थी, के रूप में आवेदन कर सकते हैं। किन्तु उनका नामांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के नियमानुसार ही होगा।
3. वे सभी विदेशी विद्यार्थी जिन्होंने भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत के किसी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा उसके समान श्रेणी में उत्तीर्ण की है, भारत-सरकार के विदेश-विभाग एवं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के माध्यम से शोध-छात्र के रूप में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं।

संयुक्त विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा

- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) शोध पञ्जीकरण हेतु मई/जून माह में संयुक्त-शोध-परीक्षा का आयोजन करता है।
- परीक्षा नामांकनादि संयुक्त विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा विवरणिका में देखी जा सकती है।



पञ्जीकरण की प्रक्रिया

संयुक्त विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा में वरीयता क्रम से अर्ह घोषित छात्र निश्चित अवधि तक शोध प्रारूप के साथ अपना आवेदन-पत्र शोध-निर्देशक द्वारा अग्रसारित कराकर सम्बद्ध परिसर में जमा करेगा। तत्पश्चात् परिसर की स्थानीय शोध समिति शोधार्थियों की तथा उनके द्वारा निर्धारित शोध-विषयों एवं शोध-प्रारूपों की समीक्षा करेगी। प्राचार्य उचित आवेदन-पत्रों को निर्धारित तिथि तक केन्द्रीय शोध-मण्डल में विचार एवं स्वीकृति हेतु राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) नई दिल्ली को प्रेषित करेंगे। राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) के शोध विभाग द्वारा स्वीकृति के पश्चात् सम्बद्ध परिसर को निर्णय की सूचना प्राप्त होने के बाद छात्र अपना प्रवेश शुल्क जमा कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेगा। परिसर के अतिरिक्त संस्थान मुख्यालय में भी शोध कार्य किया जा सकता है। इसके लिये नियमावली संयुक्त विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा विवरणिका-2015 में देखी जा सकती है।

विद्यावारिधि सत्रार्द्ध पाठ्यक्रम कार्य

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2009 के अनुसार शोधार्थी को छः महीने का शोधप्रविधि विषयक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना अनिवार्य है।

अतः प्रवेशीकरण के पश्चात् प्रत्येक विद्यावारिधि छात्र को उसकी पञ्जीकरण अवधि में न्यूनतम एक सेमेस्टर की अवधि तक पाठ्यक्रम कार्य को करना होगा। यह पाठ्यक्रम कार्य निश्चित रूप से शोधपद्धति का पाठ्यक्रम होगा जिसमें परिमाणात्मक पद्धति एवं कम्प्यूटर प्रयोग शामिल होगा। इसमें सम्बद्धक्षेत्र में किये गये शोधप्रकाशनों की समीक्षा भी शामिल है। इस पाठ्यक्रमकार्य की पूर्णता के पश्चात् शोधछात्र को राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित विद्यावारिधि पाठ्यक्रम कार्य सत्रार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। संस्थान इस परीक्षा में न्यूनतम अर्हता को निर्धारित करेगा।

- पाठ्यक्रम कार्य को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने वाले छात्रों को तत्सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा, जिसके पश्चात् शोधछात्र अपने शोधप्रबन्ध लेखन में अग्रसर होगा।
- शोधग्रंथ प्रस्तुत करने के पूर्व शोधछात्र को एक पूर्व विद्यावारिधि प्रस्तुतीकरण करना पड़ेगा जो कि समस्त संकाय सदस्यों एवं शोधछात्रों के लिये खुला होगा, ताकि टिप्पणियां एवं सुझाव प्राप्त हो सकें, जिनको निरीक्षक के सुझाव पर, ड्राफ्ट शोधग्रन्थ में सम्मिलित किया जा सके।
- शोधग्रन्थ को प्रस्तुत करने के पूर्व शोधच्छात्र निर्दिष्ट पत्रिका में एक शोधपत्र प्रकाशित करायेगा एवं रीप्रिंट या स्वीकृति पत्र को प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत करेगा।



सत्रार्द्ध पाठ्यक्रम

पूर्णांक - 200

प्रथम पत्र - अंक - 100

(अ-खण्ड) - 50 अंक

अनुसन्धानपद्धति (शास्त्रसम्बद्ध छात्रों हेतु)

अनुसन्धानपद्धति/शैक्षिक अनुसंधान (शिक्षाशास्त्रसम्बद्ध छात्रों हेतु)

(ब-खण्ड) - 50 अंक

हस्तलेखशास्त्र (सभी छात्रों हेतु समान)

द्वितीय पत्र - अंक - 100

(अ-खण्ड) - 50 अंक

पाठसमालोचन (शास्त्रसम्बद्ध छात्रों हेतु)

शास्त्रशिक्षणपद्धति (शिक्षाशास्त्रसम्बद्ध छात्रों हेतु)

(ब-खण्ड) - 50 अंक

1. सम्बद्ध अनुसंधान क्षेत्र में प्रकाशित शोध/साहित्य का सर्वेक्षण व समीक्षा - 30 अंक
(पुस्तकालय कार्य, 02 एसाइनमेंट्स तथा 02 प्रायोजनाओं के आधार पर केवल मार्गदर्शक द्वारा मूल्यांकन किया जाए।)

2. संस्कृत साहित्य में संगणकीय अनुप्रयोग - 20 अंक

(केवल आन्तरिक मूल्यांकन, जिसे प्रयोगशाला के आधार पर मूल्यांकन किया जाए।)

शोधनिर्देशक के मानदण्ड

कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) नई दिल्ली द्वारा अधिकृत एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप संस्थान के अध्यापक तथा प्रतिष्ठित सम्बद्धताप्राप्त संस्था में कार्यरत अध्यापक, शोध निर्देशन कर सकते हैं। अन्तःशास्त्रीय विषय जैसे आधुनिक मनोविज्ञान, आयुर्वेद आदि विषय से सम्बद्ध बाह्य सह-निर्देशक की नियुक्ति आवश्यक होगी। स्थानीय शोध-समिति की अनुशांसा पर केन्द्रीय-शोध-मण्डल संस्थान के बाहर से भी विशेषज्ञ विद्वान् को शोध-निर्देशक के रूप में नियुक्त कर सकता है।

विषय-चुनाव एवं शोध-प्रारूप निर्माण के महत्त्वपूर्ण बिन्दु

1. शीर्षक का निर्धारण -



2. शोध विषय के चुनाव का औचित्य
3. शोधविषय की प्रासंगिकता तथा महत्त्व
4. उस विषय पर किये जा चुके अध्ययनों का उल्लेख,
5. शोध के आयाम
6. शोध प्रबन्ध की संरचना।

शोधप्रबन्ध के सम्भावित अध्यायों को प्रारूप में बताया जाना चाहिये। शोध पूर्ण होने पर उन अध्यायों में परिवर्तन आदि की भी सम्भावना स्वीकार्य हो सकती है। सामान्यतः अध्यायों का प्रारूप पूर्व कथित महत्त्व, आयाम प्रासंगिकता तथा सम्भावित उपसंहार के आधार पर निर्मित होने चाहिये। अध्यायों के विभाजन में क्रमिकता का ध्यान रखना आवश्यक है। यह क्रमिकता विचारों की प्रस्तुति के क्रम पर भी आधारित हो सकती है। प्रत्येक अध्याय के सम्भावित बिन्दुओं को अवश्य लिखा जाना चाहिए, जिससे प्रारूप स्पष्ट हो सकें। इसी प्रकार सम्भावित निर्णयों को बिन्दुशः प्रस्तुत किया जाना चाहिए, परिशिष्ट में सन्दर्भसूची समाविष्ट करें।

शोधनिर्देशक तथा विषय परिवर्तन की प्रक्रिया

पंजीकरण के छः माह के अन्दर शोधकर्ता अपने विषय/शोधप्रारूप में परिवर्तन/परिवर्धन/संक्षेपण हेतु निर्देशक के माध्यम से सम्बद्ध परिसर के प्राचार्य की अनुशंसा के साथ केन्द्रीय शोधमण्डल को आवेदन कर सकता है। केन्द्रीय शोधमण्डल इस पर निर्णय लेगा। शोध निर्देशक के परिवर्तन के लिए भी शोधार्थी अपनी सुविधानुसार आवेदन कर सकता है। माननीय कुलपति महोदय की संस्तुति के पश्चात् शोध निर्देशक परिवर्तित हो सकते हैं।

अनुसंधान काल एवं पुनः पंजीकरण

पंजीकरण की तिथि से कम से कम 24 माह (दो वर्ष) के बाद शोधकर्ता अपने शोध-प्रबन्ध को किसी भी समय परीक्षणार्थ जमा कर सकता है। शोध-प्रबन्ध जमा करने की अधिकतम अवधि परिसर में पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि से पाँच वर्ष होगी। पंजीकरण की तिथि से 60 माह (पाँच वर्ष) की अवधि अधिकतम अवधि होगी। इसके पश्चात् शोध-कार्य की पूर्णता हेतु शोधच्छात्र उचित कारण रहने पर अधिक से अधिक 24 माह (दो वर्ष) के लिए निर्धारित शुल्क (रू 1000/-) जमा कर पुनः पंजीकरण करा सकता है। इसके लिए आवेदन-पत्र पर शोध-निर्देशक तथा सम्बद्ध परिसर के प्राचार्य द्वारा विलम्ब के कारणों के उल्लेख पूर्वक संस्तुति आवश्यक होगी।

सात वर्षों की सीमा समाप्त होने के पश्चात् आवश्यक होने पर केन्द्रीय शोधमण्डल द्वारा समय परिवर्धन के सम्बन्ध में विचार करके निर्णय लिया जा सकेगा।



उपस्थिति एवं प्रगति-विवरण

- सभी पञ्जीकृत शोधच्छात्र का प्रत्येक 6-6 माह में शोध-कार्य की प्रगति का विवरण शोध-निर्देशक निर्धारित प्रपत्र पर प्राचार्य के कार्यालय में जमा करेंगे। जिसकी एक प्रति शोध-निर्देशन एवं प्राचार्य की टिप्पणी के साथ परिसर द्वारा संस्थान मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- नियमित शोधच्छात्र प्रत्येक माह में 75 प्रतिशत (कार्यदिवसों में) उपस्थित होकर शोध-निर्देशक के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। अध्यापक या सेवारत शोधार्थी के लिए उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होगी।
- शोध अवधि में शोधकार्य के लिए शोधछात्र किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा पुस्तकालय अथवा संस्था में निर्देशक की संस्तुति तथा प्राचार्य की अनुमति से जा सकते हैं। इस अविधि में उनकी उपस्थिति मानी जायेगी।
- परिसर द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों, व्याख्यानमालाओं आदि में नियमित शोधच्छात्र की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- प्रत्येक शोधच्छात्र को अपने शोध अवधि के प्रत्येक वर्ष में शोध-विषय से सम्बन्धित कम से कम दो शोधपत्रों का परिसर की शोधसंगोष्ठी में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ऐसी शोधसंगोष्ठियों का आयोजन प्राचार्य, विभागाध्यक्ष तथा शोधनिर्देशक के आवेदन पर सुविधानुसार करेंगे।
- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) में पञ्जीकृत शोधछात्र को अपने प्रवेश के समय अथवा प्रवेश तिथि के 6 माह के अन्दर निष्क्रमण प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञापन दिया जायेगा। इस ज्ञापन के निर्गत किए जाने की तिथि से 02 माह के भीतर निष्क्रमण प्रमाणपत्र शोध एवं प्रकाशन विभाग में नहीं जमा किए जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

शोध-प्रबन्ध की प्रस्तुति

- पंजीकरण के 24 माह पश्चात् किसी भी समय शोधच्छात्र शोध-प्रबन्ध का सार प्रस्तुत करने के लिए परिसर के प्राचार्य को शोधनिर्देशक की संस्तुति से प्रार्थना पत्र सकता है। प्राचार्य निश्चित तिथि को संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, जिसमें छात्र शोधसारांश प्रस्तुत करेगा, जिसकी समीक्षा के पश्चात् प्राचार्य शोध-प्रबन्ध जमा करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे। शोध-सारांश की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर शोध-प्रबन्ध जमा किया जाना आवश्यक होगा। शोध-सारांश की टंकित तीन प्रतियाँ परीक्षणार्थ शोधप्रबन्ध जमा करने से तीन माह



पूर्व प्राचार्य एवं मार्गदर्शक के पास जमा करें जिसे प्राचार्य अग्रिम सूचना एवं कार्यवाही के लिए मुख्यालय परीक्षा अथवा शोध प्रकाशन विभाग को भेजेंगे।

- टिप्पणी- विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय की संस्तुति पर 18 माह के बाद भी शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत हो सकता है।
- शोधप्रबन्ध की भाषा संस्कृत होगी, जिसे केवल देवनागरी में लिपिबद्ध किया जा सकेगा।
- शोध-छात्र शोधप्रबन्ध की टंकित/मुद्रित सुवाच्य छः प्रतियाँ मार्गनिर्देशक के पास प्रस्तुत करेगा, उन्हें मार्गनिर्देशक प्रमाणित कर प्राचार्य द्वारा अग्रसारित कराकर परिसर कार्यालय में जमा करेंगे। उनमें से तीन प्रतियाँ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) के परीक्षा अथवा शोध-विभाग को मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेंगे। शेष तीन प्रतियाँ क्रमशः परिसर-पुस्तकालय तथा मार्गनिर्देशक एवं छात्र को समर्पित की जायेंगी।
- शोधप्रारूप-निर्माणसम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार ही शोधप्रबन्ध प्रस्तुत होना चाहिए। सामान्यतः स्वीकृत शोधप्रारूप के आलोक में शोधार्थी को शोध-प्रबन्ध तैयार करना चाहिए। यदि प्रारूप में परिवर्तन किया गया है तो सकारण विवरण देना चाहिए।
- शोधनिर्देशक शोधप्रबन्ध को प्रमाणित करते हुए यह उल्लेख करेंगे कि यह शोधप्रबन्ध शोधछात्र का मौलिक कार्य है और शोधार्थी के नियमानुसार आवश्यक अवधि तक उसके निर्देशकत्व में शोध कार्य किया है।
- प्री-डाक्टरोल समिति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- शोधार्थी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) द्वारा निर्धारित आवश्यक शुल्क परिसर में जमा करेगा। साथ ही उन्हें परिसर से सम्बन्धित विभागों (पुस्तकालय, संग्रहालय, क्रीडा, छात्रवास आदि) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र परिसर कार्यालय में जमा करेगा।

मूल्यांकन के लिए शोध-प्रबन्ध के साथ प्रेषण हेतु -

- तीन शोध प्रबन्ध।
- रु. 1000.00 का डिमांड ड्राफ्ट (कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली) के पक्ष में देय हो।
- छात्र का पूर्ण विवरण (फार्म के अनुसार)।
- प्राचार्य द्वारा सत्यापन एवं अग्रसारण प्रपत्र।

परीक्षकों की नियुक्ति

- शोध छात्र द्वारा शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करने के पश्चात् शोधनिर्देशक नौ विषय-विशेषज्ञों के नाम पूर्ण विवरण के साथ प्राचार्य के माध्यम से परीक्षा अथवा शोध विभाग राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली को परीक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रेषित करेंगे। परिसर के प्राचार्य/संकाय



प्रमुख भी सम्बद्ध विषय के छह विषय-विशेषज्ञों के नाम निर्धारित-प्रपत्र पर पूर्ण संकेत के साथ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) नई दिल्ली को प्रेषित करेंगे। कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) अपने विवेक से उक्त नामों में से किन्हीं दो विशेषज्ञों को मूल्यांकन हेतु परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं। उक्त नामों के अतिरिक्त भी कुलपति अपनी इच्छा से किसी अन्य विषय-विशेषज्ञ को परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं।

शोधप्रबन्ध के मूल्यांकन के लिये परीक्षकों की संस्तुति कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय), नई दिल्ली द्वारा की जायेगी। परीक्षा अनुभाग निर्दिष्ट परीक्षक को सूचित करेगा कि वह तीन माह के भीतर शोधप्रबन्ध से सम्बद्ध रिपोर्ट भेज दें।

वाक्-परीक्षा

परीक्षकों के द्वारा विद्यावारिधि उपाधि के लिए संस्तुति प्राप्त होने के छः माह के अन्दर परीक्षाविभाग शोधार्थी की वाक्-परीक्षा का राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) के मुख्यालय में अथवा सम्बन्धित परिसर में आयोजन करेगा। कुलपति महोदय की स्वीकृति से अन्यत्र भी आयोजन किया जा सकता है।

वाक्-परीक्षा में शैक्षणिक अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से परीक्षक सन्तुष्ट नहीं होता तो छः माह के भीतर पुनः वाक्-परीक्षा के लिए निर्देश दे सकता है। मुख्य वाक्-परीक्षक का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। यदि परीक्षक दूसरी बार भी परीक्षार्थी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होता तो शोधच्छात्र को विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त करने के योग्य नहीं माना जायेगा और उसके द्वारा प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपेक्षित प्रमाणपत्र

1. पूर्व उत्तीर्ण परीक्षाओं की उत्तीर्णता के विषय में विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मैट्रिक या तत्समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र) जिसमें जन्म तिथि भी प्रमाणित की गई हो।
3. चरित्र प्रमाण पत्र (पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा)।
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)।
5. निष्क्रमण प्रमाण पत्र (माइग्रेसन सर्टिफिकेट)।

टिप्पणी - प्राचार्य विशेष परिस्थितियों में किसी छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं निष्क्रमण प्रमाण-पत्र बाद में प्रस्तुत करने की छूट दे सकते हैं किन्तु उचित अवधि के अन्दर इसे प्रस्तुत न करने पर छात्र का नाम निरस्त कर दिया जायेगा।



6. पूर्व परीक्षा में प्राप्त अड्कों की विषयानुसार अंक पत्र (मार्कशीट)।
7. क्रीडा एवं पाठ्येतर प्रवृत्तियों में प्रवीणता प्राप्ति का प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)।

आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ उपयुक्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां अवश्य संलग्न करनी चाहिये। प्रवेश के समय मूल प्रमाण-पत्र मांगने पर दिखाएं। अस्पष्ट एवं असत्यापित प्रमाण पत्रादि प्रवेशार्थ स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

परिधान

संस्थान परिसर में शिक्षाशास्त्री/शिक्षाचार्य को छोड़कर शेष छात्र-छात्राओं के लिए सादे परिधान का नियम है। शिक्षाशास्त्री/शिक्षाचार्य के छात्र-छात्राओं हेतु परिधान संबंधित परिसर के विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित होगा।

2. प्रवेश निरस्ति और प्रतीक्षकों का प्रवेश

जो छात्र प्रवेश स्वीकृत हो जाने पर प्रवेश सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं यथासमय पूर्ण नहीं करेंगे उनके नाम प्रवेश सूची से निरस्त कर दिये जायेंगे तथा उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में रखे गये छात्रों को वरीयता क्रम से प्रवेश दिया जायेगा। प्रतीक्षा सूची में जो छात्र प्रवेश के वरीयताक्रम में प्रवेश योग्य होंगे उन्हें भी निर्धारित समय पर प्रवेश सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रवेश लेना होगा।

विशेष सूचना -

- (क) आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रादि में कोई भी असत्य सूचना देने पर और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा निर्धारित योग्यताओं में कमी होने पर आरम्भ में प्रवेश हो भी गया हो तो भी बिना कारण बताये उस छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके लिए संस्थान का कोई भी दायित्व नहीं होगा।
- (ख) इन नियमों में तथा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) द्वारा इनसे पूर्व या समय-समय पर प्रकाशित या निर्दिष्ट नियमों में अन्तर होने पर संस्थान द्वारा निर्दिष्ट नियम अन्तिम रूप से स्वीकार्य होंगे।



3. सुरक्षित धनराशि

- (क) यदि प्रवेश प्राप्त छात्र संस्थान परिसर छोड़कर जाता है तो उसे सुरक्षित धनराशि के अतिरिक्त लिया गया कोई भी शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
- (ख) उपर्युक्त धनराशि नकद के रूप में ही देय होगी चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में नहीं।
- (ग) सुरक्षित धन राशि परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद अथवा सत्रावसान पर ही लौटायी जायेगी। यदि कोई छात्र बीच में उक्त राशि को वापस लेगा तो उस छात्र का प्रवेश निरस्त हो जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में उस छात्र का पुनः प्रवेश नहीं होगा।

4. उपस्थिति व अवकाश नियम

संस्थान की प्रत्येक कक्षा में छात्र की नियमित उपस्थिति आवश्यक है। बिना लिखित प्रार्थना-पत्र के लगातार 10 दिन तक कक्षा में अनुपस्थिति रहने पर छात्र का नाम संस्थान से निरस्त कर दिया जायेगा। किन्तु प्राचार्य अनुपस्थिति के कारणों से सन्तुष्ट होने पर पुनः प्रवेश भी कर सकेंगे। उस स्थिति में छात्र को पुनः प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा।

प्राक् शास्त्री, शास्त्री व आचार्य परीक्षा में प्रवेशार्हता के लिये एक शिक्षासत्र (वार्षिक परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में) में अथवा एक शिक्षासत्रार्थ (सत्रार्थ परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में) में छात्र की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात् छात्र को एक शिक्षा सत्र/शिक्षासत्रार्थ में कुल व्याख्यान दिवसों का अधिकतम 25 प्रतिशत अवकाश दिया जायेगा। यह अवकाश प्राचार्य की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृत होगा -

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर बिना चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के एक शैक्षिक सत्र में एक बार केवल 10 दिनों तक का अवकाश।
2. एक शैक्षिक सत्र में पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा छात्र की अस्वस्थता के प्रमाण-पत्र के आधार पर 20 दिनों का चिकित्सकीय अवकाश।

विशेष: उपर्युक्त दोनों प्रकार के अवकाश का लाभ पूर्ण शैक्षिक सत्र की दृष्टि से है न कि सत्रार्थ की दृष्टि से। यदि किसी शैक्षिक सत्र के प्रथम सत्रार्थ में पूर्वोक्त पूर्ण अवकाशों का लाभ प्राप्त कर लिया हो तो अग्रिम सत्रार्थ में यह लाभ प्राप्त नहीं होगा।



3. शिक्षाशास्त्री व शिक्षाचार्य परीक्षा में प्रवेशार्हता के लिए एक शिक्षासत्र/सत्रार्थ में सैद्धान्तिक पत्र में 80% व प्रायोगिक कार्य में 90% उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात् विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर प्राचार्य द्वारा सैद्धान्तिक पत्रों में अधिकतम 20% व प्रायोगिक कार्य में अधिकतम 10% अवकाश दिया जायेगा। ऐसे छात्रों को इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी अवकाश देय नहीं होगा।

परीक्षा के सन्दर्भ में उपस्थिति में छूट

1. संस्थान के कुलपति विशेष परिस्थिति में एक शैक्षिक सत्र में एक बार उपस्थिति प्रतिशत में 5% की छूट दे सकते हैं। परन्तु इसके लिए संबद्ध परिसरों/महाविद्यालयों/आदर्श विद्यापीठों के प्राचार्य छूट देने हेतु वैध कारणों को दर्शाते हुए संबद्ध छात्रों के मामले कुलपति को अग्रसारित करेंगे।
2. एक परिसर से दूसरे परिसर अथवा एक महाविद्यालय से अन्य महाविद्यालय/परिसर में स्थानान्तरित होने वाले छात्रों की पिछली संस्थाओं में उपलब्ध उपस्थिति की अपेक्षित उपस्थिति की प्रतिशत गणना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। लेकिन जो छात्र पत्राचार के माध्यम से प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, वे संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किए गये नियमों द्वारा अनुबन्धित होंगे।
3. उपर्युक्त सभी नियमों के लागू होने पर भी कोई छात्र जो संस्था से निकाला जा चुका है, अथवा निष्कासित हुआ है अथवा किसी भी एक अवधि के लिए परीक्षा के अयोग्य पाया गया है, तो इसे संस्थान के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।
4. वांछित उपस्थिति के पूर्ण होने पर कोई छात्र बीमारी के कारण वार्षिक परीक्षा में बैठने में असमर्थ होता है कि तो चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणित करने पर वह अगले वर्ष की परीक्षा में पूर्वछात्र के रूप में बैठ सकता है। अगले वर्ष वह अध्ययनार्थ कक्षाओं में उपस्थित हो सकता है किन्तु वह नियमित छात्र नहीं जाना जायेगा और छात्रवृत्ति का अधिकारी नहीं होगा।

विशेष: किसी एक परीक्षा में कोई भी छात्र किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान की अन्य परीक्षा में एक ही समय में परीक्षा देने का अधिकारी नहीं होगा। प्रत्येक छात्र को प्रथम प्रवेश के पांच वर्षों के अन्दर केवल पांच प्रयत्नों में ही उपाधि प्राप्त करनी होगी।

5. शुल्क विवरण

परिसर में प्रवेश स्वीकृत होने पर प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित शुल्क एवं सुरक्षित धनराशि (रुपये में) पूरे सत्र के लिए आरम्भ में ही जमा करानी होगी।



परिचायिका शुल्क = रु. 50/-
(प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रवेशार्थी के लिए समान)

शैक्षिक पाठ्यक्रमों का शुल्क

क्र. सं.	विवरण	प्राक् शस्त्री	शास्त्री	आचार्य	वि.वा. (शोध)
1.	प्रवेश शुल्क	25	25	25	25
2.	सुरक्षित धन पुस्तकालय	150	150	150	150
3.	नामांकन शुल्क	30	30	30	30
4.	परिचय पत्र	50	50	50	50
5.	पत्रिका शुल्क	75	75	75	75
6.	क्रीड़ा शुल्क	100	100	100	100
7.	छात्रकोष शुल्क	400	400	400	400
8.	विविध प्रवृत्ति शुल्क	20	20	20	20
9.	कला/कृति शुल्क	50	50	50	50
	योग	रु. 900	रु. 900	रु. 900	रु. 900

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का शुल्क

शिक्षाशास्त्री व शिक्षाचार्य हेतु साधारण शुल्क

क्र.सं.	विवरण	शुल्क
1.	प्रवेश शुल्क	100
2.	पुस्तकालय सुरक्षित धन	500
3.	नामांकन शुल्क	50
4.	परिचय पत्र	50
5.	पत्रिका शुल्क	100
6.	क्रीड़ा शुल्क	100
7.	छात्रकोष शुल्क	400
8.	विविध प्रवृत्ति शुल्क	50
9.	कला/कृति शुल्क	50
	योग	रु. 1400



शिक्षाशास्त्री विशेषछात्रकोष

क्र.सं.	विवरण	प्रथमवर्ष शुल्क रु.	द्वितीयवर्ष शुल्क रु.
1.	प्रवेश हेतु सामान्य शुल्क	1400	900
2.	विभागीय पत्रिका	400	400
3.	शिक्षणोपकरणमंजूषा	500	500
4.	विविधप्रवृत्ति शुल्क	1500	1500
5.	संगणकीय कार्य	100	100
6.	संगोष्ठी	100	100
7.	सामूहिक छायाचित्र	-	200
8.	विशिष्ट व्याख्यान	-	300
	योग	रु. 4000	रु. 4000

शिक्षाशास्त्री शुल्क महायोग = रु. 4000 + रु. 4000 = रु. 8000/-

शिक्षाचार्य विशेषछात्रकोष

क्र.सं.	विवरण	प्रथमवर्ष (दो सत्रार्थ) शुल्क रु.	द्वितीयवर्ष (दो सत्रार्थ) शुल्क रु.
1.	प्रवेश हेतु सामान्य शुल्क	1400	900
2.	विभागीय पत्रिका	450	450
3.	शिक्षणोपकरणमंजूषा	500	500
4.	विविधप्रवृत्ति शुल्क	1500	1500
5.	प्रशिक्षुता	500	500
6.	संगोष्ठी	400	500
7.	संगणकीय कार्य	100	200
8.	छायाचित्र	-	200
9.	विशिष्ट व्याख्यान	150	250
	योग	रु. 5000	रु. 5000

शिक्षाचार्य शुल्क योग - रु. 5000 + रु. 5000 = रु. 10000

**छात्रावास शुल्क**

क्र.सं	विवरण	शुल्क
1.	प्रवेश शुल्क	100
2.	छात्रावास सुरक्षित राशि	1000
3.	विद्युत शुल्क	200
4.	रख-रखाव शुल्क अप्रत्यावर्तनीय	1000
	कुल	रु. 2300

छात्र-कोष

छात्रकोष का प्रबन्ध एक समिति के अधीन है। परिसर के प्राचार्य समिति के अध्यक्ष होंगे तथा इसमें एक अध्यापक छात्र कल्याण अधिकारी के रूप में रहेंगे। कक्षाओं में प्रवेश के समय बनी योग्यता सूची में से सभी कक्षाओं से एक-एक सर्वप्रथम स्थान प्राप्त छात्र समिति के सदस्य होंगे। छात्र कोष के मद के साथ लिया गया धन किसी बैंक में रखा जायेगा। एकाउन्ट का संचालन प्राचार्य एवं अनुभाग अधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे। परिसर के अन्य धन सम्बन्धी मदों के समान छात्रकोष का भी लेखा निरीक्षण करवाया जायेगा।

6. छात्र कल्याण परिषद्

संस्थान के सभी परिसरों में नियमानुसार 'छात्र कल्याण परिषद्' कार्य करेगी। परिषद् में योग्यताक्रम से प्रत्येक कक्षा से पूर्व परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त छात्र प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होंगे।

7. अनुशासन

प्रत्येक छात्र-छात्रा को संस्थान परिसर के गौरव को बढ़ाने के लिए सद् आचरण से रहना होगा। पान, तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थ खाना वर्जित है। विश्वविद्यालय की सभी शैक्षणिक प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य है। परिसर के भवन, फर्नीचर आदि को कोई हानि पहुँचाये जाने पर छात्र को नाम परिसर से निरस्त किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति राशि छात्र से ली जायेगी।



आचार संहिता

आचार संहिता परिसर के सभी छात्र अनुशासन के समस्त नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।

1. छात्रों को आत्मानुशासन का पालन करना चाहिए और कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रखनी चाहिए।
2. छात्रों को किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उन्हें यथोचित दण्ड दिया जायेगा। छात्रों द्वारा अत्यन्त गम्भीर दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर/प्रमाणित होने पर अनुशासन समिति की अनुशंसा पर छात्र को संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है।
3. कोई छात्र यदि परिसर की सम्पत्ति का नुकसान करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य माना जायेगा तथा नुकसान हुई सम्पत्ति की भरपाई के लिए वह जिम्मेदार होगा।
4. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे। उन्हें ऐसी किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग लेने से सख्त मना किया जाता है, जो परिसर की गरिमा के विपरीत हो।
5. परिसर में स्वयं या उनके द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति भंग करने, अपनी बात जबर्दस्ती मनवाने का प्रयास करने पर परिसर की अनुशासन समिति उस छात्र को दण्डित कर सकती है।
7. अनुशासन समिति की अनुशंसा पर प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
8. परिसर में कालांश के समय छात्रों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।

8. रैगिंग निषेध अधिनियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग निषेध अधिनियम-2009 के नियम-6.3 (क) दिनांक 17 जून 2009 के अनुसार परिसरों में रैगिंग दण्डनीय अपराध है।

रैगिंग में निम्नलिखित अपराध सम्मिलित हैं -

1. रैगिंग हेतु उकसाना।
2. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र।
3. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना।
4. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।



5. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।
6. शरीर को चोट पहुँचाना।
7. गलत ढंग से रोकना।
8. आपराधिक बल प्रयोग।
9. प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध।
10. बलात् ग्रहण।
11. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
12. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध।
13. आपराधिक धमकी।
14. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।
15. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना।
16. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना।
17. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध।

रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कार्य

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे -

- क किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
- ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
- ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो सह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
- घ वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाएँ।
- ङ नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
- च नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
- छ शारीरिक शोषण को कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।



- ज मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
- झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

संस्थाध्यक्ष द्वारा रैगिंग विरोधी की जाने वाली कार्यवाही -

रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी व्यक्ति के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं -

रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही -

रैगिंग निषेध अधिनियम-2009 के नियम 9.1 (ख) के अनुसार रैगिंग में संलिप्त छात्र/छात्रा के लिए निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है।

- 9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।
- क. रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।
- ख. रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।
1. कक्षा में उपस्थिति होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन।
 2. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना।
 3. किसी टेस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थिति होने से वंचित करना।
 4. परीक्षाफल रोकना।
 5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
 6. छात्रावास से निष्कासित करना।



7. प्रवेश रद्द करना।
 8. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना।
 9. संस्थान परिसर से निश्चित अवधि तक निष्कासन करना।
 10. रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके तो संस्थान सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।
- ग. रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जा सकेगी
1. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान होने पर कुलपति से।
 2. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से।
 3. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्व की संस्थान होने पर उसके चेयरमेन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार।

9. छात्रवृत्ति

उद्देश्य :- संस्थान में अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रमुख उद्देश्य संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना है।

छात्रवृत्ति की पात्रता -

- (क) संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने पर विचार किया जायेगा।
- (ख) छात्रवृत्ति की अर्हता के लिए गत परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। शिक्षा-शास्त्री में प्रविष्ट छात्रों के गत परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक होने चाहिये।
- (ग) छात्रवृत्ति वरीयता क्रम से दी जायेगी। जिन छात्रों को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति स्वीकृत हो गई है उनके लिए पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष तक छात्रवृत्ति चालू रहेगी, यदि वे प्रत्येक वर्ष में उत्तीर्ण होते हुए योग्यता क्रम में आयेंगे। जो छात्र किसी विषय या प्रश्न पत्र में प्रोन्नत किये जाते हैं या पूरक परीक्षा के लिए रह गये हैं, उनके शेष वर्षों में उनको छात्रवृत्ति देने पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (घ) छात्रवृत्तियाँ शेष हों तो द्वितीय या तृतीय वर्ष के योग्यता क्रम में आने वाले उन छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जा सकती है जिनको पूर्व वर्ष या वर्षों में छात्रवृत्ति नहीं मिली हो।

**छात्रवृत्तियों की संख्या**

विश्वविद्यालय के बजट में प्रावधान होने एवं पाठ्यक्रमों के चलते रहने पर प्रतिवर्ष निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध होंगी -

(क) प्राक्-शास्त्री	25 प्रत्येक वर्ष
(ख) शास्त्री	60 प्रत्येक वर्ष
(ग) शिक्षाशास्त्री	50 प्रतिशत छात्रों को प्रतिवर्ष
(घ) आचार्य	15 प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक विषय में
(ङ) शिक्षाचार्य	50 प्रतिशत छात्रों को प्रत्येक वर्ष
(च) विद्यावारिधि	15 छात्रवृत्तियाँ प्रत्येक वर्ष

छात्रवृत्ति प्रदान करने के नियम

- (क) छात्रवृत्ति छात्र की शैक्षणिक प्रगति, अच्छे आचरण एवं नियमित उपस्थिति पर निर्भर करेगी।
- (ख) वर्ष में केवल 10 मास के लिए ही छात्रवृत्ति दी जायेगी।
- (ग) प्रत्येक वर्ष या पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के लिए नवीन चुनाव किया जायेगा। छात्रवृत्ति पाने वाले जिन छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है या किसी खण्ड में उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनको अग्रिम वर्ष या पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति योग्यता क्रम से दी जायेगी।
- (घ) इन नियमों के अन्तर्गत किसी भी छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को किसी अन्य स्थान से छात्रवृत्ति वेतन या पारिश्रमिक पाने की छूट नहीं होगी। इस तरह की किसी भी वृत्ति प्राप्त करने की स्थिति में संस्थान में छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पूर्व उसे वह वृत्ति छोड़नी होगी और यदि कोई धन प्राप्त किया हो तो वह वापस करना होगा। वर्ष भर में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि के बराबर से कम तक कोई छात्र नकद या किसी अन्य रूप में आकस्मिक पुरस्कार प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति पाने के अयोग्य नहीं होगा। इसी प्रकार छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त निःशुल्क शिक्षा, स्वाध्याय हेतु छात्रवास, पुस्तकें एवं यातायात सुविधा (छूट) प्राप्त करने की अनुमति भी होगी।

छात्रवृत्ति की राशि

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति की राशि (मासिक) निम्नलिखित है -

1. प्राक्-शास्त्री	600 रु.
2. शास्त्री	800 रु.



3.	शिक्षाशास्त्री	800 रु.
4.	आचार्य	1000 रु.
5.	शिक्षाचार्य	1000 रु.
6.	विद्यावारिधि	5000 रु. एवं प्रतिवर्ष 3000 रु. सांयोगिक राशि।

टिप्पणी:- सांयोगिक धनराशि शोध छात्र द्वारा प्रस्तुत व्यय-विवरण के आधार पर प्रदान की जायेगी। शोधच्छात्र यह धनराशि पुस्तक-क्रय, शोध-सम्बन्धी यात्रा, लेखन तथा टंकण सम्बन्धी कार्यों में व्यय कर सकता है।

छात्रवृत्ति की राशि को संस्थान द्वारा किसी भी समय कम या अधिक किया जा सकता है।

छात्रवृत्ति की प्राप्ति और उसको जारी रखने के लिए प्रत्येक कक्षा में नियमानुसार ७५ प्रतिशत उपस्थिति और विश्वविद्यालय के अनुशासन का सर्वथा पालन अनिवार्य है। किसी भी अध्यापक या कर्मचारी द्वारा छात्र के विरुद्ध अनुशासनहीनता की शिकायत प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति स्थगित या निरस्त की जा सकेगी।

छात्रवृत्ति के लिए चयन की प्रक्रिया

जिस कक्षा में छात्र ने प्रवेश लिया है, उसमें छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्र को निर्धारित आवेदन पत्र भर कर प्राचार्य की सेवा में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद, छात्रवृत्ति नियमों के आधार पर योग्यता क्रम से प्राचार्य छात्रवृत्ति स्वीकृत करेंगे।

अवधि -

- सामान्यतया छात्रवृत्ति की अवधि एक सत्र में 10 माह की होगी।
- शोध छात्रवृत्ति सामान्यतः दो वर्ष (24 माह) के लिए होगी।
- छात्रवृत्ति की अर्हता होने पर छात्रवृत्ति की अवधि पाठ्यक्रम के प्रथम या द्वितीय वर्ष (जैसी परिस्थिति हो) की पूर्व से लेकर अन्तिम तक होगी।
- जो छात्रवृत्ति एक बार निरस्त कर दी जायेगी, वह राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) की पूर्व स्वीकृति के बिना पुनः प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
- उत्तम आचरण तथा नियमित उपस्थिति छात्रवृत्ति को जारी रखने की प्राथमिक शर्तें हैं। किसी मास में किसी कक्षा तथा प्रश्न पत्र में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र को तब तक छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी, जब तक वह उपस्थिति की कमी को पूर्ण कर 75 प्रतिशत तक उपस्थिति नहीं कर लेता। 30 दिन से अधिक निरन्तर अनुपस्थिति पर उस अवधि की



छात्रवृत्ति निरस्त हो जायेगी, चाहे छात्र की कुल उपस्थिति पूर्ण क्यों न हो। ऐसे छात्र को 10 माह की अवधि में से अनुपस्थिति के समय को काटकर शेष समय की छात्रवृत्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

भुगतान

छात्रवृत्ति का भुगतान संस्थान से वित्तीय स्वीकृति और राशि मिलने पर ही किया जा सकेगा। सामान्यतः उपस्थितियों के आधार पर छात्रवृत्ति समिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्ति के भुगतान का आदेश प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में संस्थान के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। प्रवेश या वास्तविक उपस्थिति की तिथि से जो तिथि बाद में होगी, उसी तिथि से छात्रवृत्ति प्रारम्भ होगी।

शोध-छात्रवृत्ति

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) प्रतिवर्ष अपने प्रत्येक परिसरों में कुल मिलाकर 15 शोधच्छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) किसी परिसर की विशेष परिस्थिति के आधार पर आवश्यकतानुसार विशेषाधिकार से छात्रवृत्ति की संख्या में परिवर्तन भी कर सकते हैं। आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) में 60 प्रतिशत परिणाम की वरीयता-क्रम-सूची के आधार पर संस्थान एवं प्रत्येक परिसर के हर एक विभाग में प्रथमतः एक-एक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

छात्रवृत्ति की अवधि-

शोध छात्रवृत्ति की अवधि 24 माह के लिए निश्चित होगी। किन्तु मार्गनिर्देशक एवं स्थानीय-शोध-समिति की अनुशंसा पर यह छात्रवृत्ति संस्थान मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त 12 माह के लिए बढ़ायी जा सकती है।

छात्रवृत्ति भुगतान -

छात्र के पंजीकरण के तीन माह के भीतर संस्थान की संस्तुति पर परिसरों के माध्यम से छात्रवृत्ति आरम्भ की जायेगी। इस अवधि में संस्थान से छात्रवृत्तिप्राप्त शोध-छात्र किसी भी अन्य संस्थान से छात्रवृत्ति/वेतन प्राप्त नहीं कर सकेगा। अन्यथा उसे अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा छात्र का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में छात्र को परिसर से प्राप्त की गई समस्त छात्रवृत्ति भी वापस करनी होगी। परिसर की अनुशासनमिति अनुचित आचरण करने वाले छात्र के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही कर संस्थान से उसकी छात्रवृत्ति समाप्त कर सकती है। अनुशासनहीनता की पुनरावृत्ति होने पर शोधच्छात्र का पंजीकरण भी स्थानीय शोधसमिति की अनुशंसा पर निरस्त किया जा सकता है।



10. परीक्षा उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्रतिशत

1. उत्तरमध्यमा/प्राक्शास्त्री	33 प्रतिशत अंक प्रतिपत्र
2. शास्त्री	36 प्रतिशत अंक प्रतिपत्र
3. आचार्य	40 प्रतिशत अंक प्रतिपत्र
4. शिक्षाशास्त्री	50 प्रतिशत अंक (महायोग)
5. शिक्षाचार्य	50 प्रतिशत अंक (महायोग)

अगली कक्षा में प्रोन्नत होने के लिए विशेष नियम

1. शास्त्री प्रथम और द्वितीय वर्ष एवं आचार्य प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रश्नपत्रों में उत्तीर्णता अनिवार्य है।
2. अनुत्तीर्ण विषय में दूसरे/तीसरे वर्ष में यथास्थिति परीक्षा दी जा सकती है।
3. प्रथमा से प्राक्शास्त्री पर्यन्त अन्तिम वर्ष में दो पत्रों में अनुत्तीर्ण होने पर अधिकतम दो बार अनुपूरक परीक्षा दे सकता है, उसमें भी अनुत्तीर्ण होने पर प्रमाणपत्र नहीं मिल सकेगा।
4. शास्त्री/आचार्य अन्तिम वर्ष में एक पत्र में अनुत्तीर्ण होने पर उत्तीर्णता के लिए अधिकतम दो अवसर दिए जा सकते हैं, किन्तु पाँच वर्षों की अवधि में उत्तीर्ण करने पर ही प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा।

विशेष - परीक्षा सम्बन्धी नियमावली पृथक् से देखी जा सकती है।

11. नेत्रहीन/स्थायी रूप से विकलांग/आकस्मिक दुर्घटना के कारण हाथ में फ्रैक्चर होने वाले परीक्षार्थियों हेतु लेखक की व्यवस्था

1. लेखक के उपयोग की व्यवस्था ऐसे परीक्षार्थियों हेतु की जा सकेगी जो -
 - क. स्थायी रूप से विकलांग होने के कारण लिखने में असमर्थ हो।
 - ख. स्थायी रूप से नेत्रहीन हो।



- ग. दुर्घटना के कारण दायें हाथ में फ्रैक्चर होने की स्थिति में परीक्षार्थी सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्साधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट को उचित माध्यम से वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने से एक दिन पूर्व ही परीक्षा नियंत्रक के पास जमा कर दे।
2. लेखक की योग्यता परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से कम होनी चाहिए - जैसे शास्त्री परीक्षा के परीक्षार्थी को अधिक से अधिक पूर्वमध्यमा/प्राक्शास्त्री के समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र को ही लेखक के रूप में अनुमति दी जा सकेगी। आचार्य स्तर के लिए उसी प्रकार लेखक अधिक से अधिक शास्त्री या इसके समकक्ष परीक्षा पास किए हुए हों।
3. लेखक के प्रावधान का समस्त व्यय परीक्षार्थी को स्वयं ही वहन करना होगा परन्तु नेत्रहीन परीक्षार्थियों के लिए यह शुल्क संस्थान द्वारा देय होगा।

12 छात्रों को प्रदेय सुविधाएँ

रेलवे रियायती यात्रा की सुविधा

परिसर में पंजीकृत समस्त छात्रों को पूजावकाश, शीतावकाश एवं ग्रीष्मावकाश के अवसर पर अपने गृहनगर जाने तथा परिसर वापस आने के लिए रेलवे द्वारा किराये में छूट दी जाती है। ग्रीष्मावकाश में अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को केवल घर जाने की सुविधा दी जायेगी। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए छात्र द्वारा आवेदन करने पर कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रपत्र निर्गत किये जाते हैं। यात्रा आरम्भ से एक सप्ताह पहले आवेदनपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

अवधेय है कि रेलवे के नियमानुसार यह छूट केवल 25 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को ही उपलब्ध है किन्तु शोध छात्र के लिए अवकाश अथवा गृहनगर का बन्धन नहीं है। वे अपने शोध निर्देशक की संस्तुति पर शोध कार्य करने के लिए किसी भी समय भारत के किसी भी नगर की रेलवे छूट पर यात्रा कर सकते हैं।

ग्रन्थालय सुविधा

संस्थान के सभी परिसरों में सुसमृद्ध तथा विशाल ग्रन्थालयों की सुविधा विद्यमान है। इनमें प्राच्य विद्या तथा संस्कृत शास्त्रों के दुर्लभ ग्रन्थ उपलब्ध हैं। नियमित रूप से जर्नल तथा पत्रिकाएँ इनमें आती रहती हैं।

**ग्रन्थालय-नियम**

1. संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्र पुस्तकालय सुरक्षित धन जमा करवाकर पुस्तकालय के सदस्य बन सकते हैं।
2. विद्यार्थी को 15 दिन के लिये पुस्तकें दी जाती हैं। यदि पुस्तक निर्धारित समय पर जमा नहीं की जायेगी तो प्रत्येक पुस्तक के विलम्ब शुल्क देना होगा।
3. सन्दर्भ ग्रन्थ, दुर्लभ एवं बहुमूल्य पुस्तकें पुस्तकालय से निर्गत नहीं की जायेंगी।
4. पुस्तक खो जाने अथवा खराब हो जाने की स्थिति में पुस्तक लेने वाले को वैसी ही पुस्तक लाकर देनी होगी अथवा नियमानुसार उसका मूल्य चुकाना होगा। पाठक को पुस्तकें भली भाँति देखकर लेनी चाहियें।
5. पुस्तकों पर पेन, पेन्सिल आदि से लिखना या चिन्ह लगाना वर्जित है।
6. वार्षिक परीक्षा से पूर्व सभी पुस्तकें जमा करवाना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं दिये जायेंगे।
7. प्रत्येक सदस्य छात्र को 3 पाठक पत्र (कार्ड) दिये जायेंगे जो अहस्तांतरणीय होंगे।
8. पुस्तकालय में शान्तिपूर्वक रहना अपेक्षित है।
9. पत्रिकायें पढ़कर यथास्थान रखें, बिना स्वीकृति के किसी भी पुस्तक अथवा पत्रिका को पुस्तकालय से बाहर ले जाना वर्जित है।
10. पुस्तकालय के नियम भंग करने की स्थिति में पुस्तकालय के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार प्राचार्य को है।
11. आवश्यक होने पर सदस्य से पुस्तकें समय से पूर्व भी वापस लौटाने हेतु कहा जा सकता है।

प्रयोगशाला सुविधा

संस्थान के सभी परिसरों में प्रयोगशालाओं की सुविधा है। प्रमुख रूप से कम्प्यूटर प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शैक्षणिक तकनीकी प्रयोगशाला तथा भाषा शिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि प्रयोगशालाएँ सभी परिसरों में उपलब्ध है।

प्रयोगशाला-नियम

1. संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन करने वाला छात्र प्रयोगशाला का उपयोग कर सकता है।
2. प्रयोगशाला से बहुमूल्य उपकरण वितरित नहीं किये जायेंगे।
3. उपकरण लेने वालों को वैसा ही उपकरण लाकर देना होगा अथवा नियमानुसार उसका मूल्य चुकाना होगा। उपयोक्ता को उपकरण भली भाँति देखकर लेनी चाहिये।



4. वार्षिक परीक्षा से पूर्व सभी उपकरण जमा करवाना अनिवार्य है अन्यथा परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं दिये जायेंगे।
5. प्रत्येक छात्र सदस्य को प्रयोगशाला पत्र (कार्ड) दिये जायेंगे जो अहस्तांतरणीय होंगे।
6. प्रयोगशाला में शान्तिपूर्वक रहना अपेक्षित है।
7. उपकरण यथास्थान रखें, बिना स्वीकृति के किसी भी उपकरण को प्रयोगशाला से बाहर ले जाना वर्जित है।
8. प्रयोगशाला के नियम भंग करने की स्थिति में प्रयोगशाला के किसी भी सदस्य को सदस्यता समाप्त करने का अधिकार प्राचार्य को है।
9. आवश्यकता होने पर सदस्य से उपकरण समय से पूर्व भी वापस लौटाने हेतु कहा जा सकता है।

व्यायामशाला सुविधा

संस्थान के अधिकांश परिसरों में छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायामशाला (जिम) की सुविधा है, जहाँ आधुनिक व्यायाम यन्त्रों, डम्बल एवं वेटप्लेट इत्यादि के द्वारा छात्र प्रातः एवं सायंकाल निश्चित समयानुसार शारीरिक अभ्यास करते हैं।

व्यायामशाला के नियम

1. व्यायामशाला में शान्ति व्यवस्था बनाये रखें।
2. जो व्यायाम सामग्री जहाँ से उठाया जाये, अभ्यास के बाद यथास्थान रखना आवश्यक है।
3. यहाँ किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए।
4. यहाँ की कोई सामग्री कक्ष से बाहर नहीं जायेगी।
5. धूम्रपान इत्यादि नशा से सम्बन्धित कार्य निषेध है।
6. वेट ट्रेनिंग के समय साथ में सहयोगी रखना अनिवार्य है।
7. वेट प्लेट या डम्बल को फर्श पर सावधानी से रखें, जिससे किसी प्रकार का नुकसान न हो।
8. अभ्यास के उपरान्त लाइट, पंखे बन्द कर दें।
9. व्यायामशाला के अन्दर कहीं पर भी धूकना या गंदा करना मना है।
10. बिना अनुमति के बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध है।



13. छात्रावास

संस्थान के सभी परिसरों में प्रायः छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।

छात्रावास के नियम

1. कोई भी छात्र, कक्षा में प्रवेश लेने मात्र से छात्रावास में स्थान पाने का अधिकारी नहीं माना जाएगा अर्थात् कोई छात्र इसलिए छात्रावास में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा कि उसने पूर्व वर्ष में स्थान प्राप्त किया था, अपितु गतवर्षीय आचरण, अनुशासन एवं अध्ययन को ध्यान में रखकर ही छात्रावास में पुनः प्रवेश पर विचार किया जायेगा। इस संदर्भ में संबंधित छात्रावास अधिष्ठाता की संस्तुति अपेक्षित होगी। प्रतिवर्ष पुराने छात्र को भी वही कार्यवाही करनी होगी, जो परिसर में प्रवेश लेने वाले नवीन छात्र के द्वारा छात्रावास में स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
2. छात्रों को छात्रावास में प्रवेश तभी दिया जा सकेगा जब वे निर्धारित शुल्क, जो कि प्रवेश शुल्क, सुरक्षित धनराशि, छात्रावास शुल्क, भोजनालय शुल्क आदि जमा कर देंगे। छात्रावास शुल्क समय-समय पर परिसर के प्राचार्य द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
3. निर्धारित छात्रावास शुल्क वार्षिक जमा होगा।
4. छात्रावास में प्रवेश के लिए योग्यता तथा दूर से आने वाले छात्रों को वरीयता दी जाएगी।
5. आचार्य द्वितीय वर्ष और विद्यावारिधि द्वितीय वर्ष के छात्रों को छात्रावास में प्रवेश से पहले नये छात्रों को छात्रावास में स्थान पाने हेतु वरीयता मिलेगी। उसके बाद पुराने छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
6. छात्रावास सुरक्षित धनराशि जो प्रवेश के समय जमा किया जाता है, को शैक्षिक वर्ष के समाप्त होने के समय तभी वापस किया जायेगा। यदि छात्रावास में रहने की अवधि में छात्रावास के सभी समान सही और सुरक्षित स्थिति में हों।
7. छात्रों को उसी कक्ष में रहना होगा जो उनको वार्डन/डिप्टी वार्डन के द्वारा आवंटित किया गया हो। बिना वार्डन/डिप्टी वार्डन की अनुमति के कक्ष बदलना संभव नहीं होगा।
8. छात्र अनुशासन का कड़ाई से पालन करेंगे और दूसरे के लिए व्यवधान उत्पन्न न करें।
9. छात्रावास का द्वार छात्र एवं छात्राओं के लिए रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 5.30 बजे तक बंद रहेगा। छात्र वार्डन/डिप्टी वार्डन की अनुमति के बिना छात्रावास के बाहर नहीं जा सकेगा।
10. आपात स्थिति में छात्र निर्धारित समय के बाद भी वाचमैन से द्वार खोलने का अनुरोध कर सकता है। इसके लिए छात्रावास पुस्तिका में कारण और समय अंकित करना होगा।
11. छात्रों को अपने कक्ष और छात्रावास परिसर को स्वच्छ रखना होगा।
12. छात्रावास में मांसाहार (अण्डा आदि) वर्जित है।

13. छात्रावास में धूम्रपान, वर्जित दवा और मद्यपान सख्त मना है। दोषियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
14. पानी और बिजली का दुरुपयोग करना सख्त मना है। छात्र बाहर जाने से पहले नल और बिजली के यंत्र को ठीक से बंद कर दें।
15. छात्रावास में बिजली के प्रेस, हीटर, ऊष्मा के संचालक, गीजर, रेडियो, साउण्ड सिस्टम, टेलीविजन, वी.सी.आर, वी.सी.डी. आदि रखना सख्ता मना है।
16. छात्रावास में रहने वाले छात्रों के अतिथि को छात्रावास के कक्ष में रहने की अनुमति नहीं होगी। अतिथि 50/- रूपये प्रतिदिन का भुगतान कर छात्रावास के अतिथि कक्ष में रह सकते हैं बशर्ते कि छात्रावास का अतिथि कक्ष खाली हो और वार्डन/डिप्टी वार्डन से पूर्वानुमति ली गयी हो। अतिथि कक्ष में ठहरने की व्यवस्था को अधिकार नहीं माना जाएगा। अतिथियों को एक मास में तीन दिन से अधिक कक्ष में ठहरने की अनुमति नहीं होगी।
17. अतिथि के आगमन की सूचना गेट पर अतिथि पंजिका में दर्ज करनी होगी।
18. छात्रों को परिसर में आयोजित कक्षाओं, सेमिनार और सम्मेलन में भाग लेना अनिवार्य होगा। जो छात्र कक्षा-समय, सेमिनार और सम्मेलन के समय में छात्रावास में पाये जायेंगे उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
19. छात्रों को छात्रावास की सभी कार्ययोजना, जैसे -छात्रावास दिवस, पर्व और सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेना होगा।
20. छात्रावासीय छात्र के अतिरिक्त अन्य किसी छात्र को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं होगी।
21. छात्रावास में रहने वाले छात्र कोई महंगा सामान या अधिक रूपये (नगद) कमरे में नहीं रखेंगे।
22. छात्र कोई भी प्रतिबंधित या अवैध वस्तु, अस्त्र शस्त्रादि छात्रावास में न रखें। दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होगी।
23. संस्थान के द्वारा दिये गये फर्नीचर को छात्र क्षति नहीं पहुँचायेंगे। क्षति होने पर छात्र से उसका लागत मूल्य वसूल किया जायेगा।
24. यदि कोई कठिनाई, समस्या और शिकायत हो तो वार्डन/डिप्टी वार्डन से सम्पर्क किया जा सकता है। छात्रावास में रहने वाले छात्र कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे।
25. वार्डन/डिप्टी वार्डन कभी भी छात्रावास का निरीक्षण कर सकते हैं।
26. छात्रावास में अनुचित व्यवहार एवं अनुशासन अवहेलना की स्थिति में प्रवेश निरस्त हो सकता है।
27. वार्डन/डिप्टी वार्डन किसी भी छात्र को छात्रावास के सही संचालन के लिए कोई कार्य, जैसे-समाचार पत्र की देखभाल, टेलीविजन के सही संचालन आदि का कार्य छात्रावास के निर्बाध संचालन हेतु दे सकते हैं।



28. छात्र छात्रावास को खाली करने से पहले कमरे की चाबी छात्रावास लिपिक/वार्डन/डिप्टी वार्डन को अवश्य दे दें।
29. डिप्टी वार्डन के द्वारा नामित छात्रों को कुछ जिम्मेदारी जैसे अखबार की देखभाल, टी.वी. सेट का संचालन आदि का कार्य करना पड़ेगा। दूसरे छात्र नामित छात्र का सहयोग करेंगे।
30. छात्रावास में रहने वाले छात्र परिसर को स्वच्छ एवं हरा-भरा रखेंगे।
31. छात्रों को छात्रावास में उपलब्ध सुविधा से सामंजस्य स्थापित करना होगा।
32. छात्रों को छात्रावास शुल्क, प्रवेश शुल्क और भोजनालयी शुल्क की रसीद आदि आवश्यकता पड़ने पर दिखानी होगी।
33. छात्रावास में रहने वाले छात्र बिना वार्डन/डिप्टी वार्डन की पूर्वानुमति के छात्रावास न छोड़ें। यदि वे 15 दिनों से अधिक बिना समुचित कारण के अनुपस्थित रहेंगे, तो उनकी पात्रता रद्द मानी जायेगी।
34. उपर्युक्त नियमों का दृढता से पालन न होने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

14. परिसर की समितियाँ

संस्थान के सभी परिसरों में वार्षिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित एवं सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रमुखतः निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार परिसर द्वारा कुछ उपसमिति का गठन भी किया जा सकता है।

1. प्रवेश समिति
2. अनुशासन समिति
3. छात्रावास समिति
4. पुस्तकालय समिति
5. शैक्षिक एवं क्रीडा स्पर्धा समिति
6. सांस्कृतिक, शास्त्रीय एवं कला समिति
7. छात्रवृत्ति समिति
8. परीक्षा समिति
9. पत्रिका प्रकाशन समिति
10. रैगिंग निषेध समिति
11. अध्यापक-अभिभावक परामर्श समिति
12. योजना, परियोजना एवं विकास समिति
13. क्रय-विक्रय, नीलामी, प्रिंटिंग एवं फोटोग्राफी समिति



14. सत्यापन समिति (पुस्तक, स्टोर, फर्नीचर, फिक्सर एवं स्टेशनरी आदि)
15. निःशक्तजन सहायता प्रकोष्ठ
16. महिला उत्पीड़न निषेध समिति
17. व्यक्तित्व संवर्धन, रोजगार तथा नियोजन परामर्श समिति
18. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
19. स्थानीय शोध समिति
20. राष्ट्रीय सेवा योजना समिति
21. प्रेस प्रिंटिंग, विज्ञापन, सूचना प्रसारण एवं जनसम्पर्क समिति
22. पारदर्शिता एवं जागरुकता निष्पादन समिति
23. छात्र कल्याण कोष समिति

16. शैक्षिक गतिविधि तिथिपत्र (सत्र 2015-16)

मई 2015

- मई के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन

जून 2015

- (प्राक् शास्त्री/शास्त्री 1 वर्ष) के लिए प्रवेश परीक्षा - 17 जून, 2015
- योग दिवस - 21 जून, 2015
- परिणाम (प्राक् शास्त्री/शास्त्री 1 वर्ष)
- नव प्रविष्ट एवं पुराने छात्रों के लिए कक्षाएँ - 26 जून, 2015

जुलाई 2015

- सभी नियमित पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की तिथि (आवेदन प्रारूप में) - 16 जून, 2015 से 31 जुलाई, 2015
- विलम्ब शुल्क के बिना प्रवेश की अन्तिम तिथि - 14 जुलाई, 2015
- रु. 100 विलंब शुल्क के साथ प्रवेश की अन्तिम तिथि - 31 जुलाई, 2015

अगस्त 2015

- संस्कृत सप्ताह - 24 से 29 अगस्त, 2015

सितम्बर 2015

- हिन्दी पखवाड़ा - 15 से 29 सितम्बर, 2015

**अक्टूबर 2015**

- अखिल भारतीय भाषण प्रतियोगिता हेतु राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं - 1 से 10 अक्टूबर, 2015
- स्वच्छता दिवस - 2 अक्टूबर, 2015
- दुर्गापूजा अवकाश (नवरात्र) - 26 अक्टूबर, 2015
- राष्ट्रीय एकता दिवस (सरदार पटेल जयन्ती) - 31 अक्टूबर, 2015

नवम्बर 2015

- युव महोत्सव - 30 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2015
- राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (मौलाना आजाद जन्म दिवस) - 11 नवम्बर, 2015

दिसम्बर 2015

- सत्रार्थ परीक्षाएँ (सत्रार्थ I/III/V) - 8 से 24 दिसम्बर, 2015
- सुशासन दिवस - 25 दिसम्बर, 2015
- अखिल भारतीय शास्त्रीय भाषण प्रतियोगिता - 28 से 31 दिसम्बर, 2015
- शीतावकाश (5 दिन) - 28 दिस. 2015 से 1 जनवरी, 2016

जनवरी 2016

- अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय युव महोत्सव - जनवरी, 2016
- शीतावकाश के बाद पुनः आरम्भ - 4 जनवरी, 2016

फरवरी 2016

- शिक्षाशास्त्री, अन्तिम शिक्षण हेतु प्रायोगिक परीक्षा - 2 से 13 फरवरी, 2016
- वसन्तोत्सव - 18 से 20 फरवरी, 2016
- मातृ भाषा दिवस - 21 फरवरी, 2016

मार्च 2016

- परीक्षा के लिए तैयारी ---

अप्रैल 2016

वार्षिक परीक्षा (वार्षिक प्रणाली) - 16 से 30 अप्रैल, 2016

(पूर्व मध्यमा प्रथम/द्वितीय/प्राक्शास्त्री प्रथम/द्वितीय/उत्तरमध्यमा प्रथम/द्वितीय/शास्त्री प्रथम/द्वितीय/तृतीय, आचार्य प्रथम/द्वितीय/शिक्षाशास्त्री और एम.एस.पी. सभी कक्षाएँ)

- सभी विद्यालय स्तर की कक्षाएँ - पू.म.-I/II, प्रा.शा.-I/II, उ.म.-I/II) - 16 से 23 अप्रैल, 2016
- महाविद्यालय स्तर - शास्त्री प्रथम/द्वितीय/तृतीय, आचार्य प्रथम/द्वितीय, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य



मई 2016

- सत्रार्थ परीक्षाएं (सत्रार्थ II/IV/VI) - 22 अप्रैल से 6 मई, 2016
- आंतरिक मूल्यांकन प्रेषण (वार्षिक और द्वितीय, चतुर्थ व छठवां सत्रार्थ) - 25 अप्रैल, 2016
- एम.एड. लघु शोधप्रबंध प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि (अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी) - 25 अप्रैल, 2016
- अन्तिम कार्यदिवस - 6 मई, 2016
- समस्त शैक्षणिक वर्ग के लिए ग्रीष्मावकाश - 9 मई से 16 जून, 2016

जून 2016

- ग्रीष्मावकाश के पश्चात् प्रारम्भ - 16 जून, 2016

नोट : विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त कार्यक्रमों की तिथियों में परिवर्तन सम्भव है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के
विभिन्न परिसर



गङ्गानाथझापरिसरः (उत्तरप्रदेशः)

परिचयः

महामनाः पण्डितमदनमोहनमालवीयः, डा. सर. तेजबहादुरसप्रुः, डा. भगवानदासः, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, न्यायमूर्तिः श्रीकमलाकान्तवर्मा, डा. गोपिनाथकविराजः, डा. अमरनाथझा, डा. ईश्वरीप्रसादः, डा. बाबूरामसक्सेनः, ले.गवर्णर् आदित्यनाथः, अपि च तस्यानुयायिनः, शिष्याः, विभिन्नाः पारिवारिकजनाश्च गङ्गानाथझामहोदयस्य द्वितीयायां पुण्यतिथौ तीर्थराजप्रयागस्य सुरम्ये भूभागे गङ्गानाथझाशोधसंस्थानस्य स्थापनां 17-11-1943 तमे दिनाङ्के अर्कुवन्।

01.04.1971 तमे दिनाङ्के राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन शोधसंस्थानस्याधिकरणमङ्गीभूतविद्यापीठरूपेण विधाय गङ्गानाथझाकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठमिति नामाकारि। 2002-तमे वर्षे राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य मानितविश्वविद्यालयत्वेन उद्घोषणस्यानन्तरं इदं विद्यापीठं “गङ्गानाथझापरिसरः” इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। अयं परिसरः तादृशं प्रतिष्ठितं शोधस्थानं भवति, यश्च संस्कृतविद्यायाः विभिन्नविधशोधकार्येभ्यः समर्पितः अस्ति।

प्राचार्य (प्रभारी)

प्रो. शैलकुमारी मिश्र

09936517021

शैक्षिक विभाग

व्याकरणविभाग

अध्यक्ष

प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी

09389428935

साहित्यविभाग

अध्यक्ष

प्रो. शैलकुमारी मिश्र

09936517021

धर्मशास्त्रविभाग

अध्यक्ष

प्रो. रामकृष्ण पाण्डेय (परमहंस)

09415813075

मीमांसाविभाग

अध्यक्ष

प्रो. सुब्राय वी. भट्ट

09449160458

पुराणेतिहासविभाग

अध्यक्ष

डॉ. शैलजा पाण्डेय

09451179728



प्रकाशन

उशति - वार्षिक पत्रिका

जर्नल ऑफ गंगानाथ झा परिसर - अर्द्धवार्षिकी

विशिष्ट उपक्रम

- * पाण्डुलिपि संग्रहालय
- * संस्कृत के दुर्लभ मातृकाओं/ग्रन्थों का सम्पादन/प्रकाशन/अनुवाद।
- * विशिष्ट कार्य
 - क. पाण्डुलिपि संग्रहण ।
 - ख. संरक्षण-सूचीकरण ।
 - ग. स्कैनिंग ।
- * माइक्रोफिल्म का डिजिटिजेशन।

पता एवं दूरभाष संख्या :

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय,

गंगानाथ झा परिसर,

चन्द्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद-211001, (उत्तर प्रदेश)

दूरभाष 0532-2460957

फैक्स नं. 0532-2460956

email : principal.ald@gmail.com / rsksalld@gmail.com

**श्रीरणवीरपरिसरः जम्मूः (जम्मू-कश्मीरम्)****परिचयः**

जम्मूकाश्मीरस्य महाराजाधिराजः श्रीरणवीरसिंहः पारम्परिकसंस्कृतविद्यायाः अपि च अत्यन्ताद्भुतज्ञानस्य प्रचारप्रसारार्थं जम्मूप्रान्ते 174 वर्षेभ्यः पूर्वं अष्टादशतमे ईशवीये शतके श्रीरघुनाथसंस्कृतमहाविद्यालयस्य स्थापनामकरोत्। 01.04.1971 तमे दिनाङ्के भारतसर्वकारः अस्य अधिग्रहणमकरोत्। ततः प्रभृति अयं महाविद्यालयः श्रीरणवीरकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठमिति प्रसिद्धमभवत्। 02.05.2002-तमे दिनाङ्के राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानं बहुपरिसरीयसंस्कृतविश्वविद्यालत्वेन घोषितमभूत्। ततः “राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, मानितविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः” इति नाम्ना विख्यातः। अयं परिसरः 84 कनालभूमौ निर्मितः वर्तते।

प्राचार्य

प्रो. रामानुजदेवनाथन्

08769221221

शैक्षिक विभाग**व्याकरणविभाग**

अध्यक्ष

प्रो. हरिनारायण तिवारी

9596750440

साहित्यविभाग

अध्यक्ष

डॉ. सतीश कुमार कपूर

9419117304

ज्योतिषविभाग

अध्यक्ष

डॉ. पी.के. महापात्र

9419260757

शिक्षाशास्त्रविभाग

अध्यक्ष

डॉ. नागेन्द्र नाथ झा

9419213464

वेदविभाग

अध्यक्ष

--

--

दर्शनविभाग

अध्यक्ष

डॉ. श्रीमती सावित्री शतपथी

9419267982

आधुनिकविषयविभाग

अध्यक्ष

श्री शरत चन्द्र शर्मा

9419183108



छात्र सुविधाएँ व विशिष्ट उपक्रम

- * छात्रावास
 - महिला छात्रावास - 48 स्थान
 - पुरुष छात्रावास - 120 स्थान
 - भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)
- * व्यायामशाला
- * श्री वैष्णवी - वार्षिक पत्रिका
- * शिक्षामृतम् - शिक्षाविभाग की वार्षिक पत्रिका
- * काश्मीरशैवदर्शन परियोजना
- * वेद्यशाला

पता एवं दूरभाष संख्या :

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय,

श्री रणवीर परिसर,

कोट भलवाल, जम्मू-181122, जम्मू व कश्मीर

फोन नं. 0522-2393748, 0522-2304063

दूरभाष : 0191-2623533, टेलीफैक्स : 0191-2623090

email : ranbir.jmu@gmail.com



श्रीसदाशिवपरिसरः, पुरी (उडीसा)

परिचयः

भारतसर्वकारान्तर्गतसंचालितः पुरीनगरस्थितः सदाशिवसंस्कृतमहाविद्यालयः परम्परागतेन संस्कृताध्ययनाध्यापनेन सह चिरायु सम्बद्धः अस्ति। 15.08.1971-तमे दिनाङ्के नवदेहलीस्थं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानं अमुं सदाशिवसंस्कृतमहाविद्यालयमध्यग्रहीत्। अनन्तरं नामपरिवर्तनेन केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्, पुरी इति प्रसिद्धमकरोत्। राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य मानितविश्वविद्यालयत्वलाभानन्तरं “राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्, मानितविश्वविद्यालयः, श्रीसदाशिवपरिसरः, पुरी” इति नाम विश्रुतमस्ति। परिसरस्य शैक्षिकः क्रियाकलापः 4.78 एकडमितायां भूमौ निर्मिते भवने प्रचलति।

प्राचार्य

डॉ. जि. गंगन्ना

09437073758

शैक्षिक विभाग

व्याकरणविभाग अध्यक्ष	प्रो. हरेकृष्णमहापात्र	8342042785
साहित्यविभाग अध्यक्ष	प्रो. सूर्यमणिरथ	9439000066
सर्वदर्शनविभाग अध्यक्ष	प्रो. सुकान्त कुमार सेनापति	9937427094
अद्वैतवेदान्तविभाग अध्यक्ष	डॉ. सिएच एन.वी.प्रसादराव	8895342862
सांख्ययोगविभाग अध्यक्ष	श्री अशोक कुमार मीणा	9776302245
पुराणेतिहासविभाग अध्यक्ष	प्रो. (श्रीमती) मिनति रथ	9861410149
शिक्षाशास्त्रविभाग अध्यक्ष	डॉ. निर्मला पाणिग्रही	9937370774



नव्यन्यायविभाग		
अध्यक्ष	डॉ. महेश झा	9437180777
ज्योतिषविभाग		
अध्यक्ष	डॉ. वी.के. निर्मल	9855035414
धर्मशास्त्रविभाग		
अध्यक्ष	प्रो. अतुल कुमार नन्द	9861189655
आधुनिकविषयविभाग		
अध्यक्ष	--	--

छात्र सुविधाएँ व विशिष्ट उपक्रम

- * छात्रावास
 - महिला छात्रावास - 200 स्थान
 - पुरुष छात्रावास - 100 स्थान
 - भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)
- * ज्योतिष प्रयोगशाला
- * पौर्णमासी - वार्षिकी पत्रिका
- * सदाशिवसन्देश - त्रैमासिकी वार्तापत्रिका
- * समस्त विभागों की विभागीय पत्रिकाएँ
- * जगन्नाथ विश्वकोश प्रोजेक्ट

पता एवं दूरभाष संख्या :

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय,

श्री सदाशिव परिसर,

पुरी-752001, उड़ीसा

फोन नं. : 06752-223439

email : sadashivacampus@ortel.net / principalpuri2009@gmail.com

**गुरुवायूरपरिसरः, त्रिश्शूरः (केरलम्)****परिचयः**

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन अयं परिसरः 16.07.1979-तमे दिनाङ्के अधिकृतः। 07.05.2002-तमदिनाङ्कतः राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य मानितविश्वविद्यालयत्वेन उद्घोषणस्यानन्तरं इदं विद्यापीठं “राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्, गुरुवायूरपरिसरः” इति नाम्ना प्रसिद्धमभूत्। अस्य मुख्यः परिसरः पुरनाट्टुकराक्षेत्रे 14 एकडमितायां भूमौ निर्मितः, अपि चायं त्रिचूररेल्वेस्थानात् 11 कि.मी. दूरेण गुरुवायूरमन्दिरमार्गे स्थितः। अन्यदपि स्थानं पावर्टीस्थाने 50 सेन्टमितायां भूमौ वर्तते। एतत् मुख्यस्थानात् 15 कि.मी. दूरेण वर्तते। मुक्तस्वाध्यायपीठम्, अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षणम्, संस्कृतशिक्षाप्राप्तिहेतुपत्राचारपाठ्यक्रमः, हस्तलिपिसङ्ग्रहणकेन्द्रमित्यादिना अस्य उपयोगः क्रियते। पूर्वं गुरुवायूरसाहित्यदीपिकासंस्कृत-विद्यापीठसंस्थापकस्य पी.टी. कुरियाकोसस्य नामकरणेन “पी.टी.कुरियाकोसस्मृतिभवन” मिति नाम चाकरोत्।

प्राचार्य (प्रभारी)**प्रो. च.ल.न. शर्मा**

09446937208

शैक्षिक विभाग**व्याकरणविभाग**

अध्यक्ष

प्रो. सी. एल. सिसली

09446761837

साहित्यविभाग

अध्यक्ष

प्रो. पी. सी. मुरलीमाधवन्

09446577808

अद्वैतवेदान्तविभाग

अध्यक्ष

डॉ. आर. प्रतिभा

04872309682

न्याय विभाग

अध्यक्ष

डॉ. बाला मुरुगन

08714496779

शिक्षाशास्त्रविभाग

अध्यक्ष

डॉ. के.के. शेने

09605717592

आधुनिकविषयविभाग

अध्यक्ष

डॉ. एस.वी.रमणमूर्ति

09895767633



छात्र सुविधाएँ व विशिष्ट उपक्रम

- * छात्रावास
 - महिला छात्रावास - 120 स्थान
 - पुरुष छात्रावास - 120 स्थान
 - भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)
- * व्यायामशाला - दोनों छात्रावासों में
- * गुरुदीपिका - वार्षिक पत्रिका
- * निबन्धमाला - वार्षिक शोधपत्रिका
- * व्याकरण व साहित्य विभागों की वार्षिक विभागयी पत्रिकायें
- * पी.टी. कुरियाकोस मास्टर अन्तर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला
- * विक्रय प्रकोष्ठ - अभिभावक-शिक्षकपरिषद् के सौजन्य से

पता एवं दूरभाष संख्या :

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय,
गुरुवायूर परिसर,

पो. पुरनाटुक्करा, त्रिशशूर-68051, केरल

दूरभाष नं.: 0487-2307208, टेलीफैक्स : 0487-2307608

email : rss.guruvayoor@gmail.com



जयपुरपरिसरः, जयपुरम् (राजस्थानम्)

परिचयः

संस्कृताध्ययनं जयपुरनगरस्य प्राचीना सुदीर्घा च परम्परा भवति। संस्कृताध्ययनक्षेत्रे विहितानां प्रयत्नानां फलतः जयपुरनगरी गौरवेण द्वितीयकाशीत्वं प्राप्तुं योग्या अस्ति।

13.05.1983-तमे दिनाङ्के भारतसर्वकारेण राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानन्तर्गतं केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठं स्थापितम्, यच्च मानितविश्वविद्यालयत्वेन उद्घोषणानन्तरं “राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्, जयपुरपरिसरः” इति प्रसिद्धः। स्वप्रयत्नेन, योग्यगुणवत्तया, कुशलव्यवहारेणास्मिन् परिसरे 1000-तः अधिकाः छात्राः अधीयानाः भवन्ति। अयं परिसरः शैक्षिक-सांस्कृतिकक्रीडागतिविधीषु प्रसिद्धः। जयपुरविकासप्राधिकरणेन त्रिवेणीनगरे 7.27 एकडमितायां जयपुरपरिसरस्य सारस्वतपरम्परा समुन्नयनसंलग्ना वरीवर्ति।

प्राचार्य

डॉ. प्रकाश पाण्डेय

0141-2760686

शैक्षिक विभाग

व्याकरणविभाग

विभागाध्यक्ष प्रो. शिवकान्त झा 8952884643

साहित्यविभाग

अध्यक्ष प्रो. रामकुमार शर्मा 9462864307

ज्योतिषविभाग

अध्यक्ष प्रो. वासुदेव शर्मा --

धर्मशास्त्रविभाग

अध्यक्ष प्रो. भगवती सुदेश 941488976

शिक्षाशास्त्रविभाग

अध्यक्ष प्रो. सोहन लाल पाण्डेय 9414457029

सर्वदर्शनविभाग

अध्यक्ष प्रो. वैद्यनाथ झा 8955634298

जैनदर्शनविभाग

अध्यक्ष प्रो. श्रेयान्स कुमार सिंघई 9509846622



वेदविभाग

अध्यक्ष

--

--

आधुनिकविषयविभाग

अध्यक्ष

प्रो. ओमप्रकाश बडाना

--

छात्र सुविधाएँ व विशिष्ट उपक्रम

- * छात्रावास
 - महिला छात्रावास - 60 स्थान
 - पुरुष छात्रावास - 165 स्थान
 - भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)
- * व्यायामशाला
- * ज्योतिष प्रयोगशाला
- * जयन्ती - वार्षिक पत्रिका
- * शिक्षासन्देशः - शिक्षाविभागीय वार्षिक पत्रिका
- * प्राकृत अध्ययन एवं शोध केन्द्र
- * राष्ट्रीय सेवा योजना
- * सप्तदिवसीय वार्षिक योगशिविर

पता एवं दूरभाष संख्या :

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर,

त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर-302018, राजस्थान

दूरभाष नं.: 0141-2761115 (का.)

0141-2761236 (प्रा.) 0141-2760686

email : principaljp.in@gmail.com



लखनऊपरिसरः, लखनऊ (उत्तरप्रदेशः)

परिचयः

भारतसर्वकारस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनस्य राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य केन्द्रीयसंस्कृत-विद्यापीठरूपेण उत्तरप्रदेशस्य राजधान्यां लखनऊनगरे अस्य परिसरस्य स्थापना 02.08.1986-तमे दिनाङ्के जाता। 2002-तमे वर्षे मईमासे राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य मानितविश्वविद्यालयत्वेन उद्घोषणस्यानन्तरं इदं विद्यापीठं “राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्, लखनऊपरिसरः” इति नाम्ना लक्ष्यं प्रति अग्रे सरति। लक्ष्मणपुरनगरी अन्यशास्त्रविद्यानामिव प्राच्यविद्यायाश्च स्थानं भवति। भारतीयसंस्कृतेः विकासः, राष्ट्रियैकता, सर्वधर्मसमन्वयः इत्येवमेवावधक्षेत्रनगर्यां संस्कृतसंस्थानस्य विशिष्टा महती काचित् आवश्यकता अस्त्येव। साम्प्रतं गोमतीनगरे विशालखण्डे दश-एकडमितायां भूमौ स्थितः अयं परिसरः शैक्षिकप्रशासनभवेन, त्रिभिः छात्रावासैः, कर्मचारिभवेन, रङ्गमञ्चेन, क्रीडामैदानेन च सज्जः प्रगतिं प्रति निरन्तरं अग्रसरः च विद्यते।

प्राचार्य (प्रभारी)

प्रो. सुरेन्द्र पाठक

0522-2393748

शैक्षिक विभाग

व्याकरणविभाग

अध्यक्ष

प्रो. सुरेन्द्र पाठक

0945046620

साहित्यविभाग

अध्यक्ष

प्रो. रामलखन पाण्डेय

09532100121

ज्योतिषविभाग

अध्यक्ष

प्रो. मदन मोहन पाठक

09455437066

शिक्षाशास्त्रविभाग

अध्यक्ष

प्रो. लोकमान्य मिश्र

09451170646

बौद्धदर्शनविभाग

अध्यक्ष

प्रो. विजय कुमार जैन

09415789445

वेदविभाग

अध्यक्ष

--

--

आधुनिकविषयविभाग

अध्यक्ष

प्रो. शिशिर कुमार पाण्डेय

09415280494



छात्र सुविधाएँ व विशिष्ट उपक्रम

- * छात्रावास
 - महिला छात्रावास - 63 स्थान
 - पुरुष छात्रावास - 180 स्थान
 - भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)
- * व्यायामशाला
- * शास्त्रीय संगीत प्रशिक्षण व्यवस्था
- * गोमती - वार्षिकपत्रिका
- * ज्ञानायनी - त्रैमासिक शोधपत्रिका (अध्यापक वर्ग के पक्ष से)
- * भास्करोदय - वार्षिक ज्योतिष शोधपत्रिका
- * श्री जगन्नाथपञ्चांगम्
- * पालि अध्ययन व शोध केन्द्र

पता एवं दूरभाष संख्या :

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय,
लखनऊ परिसर,

विशाल खण्ड-4 गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)

फोन नं. 0522-2393748, 0522-2304063

फैक्स नं. 0522-2302993, 0522-2992668 (प्रा. आवास)

email : rskslucknow@yahoo.com



राजीवगान्धीपरिसरः, शृङ्गेरी (कर्णाटकम्)

परिचयः

भारतसर्वकारस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रलयाधीनस्य राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य राजीवगान्धीकेन्द्रीय-संस्कृतविद्यापीठनाम्नः अस्य परिसरस्य स्थापना 13.01.1992-तमे दिनाङ्के जाता। संस्थानस्य मानितविश्वविद्यालयत्वघोषणानन्तरं अस्य नवं नाम “राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः), राजीवगान्धीपरिसरः, शृङ्गेरी” इति स्वीकृतम्। परिसरभवननिर्माणार्थं कर्णाटकराज्यसर्वकारः 10.2 एकडमितां भूमिं प्रादात्, सा च राज्यस्य चिकमगलूरुक्षेत्रे स्थिता। अयं परिसरः मंगलूरुनगरात् 110 कि. मी., बंगलूरुनगरात् 370 कि.मी., उडुपीनगरात् 90 कि.मी., शिमोगाजंक्शनतः 110 कि.मी. च दूरात् स्थितः। अयं शिमोगाजंक्शन, राजधानीबंगलूरुनगरेण सह लोहमार्गयुक्तः। पूर्वोक्तस्थलेभ्यः शृङ्गेरीप्राप्तिः वाहनमार्गेणापि सुकरा वर्तते।

प्राचार्य (प्रभारी)

प्रो. ए.पी. सच्चिदानन्द

08265251763

शैक्षिक विभाग

व्याकरणविभाग

अध्यक्ष

डॉ. सी.एस.एस.एन्. मूर्ति

09448417282

साहित्यविभाग

अध्यक्ष

डॉ. राघवेन्द्र भट्ट

09448971469

ज्योतिषविभाग

अध्यक्ष

डॉ. ईश्वर भट्ट

09448344641

शिक्षाशास्त्रविभाग

अध्यक्ष

प्रो. ए.पी. सच्चिदानन्द

--

मीमांसाविभाग

अध्यक्ष

डॉ. सूर्यनारायण भट्ट

09449541822

वेदान्तविभाग

अध्यक्ष

डॉ. महाबलेश्वर पी. भट्ट

09448688498

आधुनिकविषयविभाग

--

--



न्याय विभाग

अध्यक्ष

प्रो. का.ई. मधुसूदनन्

09535538928

छात्र सुविधाएँ व विशिष्ट उपक्रम

* छात्रवास

- 'शारदा' महिला छात्रावास - 80 स्थान
- 'ऋष्यशृङ्ग' पुरुष छात्रावास - 120 स्थान
- भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)

शारदा प्रसाद व्यवस्था - सभी छात्र-छात्रों हेतु श्री भारतीतीर्थ महास्वामी जी के अनुग्रह से शारदा प्रसाद (भोजन) की प्रतिदिन व्यवस्था।

* वज्रिणी व्यायामशाला

* शारदा - वार्षिक पत्रिका

* श्री राजीवगांधी इण्टरनेशनल मेमोरियल लेक्चर

* श्री श्री भारतीतीर्थ महास्वामी शास्त्रार्थ सभा

* वाक्यार्थ परिषद

* श्री शारदा विशिष्टव्याख्यानमाला

पता एवं दूरभाष संख्या :

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय,
राजीव गाँधी परिसर,
मेणसे, शृगेरी-577139, चिकमलगूर (कर्नाटक)

फोन नं. 08265-250258

फैक्स नं. 08265-251763

08265-251616 (आर.)

email : principal_rgc@hotmail.com

**वेदव्यासपरिसरः, बलाहारः (हिमाचलप्रदेशः)****परिचयः**

भारतसर्वकारस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयसंचालितस्य राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य स्वायत्तसंस्थायाः एकः परिसरः केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठानाम्ना प्रसिद्धः हिमाचलप्रदेशस्य कांगडाक्षेत्रे गरलीग्रामे भारतस्य स्वतन्त्रतास्वर्णजयन्तीवर्षे 16.09.1997-तमे दिनाङ्के स्थापितः। साम्प्रतम् अयं परिसरः “राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः), नवदेहली इत्यस्य वेदव्यासपरिसरः” इति नाम्ना प्रचलितः, अपि च अयं बलाहारग्रामे नवनिर्मिते भवने संचाल्यमानो भवति। वेदव्यासपरिसरः हिमाचलप्रदेशस्य कांगडाक्षेत्रे देहरा-तहसीलस्य समीपे बलाहारनामके लघुग्रामे व्यासनद्याः पवित्रतटे स्थितः अस्ति।

प्राचार्य (प्रभारी)**प्रो. लक्ष्मीनिवास पाण्डेय**

09816400536

शैक्षिक विभाग**व्याकरणविभाग**

विभागाध्यक्ष

प्रो. के.वी. सोमयाजुलु

9692046726

साहित्यविभाग

अध्यक्ष

--

--

ज्योतिषविभाग

अध्यक्ष

डॉ. पी.वी.बी.सुब्रह्मण्यम्

9805034336

शिक्षाशास्त्रविभाग

अध्यक्ष

डॉ. गणेशशंकर विद्यार्थी

9805048310

आधुनिकविषयविभाग

अध्यक्ष

प्रो. गजेन्द्र प्रकाश शर्मा

--

छात्र सुविधाएँ व विशिष्ट उपक्रम*** छात्रावास**

➤ महिला छात्रावास - 48 स्थान

➤ पुरुष छात्रावास - 49 स्थान



- भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)
- * परिसरीय बस व्यवस्था
 - * वेदविपाशा - वार्षिक पत्रिका
 - * व्यासबाणी - षण्मासिक परिसरसमाचार पत्रिका
 - * प्राची प्रज्ञा - आनलाईन संस्कृत पत्रिका (अध्यापकों द्वारा)
 - * महिला अध्ययनकेन्द्र
 - * ज्योतिष परियोजना

पता एवं दूरभाष संख्या :

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय,
श्रीवेदव्यास परिसर, गरली
बलाहार, काँगड़ा - 177108, (हिमाचल प्रदेश)
दूरभाष/फैक्स 01970-245409
email : principal.garli@gmail.com



भोपालपरिसरः, भोपालम् (मध्यप्रदेशः)

परिचयः

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य भोपालपरिसरः मध्यप्रदेशराज्ये स्थितः। अत्र राज्ये ऐतिहासिकसांस्कृतिक-शैक्षिकपर्यटनसम्बद्धानि अनेकानि स्थानानि सन्ति। अस्य परिसरस्य स्थापना 2002 तमे वर्षे जाता अपि च परिसरस्यास्योद्घाटनं 16.09.2002-तमे दिनाङ्के तत्कालीनः राज्यपालः महामहिमा भाईमहावीरः अकरोत्। राज्यसर्वकारात् प्राप्तायां दश-एकडपरिमितायां भूमौ निर्मितेषु भवनेषु शैक्षिक्यः गतिविधयः प्रचलन्ति। सम्प्रति छात्रावासव्यवस्था अपि तत्रैव प्रचलति।

प्राचार्य (प्रभारी)

प्रो. विद्यानन्द झा

0755-2418043

शैक्षिक विभाग

व्याकरणविभाग

अध्यक्ष

डॉ. सुबोध शर्मा

09407271859

साहित्यविभाग

अध्यक्ष

डॉ. सनन्दन त्रिपाठी

--

ज्योतिषविभाग

अध्यक्ष

प्रो. भारतभूषण मिश्रा

08085876897

शिक्षाशास्त्रविभाग

अध्यक्ष

प्रो. प्रभा चौधरी

--

आधुनिकविषयविभाग

अध्यक्ष

--

--

छात्र सुविधा व विशिष्ट उपक्रम

छात्रावास

- 'दाक्षी' महिला छात्रावास - 108 स्थान
- 'कविभास्कर' पुरुष छात्रावास - 331 स्थान
- भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)



- * भूवभूति प्रेक्षागार
- * भरतरङ्गमण्डप-मुक्ताकाशमञ्च
- * व्यायामशाला
- * 'राष्ट्री' - वार्षिकपत्रिका
- * 'शास्त्रमीमांसा - शोधपत्रिका
- * 'भोजराजपञ्चाङ्ग'
- * नाट्यशास्त्र केन्द्र
- * संस्कृतशिक्षानुसन्धान सर्वेक्षण परियोजना
- * भाषा/उपभाषा कोश परियोजना बुन्देली से संस्कृत

पता एवं दूरभाष संख्या :

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय,
भोपाल परिसर,
संस्कृत मार्ग, बागसेवनिया, भोपाल-462043 (म.प्र.)
दूरभाष 0755-2418043
फैक्स नं. 0755-2418003
email : rsks_bhopal@yahoo.com



क.जे.सोमैयासंस्कृतविद्यापीठम्, मुम्बई (महाराष्ट्रम्)

परिचयः

संस्कृतपारम्परिकविद्यासु नवाचारोन्मेषयोः समन्वयेन शास्त्रीयार्थपरम्पराप्रचारप्रसारहेतुतया क.जे. सोमैया ट्रस्ट् इत्यनेन संकल्पितस्य परिणामतया 2002 तमे वर्षे भारतस्यार्थिकराजधान्यां महाराष्ट्रस्थितायां मुम्बय्यामेतत् विद्यापीठं स्थापितम्। क.जे. सोमैया ट्रस्ट् इत्येतत् सोमैयाविद्याविहारे महामूल्यवतीं एक-एकडमितां भूमिं परिसरभवननिर्माणार्थं प्रादात्। अत्र भवननिर्माणसम्बद्धाः सर्वाः औपचारिकताः सम्पूर्णाः जाताः।

इदानीं सोमैयाविद्याविहारपरिसरे विद्यापीठस्य प्राशासनिकं कार्यं पुस्तकालयश्च पोलीटेक्नीकभवने, अध्ययनाध्यापनादिप्रशिक्षणशोधादिकार्याणि चाणक्यभवने, सुरुचिभवने (कलाभवने) च प्रचाल्यन्ते। मुम्बई-परिसरः आधुनिकज्ञानविज्ञानादिविषये प्रसिद्धः भवति।

प्राचार्य (प्रभारी)

प्रो. एम्.चन्द्रशेखर

09769584349

शैक्षिक विभाग

व्याकरणविभाग

अध्यक्ष

प्रो. प्रकाशचन्द्र

9892171085

साहित्यविभाग

अध्यक्ष

डॉ. नारायणन् ई. आर.

9167081556

शिक्षाशास्त्रविभाग

अध्यक्ष

प्रो. मदनमोहन झा

9004904059

आधुनिकविषयविभाग

--

--

छात्र सुविधाएँ व विशिष्ट उपक्रम

* छात्रावास

परिसर द्वारा महिला व पुरुष छात्रवास की व्यवस्था की गई है।

* भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)

सोमैया विद्याविहार परिसर में व्यायामशाला व बृहत्क्रीडांगन की सुविधा विद्यापीठ के छात्रों को उपलब्ध है।



- * 'विद्यारश्मिः' - वार्षिक पत्रिका
- * 'विद्याश्रीः' - अर्द्धवार्षिकी शोधपत्रिका
- * 'शिक्षारश्मिः' - शिक्षाशास्त्रविभागीय वार्षिक पत्रिका
- * व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
- * संस्कृत में वैज्ञानिक परम्परा पर केन्द्रित संग्रहालय

पता एवं दूरभाष संख्या :

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय,
के.जे.सोमैया विद्यापीठम्,
एस.आई.एम.एस.आर. भवन, विद्या विहार,
मुम्बई-400077, (महाराष्ट्र)
दूरभाष 022-21025452
फैक्स नं. 022-21025452
email : rsksmumbai@yahoo.com



एकलव्यपरिसरः, अगरतला (त्रिपुरा)

परिचयः

भारतस्य सुदूरवर्तिनि पूर्वोत्तरक्षेत्रे प्राचीनभारतीयसंस्कृतिं संस्कृतमहापरम्परां च पुनरुज्जीवयितुं तत्प्रचारप्रसारहेतुतया च संस्थानेन त्रिपुराराजधान्या अगरतलायाः मोहनपुरक्षेत्रे संस्थानपरिसरस्यारम्भः स्वामीविवेकानन्दमहाविद्यालये 2013-तमे वर्षे जूनमासस्य 04 दिनाङ्के कृतः।

साम्प्रतं त्रिपुरासर्वकारः पूर्व-आई.ए.एस.इ. भवनस्य रिक्थतया एकलव्यपरिसरं संचालयितुं तद्भवनमदात्, स च परिसरः अगरतलानगरस्य मध्ये तिष्ठति। 2014-15-तमसत्रतः अत्र परिसरे अध्ययनं अध्यापनं च प्रचलतः।

प्राचार्य (प्रभारी)

प्रो. के.बी. सुब्बरायुडु

09485138286

शैक्षिक विभाग

व्याकरणविभाग

अध्यक्ष

--

--

साहित्यविभाग

अध्यक्ष

डॉ. कृपाशंकर शर्मा

09402122128

ज्योतिषविभाग

अध्यक्ष

डॉ. अरुण कुमार

09485146234

शिक्षाशास्त्रविभाग

अध्यक्ष

डॉ. गोविन्दपाण्डेय

09485138657

धर्मशास्त्रविभाग

अध्यक्ष

प्रो. ललित साहु

08414922775

अद्वैतवेदान्तविभाग

अध्यक्ष

प्रो. के.बी. सुब्बरायुडू

--

आधुनिकविषयविभाग

--

--



छात्र सुविधाएँ

* छात्रावास

छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास की व्यवस्था है।

पता एवं दूरभाष संख्या :

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय,

एकलव्य परिसर, अगरतला

ओल्ड आई.ए.एस.ई. बिल्डिंग, निकट बुद्धमन्दिर, राधानगर बस स्टैण्ड,

अगरतला - 799 006 (त्रिपुरा)

दूरभाष 0381-2907855 फ़ैक्स नं. 0381-2907859

email : eklavyacampus.rsks@gmail.com

Website : www.ekalavyacampusrsks.in

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य परिसराः



जम्मूपरिसरः



वेदव्यासपरिसरः, बलहरः



मुख्यालयः, नवदेहली



जयपुरपरिसरः



लखनऊपरिसरः



श्रीगङ्गानाथझापरिसरः, इलाहाबादः



भोपालपरिसरः

एकलव्यपरिसरः
अगरतला



क.जे.सीमैयापरिसरः
मुम्बई



श्रीसदाशिवपरिसरः, पुरी



श्रीराजीवगान्धिपरिसरः, शृङ्गेरी



गुरुवायूरपरिसरः, त्रिशूर